खण्ड-248, अंक-10
मंगलवार, 25 चैत्र, शक संवत् 1886
(14 अप्रैल, 1964 ई0)

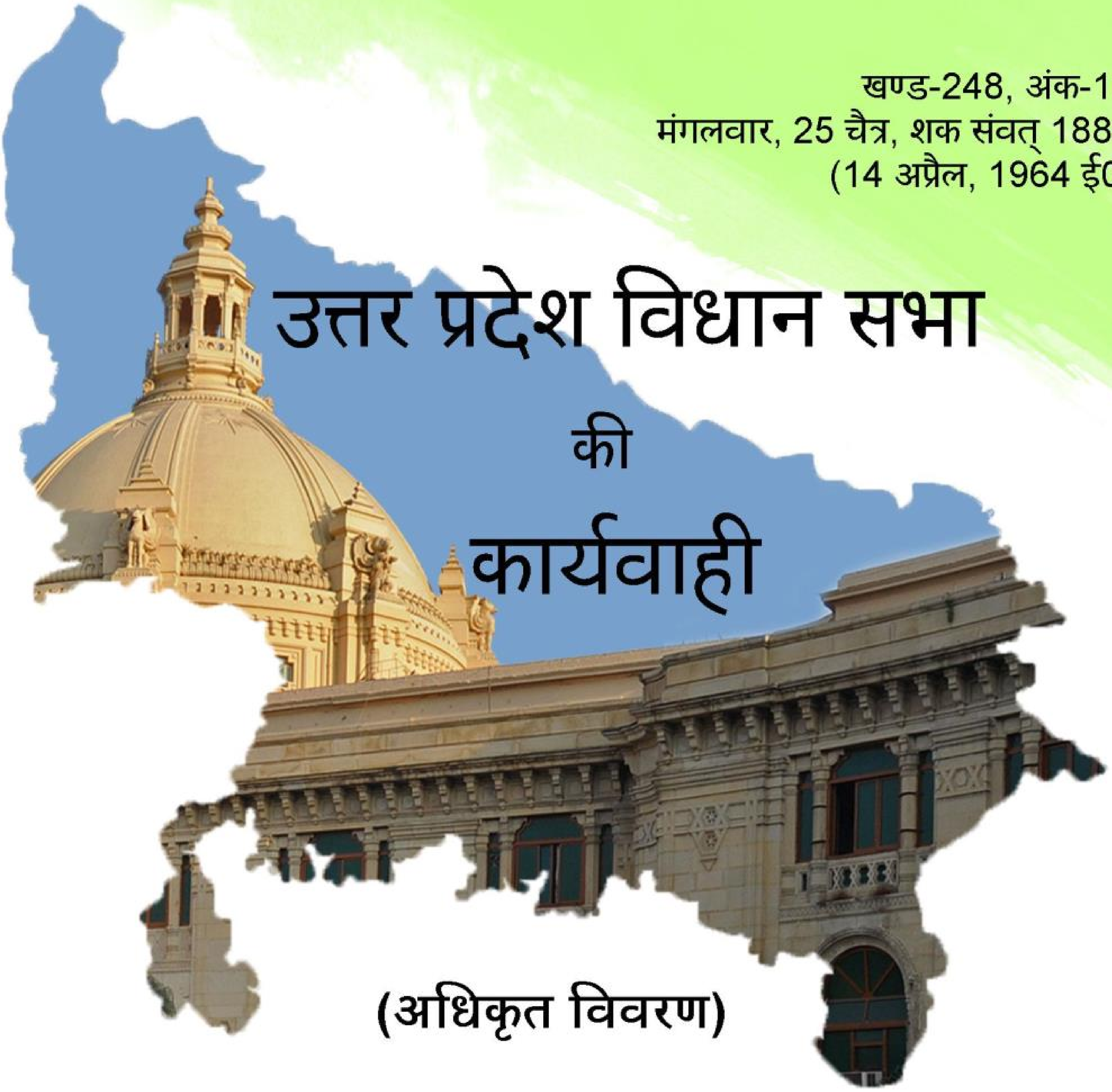

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 248 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

बिहार विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १४ अप्रैल, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४१५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेधनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालसराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री

गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बशकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री

नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पंतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (हुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषण प्रतापसिंह, श्री
बालेजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री

मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल' श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री

विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा चिकित्सा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १४ अप्रैल, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिकाओं के चुनाव

**१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश नगरपालिकाओं के चुनाव कब हो रहे हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

नगरपालिकाओं के चुनाव मई-जून, १९६४ में होंगे ।

**२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

क्या सरकार का ध्यान पिछले हफ्ते में समाचार-पत्रों में निकले हुये श्री शान्ति प्रपन्न उपमंत्री के बयान की ओर गया है जिसमें उन्होंने नगरपालिकाओं के चुनाव के स्थगित होने की बात कही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां ।

**३—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

क्या नगरपालिकाओं के चुनाव सम्बन्धी सरकारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस सम्बन्ध में अधिकांश तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शेष प्रबंध समयानुसार हो जायेगा ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी उन नगरपालिकाओं का भी चुनाव कराने जा रहे हैं जो सुपरसीड कर दी गई हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । यह सूचना मेरे पास मौजूद नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, प्रश्न २ के उत्तर में मंत्री जी ने "जी हां" कहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे नगरपालिकाओं का चुनाव स्थगित करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कह दिया है कि चुनाव हो रहे हैं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

क्या मंत्री जी के पास ऐसी मांग आई है कि चुनाव हटा दिये जायं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अलीगढ़ नगरपालिका ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी जो खारिज हुई और सहारनपुर की रिट विचाराधीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो आम चुनाव का प्रश्न है । इसमें न सहारनपुर का जिक्र है और न अलीगढ़ का ।

श्री अध्यक्ष—

एक बात सुन लीजिये । साधारण चुनाव होंगे । किसी अदालत के आदेश से नहीं हो सकते हैं फिर सवाल क्या उठता है ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बतायेगी कि जब मई में चुनाव कराये जा रहे हैं तो पिछले महीने नगरपालिकाओं को क्यों सुपरसीड किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार बराबर अपनी ओर से यही कह रही है कि मई और जून में चुनाव होगा । वही आज भी दुहरा रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, हाथरस नगरपालिका को अभी हाल में सुपरसीड किया है ।

श्री अध्यक्ष—

जब इतनी जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं तो सुपरसीड करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उसकी व्यवस्था ठीक नहीं रही होगी ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब चुनाव मई-जून में होंगे तो कोई टेन्टेटिव तारीख तय की है या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार ने यह निश्चय किया है कि स्थानीय निकायों के सदस्यों और टाउन एरिया के चेयरमैनों का निर्वाचन ३१ मई, १९६४ को होगा तथा नगरपालिका और नोटीफाइड एरिया के प्रेसीडेंट का निर्वाचन २४ जून को होंगे ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुये कि इतने निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं अब स्थानीय निकायों को सुपरसीड करने के लिये कोई स्टैप नहीं लेंगे क्योंकि जनता स्वयं उनको अलग कर देगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये कुछ कहना बड़ा मुश्किल है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार उसको देखते हुये कि ग्रीष्म और वर्षा चुनाव बड़े कष्टदायक होते हैं, जाड़े में चुनाव कराने की योजना बनायेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं, इस सदन ने पिछले सेशन में एक विधेयक पास किया था, उस विधेयक में यह तय किया गया था कि ३० जून के अन्दर एलेक्शन हो जायं, इसलिए एलेक्शन टालने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन स्थानीय निकायों के वार्डों का परिसीमन नहीं हुआ है उनका भी ३१ मई को चुनाव करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि बीच में कार्यवाही समाप्त हो जायगी ।

कानपुर में लड़कियों के परीक्षा केन्द्र दूर होने की शिकायत

**४—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि कानपुर में लड़कियों के बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इंटरमिडिएट के परीक्षा केन्द्र पांच, छः मीलों तक की दूरी पर रख दिया गया है जिससे उनके और उनके अभिभावकों के सम्मुख उन्हें सुरक्षित रूप से परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाना एक कठिन समस्या हो गई है ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जी नहीं । इस प्रकार की असुविधा की कोई शिकायत कानपुर की लड़कियों के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई है ।

**५—श्रीमती सुशीला रोहतगी—

क्या अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल इस सम्बन्ध में शिक्षा अधिकारियों से कानपुर में मिला था और यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

क्या इस तरह की शिकायत कानपुर के इंस्पेक्टर आफ स्कूल के सामने वहां के लड़कियों के गार्जियन्स ने की थी, ऐसी सूचना सरकार के पास है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, एक अभिभावक ने टेलीफोन पर बातचीत की थी लेकिन जब उसको स्थिति बता दी गयी तो वह संतुष्ट हो गये ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

यह देखते हुये कि सुबह सात बजे परीक्षा होती है उस समय लड़कियों को पांच, छः मील जाने में असुविधा होती है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कोई सुबह बस का प्रबन्ध किया जा सके जिस में पांच, छः मील की दूरी पर एक महीने के लिये जब तक परीक्षा हो, पहुंच सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पांच, छः मील की दूरी कहीं की है ही नहीं । दूसरे विद्यार्थी जाने का स्वयं ही इन्तजाम कर लेते हैं ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक शिकायत टेलीफोन के जरिये इंस्पेक्टर आफ स्कूल को प्राप्त हुई है वह कौन-सी शिकायत थी और इंस्पेक्टर आफ स्कूल ने क्या समाधान किया ? क्या यह सत्य है कि इतने डिस्टेन्स पर उनके सेन्टर्स रखे गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उन्होंने शिकायत की कि मेरे यहां से सेंटर दूर है। उस दूरी को जब बता दिया गया कि इस प्रकार से सेंटर दूर नहीं है बल्कि अधिक से अधिक नजदीक रखने का प्रयत्न किया गया तो उसके बाद वह संतुष्ट हो गये, उन्होंने आगे बात नहीं की।

बिलिट्ज में पंडित नेहरू के सम्बन्ध में आपत्तिजनक प्रकाशन

**६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बम्बई से प्रकाशित ब्लिट्ज सप्ताहिक पत्र की जिसमें पं० नेहरू के अनिष्ट की कामना हेतु तांत्रिक यज्ञ (मिर्जापुर में) के समाचार प्रकाशित हुये हैं, उक्त अंक की सभी प्रतियों को राज्य भर में जब्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां। इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुये हैं। उक्त अंक को जब्त करने का सरकार का विचार नहीं है।

**७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त पत्र के विरुद्ध सरकार उपरोक्त समाचार छापने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं। यद्यपि सरकार इस प्रकार के निराधार व उत्तेजनात्मक समाचार के प्रकाशन को निन्दनीय समझती है, परन्तु इस मामले में विचार करने के बाद कानूनी कार्यवाही करना ठीक नहीं समझा गया।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन कारणों से कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसे जो अखबार हैं उनका नोटिस न लेना ही ज्यादा अच्छा है।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री ने इस सप्ताह का ब्लिट्ज पढ़ा है, उसमें मंडल कांग्रेस, विंध्याचल के प्रेसीडेन्ट का बयान निकला है कि यज्ञ में जीवित मछलियों की अहुति दी गयी थी, क्या यह सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने उस सप्ताह का ब्लिट्ज पढ़ा नहीं है और न वह मेरी नोटिस में आया है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार उन व्यक्तियों या समाचार-पत्रों के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही करेगी जो ब्लिट्ज में प्रकाशित ऐसे समाचारों को उद्धृत करते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने अपने प्रदेश में जो एडीटर्स हैं उनकी एक कमेटी बनाई हुई है जो इस बात को देखती है और आपस में बातचीत वे एडीटर्स करते हैं कि ऐसे समाचार न छापे जायं। हम उनसे एक दफा और दरख्वास्त कर देंगे कि वे इसको देख लें। हम चाहते हैं कि कानूनी कार्यवाही करने के बजाय दूसरे तरीके इस्तेमाल करें जिससे इस तरह की खबरें छापी न जा सकें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो यह कहा है कि इस तरह के निराधार प्रकाशन जो होते हैं उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। तो आपके उसको निराधार कहने के क्या आधार हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारी जो रिपोर्ट है उसके लिये हमने वहां के जिलाधीश से पूछा और तमाम लोगों से जांच कराने पर भी मालूम हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ और न ऐसा कराना सम्भव ही है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार यह विश्वास करती है कि इस प्रकार के जो तंत्र-मंत्र किये जाते हैं उनका कोई प्रभाव प्रधान मंत्री नेहरू जी के जीवन के कम होने या अधिक होने पर नहीं पड़ सकता है और यदि उसका ऐसा विश्वास नहीं है तो फिर इस प्रकार के बिलकुल निराधार समाचारों की नोटिस ही क्यों लेती है?

श्री अध्यक्ष—

इसी कारण तो वह कहते हैं कि नोटिस नहीं लेती है सरकार, क्योंकि वह बेकार की बातें हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या इस बात को देखते हुये कि ब्लिट्ज अक्सर इसी प्रकार के निराधार समाचारों को छापता है जिससे जनता में उत्तेजना फैलती है तो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की दृष्टि से जन-भावनाओं को संतुलित रखने के विचार से यहां की सरकार इस प्रदेश में ब्लिट्ज के आने पर पाबन्दी लगाने का कष्ट करेगी?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

ब्लिट्ज ऐसा अखबार है जिसने अपना एक रेपुटेशन गलत चीजों को छापने के लिये बना लिया है। कई दफा ऐसी बात हुई कि उन्होंने एक निराधार बात छापी और जैसे ही लीगल नोटिस उनको दी गयी उन्होंने माफी मांग ली। इसलिये मैं ब्लिट्ज को बहुत हल्के किस्म का अखबार मानती हूं और बहुत से लोग इसी तरह से उसको मानते हैं। अगर उसके गलत खबरें छापने पर नोटिस ली जाती है तो उसको जरूरत से ज्यादा इम्पार्टेन्स देना होगा, इसलिये उसको इग्नोर करने की जरूरत है। अगर ऐसी कोई बात हो जिसमें उसको सजा देना जरूरी है या उसके नोटिस देने की जरूरत है तो वहां पर जरूर नोटिस ली जायगी। मगर मैं सदस्यों से कहूंगी कि ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचारों पर ज्यादा नोटिस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऐसी खबरें रोज छपती हैं और उनके लिये वे बाद में माफी भी मांगा करते हैं।

२० मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न २३ के उत्तर का शोधन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २० मार्च, १९६४ को श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३ का जो उत्तर दिया गया था वह इस प्रकार था :—

"वाराणसी के घाटों पर ३१ जनवरी, १९६४ तक कुल ७७,९६,९१२ रुपया व्यय हो चुका है और ३८,८५,७८८ रुपये का कार्य होना शेष है।"

उसका संशोधित सही उत्तर इस प्रकार है :—

"वाराणसी के घाटों पर ३१ जनवरी, १९६४ तक कुल ८२,५४,११४ रुपया व्यय हो चुका है और ३४,५९,७२६ रुपये का कार्य होना शेष है।"

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार जिस प्रकार से उसने वाराणसी के घाटों की मरम्मत कराई है उसी प्रकार से इलाहाबाद और प्रदेश के और घाटों, जो बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं उनकी मरम्मत कराने की कोई योजना बना रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रदेश के जितने भी घाट हैं जहां-जहां वह खराब हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में सरकार को चिन्ता है और यथासम्भव जहां के लिये धन प्राप्त होता जायेगा उनकी मरम्मत की जायगी और किया भी जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या निर्माण मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन घाटों का तखमीना पहले पहल क्या था और बढ़ोत्तरी का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसमें कोई बढ़ोत्तरी का तो सवाल नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

रोडवेज, क्षेत्र इलाहाबाद में गबन

*१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग के इलाहाबाद रीजनल आफिस में ८५ हजार का गबन हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की और किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों को निलम्बित किया है ?

रसद मन्त्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जांच द्वारा यह मालूम हुआ है कि ८,१७६.८२ न० पै० का गबन हुआ है, न कि ८५ हजार रुपये का। प्रारंभिक सूचना पुलिस में लिखा दी गई है। एक सहायक कैशियर तथा एक एकाउन्टेन्ट को निलम्बित किया गया है।

*२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गबन होने के समय उपरोक्त रीजन के एकाउन्ट्स आफिसर कौन थे और उपरोक्त गबन के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या वे अब भी इसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

एकाउन्ट्स आफिसर श्री लक्ष्मीकांत मिश्र थे। वे अब भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध भी अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह गबन कब और किसके द्वारा पकड़ा गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सन् १९६३ के मई में उसी जनरल मैनेजर के दफ्तर के एक बाबू ने शिकायत की थी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के पास। ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने सन् १९६३ के जून में डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को वहां इलाहाबाद भेजा किन्तु डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को वहां जा कर सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने आकर नवम्बर, १९६३ में एक आडिट पार्टी को भेजा जिसने यह तय किया कि ८,१७६ रुपये का गबन हुआ है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी जांच करायेंगे कि जो आडिट पार्टी गई थी यहां से आडिट करने के लिये उसने लगभग ८५ हजार रुपये का गबन पकड़ा और जिस कैश-बुक में पकड़ा उसमें उन्होंने दस्तखत कर दिया लेकिन वह कैश-बुक गायब कर दी गई और दूसरी तैयार की गई जिसमें ८५ हजार रुपया गबन नहीं दिखाया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह कोई सही आधार नहीं है कि ८५ हजार रुपये का गबन था। इसका अभी कोई आधार नहीं है कि कैश-बुक बदल दी गई है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि अब जो ८ हजार रुपये का गबन दिखाया गया है उस पर उस आडिट पार्टी के लोगों के दस्तखत हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सब जांच से मालूम होगा। यह मामला पुलिस को दे दिया गया है और उसमें पुलिस जांच कर रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह किस तारीख से किस तारीख तक की आडिट जांच है ? क्या इससे पूर्व की भी जांच करायेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह १९६१-६२ के हिसाब के सम्बन्ध में गबन है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह जो जांच कराई गई है इसमें तारीख का यानी पहले सालों की तारीख का कोई भी ख्याल नहीं किया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस सारे मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और वह डिटेल में जांच करा रही है।

श्री अध्यक्ष—

क्या यह ८५ हजार अन्तिम फीगर नहीं है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

८,१७६ रुपये का अन्तिम फीगर हमारे नोटिस में है। अब आगे पुलिस जांच कर रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि जांच अभी चल रही है तो कैश-बुक को, जिसके बल पर जांच की जा रही है, उसको जब्त करायेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मैं समझता हूं जिस प्रकार से पुलिस की कार्यवाही होती है उसी प्रकार से उन्होंने कैश-बुक को अपने कब्जे में ले लिया होगा क्योंकि वह जांच कर रही है।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ८ हजार रुपये का जो गबन पाया गया है उस गबन में कौन-कौन दोषी है और क्या यह ८५ हजार रुपये के गबन की भी जांच हो रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिस पीरियड में यह गबन हुआ है उस पीरियड के तमाम हिसाब की वह जांच करेंगे और उसके लिये कौन जिम्मेदार है यह बतायेंगे।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

जो गबन ८,००० का बतलाया गया है क्या यह वाकई में एक ही साल का गबन है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मेरी सूचना यह है कि १९६१–६२ के हिसाब के सम्बन्ध में यह गलती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उमाशंकर मिश्र के खिलाफ अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है ? उन्हें अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है जो ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के यहां पहुंच चुका है। उनकी सिफारिश के साथ वह गवर्नमेन्ट के पास आता ही होगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

यह आडिट बहुत देर में होता है। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है कि इंटरनल आडिट हुआ करे ताकि जांच बराबर होती रहे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसी व्यवस्था है। जांच होती रहती है, आडिट जाता रहता है।

ओबरा डैम बनाने के लिये टेन्डर

*३—सर्वश्री भानुप्रतापसिंह, आदि—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ओबरा डैम बनाने के लिये कौन-कौन सी फर्मों के टेंडर प्राप्त हुये थे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

टेन्डर चार फर्मों से प्राप्त हुये थे, किन्तु उनमें से दो ही फर्मों ने पूरे कार्य करने के लिये टेन्डर दिया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

(क) मेसर्स कान्टिनैन्टल कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

(ख) मेसर्स यूनियन लैन्ड एण्ड बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कलकत्ता।

*४—सर्वश्री भानुप्रतापसिंह, आदि—

उनके टेन्डर की रकमों में कितना अन्तर था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

चूंकि इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है, जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिये यह सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

*५—सर्वश्री भानुप्रतापसिंह, आदि—

क्या किसी फर्म को ठेका देने के विषय में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं। किन्तु कान्टिनैन्टल कन्सट्रक्शन कम्पनी का टेन्डर दूसरी फर्म की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होने के कारण मुख्य अभियन्ता द्वारा उनको एक "लेटर आफ इन्टेन्ट" (letter of intent) दिया जा चुका है।

श्री भानुप्रतापसिंह—

चौथे प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है कि जांच हो रही है और पूर्ण नहीं हुई है, इसलिये सूचना देना जनहित में न होगा। लेकिन तीसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है कि दूसरा टेन्डर अधिक उपयुक्त होने के कारण मुख्य अभियन्ता ने लेटर आफ इंटेंट दे दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब जांच अभी चल रही है तो किस आधार पर इस कम्पनी के टेन्डर को उपयुक्त माना गया और उसे लेटर आफ इंटेंट दे दिया गया।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जब हम बड़े कामों के टेंडर देते हैं तो यह भी देख लेते हैं कि वह कम्पनी उस काम को पूरा कर सकेगी या नहीं। हमारा तजुर्बा है कि कभी-कभी कंपनियां अपना ठेके का काम पूरा नहीं करतीं, छोड़ देती हैं बीच में और इससे हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। मैं जानकारी के लिये बतला दूं कि जिस कम्पनी का टेन्डर हमने नहीं माना उसने जल्दी में लिख दिया था कि १५ फीसदी हम जो टेंडर है उसमें कम कर देंगे। डिटेल में देखने से पता चला कि जो सामान की कीमत थी टेंडर उससे भी कम था। चीज का दाम जब ८६० रु० है तो वह टेंडर ८०० रु० का ही होता था। लेकिन बाद में उन्होंने लिखा कि इसमें यह अमेंडमेन्ट कर लिये जायं और हम इसका यह दाम लगायें गे। तो इस हालत में हमने एक कमेटी बनायी जिसमें कमिश्नर थे, एक ला सेक्रेटरी थे, फाइनेंस कमिश्नर थे, चीफ इंजीनियर्स, पी० डब्लू० डी० और इरिगेशन थे और उन्होंने एक यूनानिमस रिपोर्ट दी कि इस कम्पनी को यह काम दिया जाय। उसी को यह काम दिया गया है।

श्री विजयसिंह—

जब सरकार यह समझती है कि तजुर्बे के आधार पर लेटर आफ इंटेंट देना ठीक है तो क्या जरूरी है कि टेंडर काल किये जायं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तजुर्बे के आधार पर नहीं कहा। देखा यह जाता है कि कौन कम्पनी उस काम को कर सकती है। अगर और कम्पनी आ जातीं तो उनको भी कन्सीडर कर लिया जाता।

श्री भानुप्रतापसिंह—

क्या और टेन्डर्स भी अभी इन्वाइट किये जा सकते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो अब नहीं हो सकता। पहले ये लोग नहीं आये। जिनके टेन्डर्स आये, उन्हीं में से कहा गया काम करने के लिये, ताकि देरी न हो।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिल्ली वाली कम्पनी को जो यह काम दिया गया तो कलकत्ते वाली कम्पनी के रेट में और उसके रेट में क्या अन्तर था और सबसे लोएस्ट टेन्डर किसका था और हायेस्ट किसका था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो कम्पनी काम कर रही है उसका रेट कम होगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैंने यह पूछा था कि लोएस्ट किसका था और हायेस्ट किसका था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसमें यह जानना बड़ा मुश्किल था क्योंकि दूसरी कम्पनी की कई बार चिट्ठियां आयीं जिसमें उन्होंने पहले लिखा कि इस काम का हम इतना और लेंगे, फिर लिखा उसका इतना लेंगे, फिर लिखा कि फलां काम का इतना और लेंगे। तो पता ही नहीं चल पाया कि वे कितना मांग रहे हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब काम शुरू हो गया तो अब जांच किस बात की हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी मोटा-मोटा काम शुरू किया होगा ?

(हंसी)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जब कई चिट्ठियां उस कम्पनी की आयीं तो अब तक उनके रेट्स का कैलकुलेशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकार ने यह ठीक समझा कि प्रान्त के जो सबसे बड़े आफिसर्स हैं, इस विभाग के तथा वित्त आदि विभाग के, उनकी एक कमेटी बिठा दी जाय जो इस बात की जांच करे कि कौन-

सा टेन्डर हर दृष्टि से ठीक है। उस कमेटी ने यूनानीमस अपनी रिपोर्ट दी और उसी की सिफारिश पर इस कम्पनी को यह काम दिया गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

चोलापुर विकास क्षेत्र में नलकूप योजना

*१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री वाराणसी जिले के चोलापुर विकास खन्ड के गांवों खलुआन, शहडीह, चोलापुर, जगदीशपुर, कटारी, रूपचन्द्रपुर, ढेरही, लाखी, लखनपुर, जरियारी, सुवारी टिसौरा, बेनीपुर बबियांव, हाजीपुर ताला, दुमितवा, बेला, अजगरा, ऊधोरामपुर, बाबतपुर, नियार, कुरौली, रजला आदि में, जहां शारदा नहर की दानगंज शाखा और चोलापुर शाखा से इन गांवों की भूमि की ऊंचाई या दूरी के कारण सिंचाई संभव नहीं है, सिंचाई के लिये नलकूप लगवाने की व्यवस्था करने को कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नलकूपों के निर्माण के लिये इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

*२—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सिंचाई विभाग वाराणसी ने नलकूप से होने वाली सिंचाई की आगामी योजनाओं के लिये तैयार किये गये चार्टों में इन गांवों में से कई गावों में प्रस्तावित नलकूप के स्थान अंकित किये हैं ? यदि हां, तो वे गांव कौन-कौन हैं ? उन गांवों में प्रस्तावित नलकूप लगाने की व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सर्वेक्षण का प्रस्ताव कब का है और यह काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पहले यहां नलकूप बनाने का विचार नहीं था, इसलिये सर्वेक्षण नहीं किया गया। पहले रामेश्वर डैम बनाकर पानी देने की बात थी, वह स्कीम छोड़ दी गयी। अब यह उचित समझा गया कि यहां का सर्वेक्षण करा लिया जाय। वह किया जायेगा।

श्री रघुनाथसिंह—

वहां दो-दो नहरें हैं मगर वह ऊंचाई पर पड़ती हैं और उनसे वहां के गांव की सिंचाई नहीं हो सकती। मैंने यह पूछा था कि सर्वेक्षण का प्रस्ताव कब का है और कब तक वह कार्य समाप्त हो जायेगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनको आदेश दे देंगे कि और जल्दी कर दें।

श्री रघुनाथसिंह—

यह 'नहीं' किसके लिये है, क्या मतलब है इससे मंत्री जी का ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नहर वहां नहीं बन सकेगी। ट्यूबवैल पर विचार किया जायगा। इसके लिये सर्वेक्षण होगा।

*३-४—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

[८वें बुधवार के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

नलकूप विभाग, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

*५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान नलकूप विभाग, आजमगढ़, के विरुद्ध प्रकाशित साप्ताहिक "मानव सेवक" आजमगढ़ दिनांक ११ जून, १९६३ के पृष्ठ १ पर प्रकाशित शीर्षक 'नलकूप विभाग की मौजमस्ती' की ओर गया है जिसमें नलकूप विभाग में होने वाली लूट, भ्रष्टाचार, कुनबा-परस्ती आदि की शिकायतें हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा कब करायी गयी और परिणाम क्या निकला?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

उल्लिखित साप्ताहिक पत्र के पृष्ठ १ पर प्रकाशित शीर्षक "नलकूप विभाग की मौजमस्ती" के अन्तर्गत केवल, नलकूप विभाग की एक कार के विक्रय तथा गैरेज के तोड़ने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। इस शिकायत की जांच अधिशासी अभियन्ता, ट्यूबवेल डिवीजन, आजमगढ़ द्वारा सितम्बर, १९६३ में की गयी। किन्तु शिकायत निराधार सिद्ध हुई।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उक्त साप्ताहिक में जो समाचार निकले उनमें अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भी आरोप थे? यदि हां, तो उन्हीं से जांच क्यों कराई गई?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आरोप जनरल नेचर के थे और एक कार के बारे में थे। अखबार में यह लिखा है "नलकूप वाली, मौजमस्ती वाली कार बिकी एवं गैरेज ध्वस्त किया गया। आजमगढ़, १० जून, पता चला है कि नलकूप विभाग की मौजमस्ती वाली कार वहां के कर्मचारियों ने अपने भ्रष्टाचार पर परदा डालने के लिये बेच दिया है एवं मोटर गैरेज तोड़कर उसका टीन व दरवाजा, इत्यादि छिपा दिया है। सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की तत्काल जांच करावे क्योंकि विभागीय कर्मचारी अपनी काली करतूतों पर परदा डालने में प्रयत्नशील है।" कार नहर के किसी इंजीनियर की नहीं है। कृषि के रिटायर्ड एक आदमी की है।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सरकार के पास और फैजाबाद के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के पास जनता के प्रार्थना-पत्र इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध आये हैं कि इन्हीं के कारण विभाग में तमाम भ्रष्टाचार की बातें हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है।

संकीसा—मुहम्मदाबाद रोड क्रासिंग पर मोटर दुर्घटना

*६—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत कार्तिक पूर्णिमा के मेला के एक दिन पहले ब्रांच लाइन, शिकोहाबाद—फर्रुखाबाद रेलवे से संकीसा मुहम्मदाबाद रोड क्रासिंग जिला फर्रुखाबाद पर मोटर-ठेला से दुर्घटना हुई? यदि हां तो किसकी गलती से?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--

दिनांक २९-११-६३ को मोटर ठेला नं० २०४८ यू० पी० आई० एक ट्रेन से टक्कर खाकर दुर्घटना ग्रस्त हो गया था।

यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः यह बताना अभी संभव नहीं है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई।

*७--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बतायेगी कि इस दुर्घटना से कितने जान और माल का नुकसान हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन--

एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, तीन व्यक्तियों को अधिक तथा तीन को मामूली चोटें आई थीं। ट्रक आदि का करीब ७,००० रु० का नुकसान हुआ था।

नलकूप योजनाओं में जिला देवरिया

*८--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में उत्तर प्रदेश भर में गन्ना विकास तथा कृषि विकास के लिये नलकूप लगाने की कौन-कौन-सी तीन योजनायें स्वीकृत की गयी हैं ? प्रत्येक योजना में कितने-कितने नलकूप स्वीकृत है ? प्रत्येक योजना में देवरिया जिला के लिये कितने-कितने नलकूप स्वीकृत हैं ? क्या इनका निर्माण सन् १९६४-६५ में पूरा हो जायेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में गन्ना तथा कृषि विकास के लिये दो नलकूप योजनायें स्वीकृत की गईं। एक चीनी मिलों के "रिजवर्ड एरिया" के लिये ३२४ नलकूप की योजना तथा दूसरी पूर्वी जिलों के लिये ११० नलकूप की योजना। इन योजनाओं में से केवल ३२४ नलकूप योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले में १०० नलकूप प्रस्तावित हैं। इनका निर्माण १९६५-६६ में पूर्ण होने की आशा है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में नलकूप लगाने का वायदा जो उन्होंने ६३ के सत्र में किया था, उसके मुताबिक दक्षिण में ११० नलकूप न लगाने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

११० नहीं, १०० नलकूप की बात है। बाकी के लिये सूचना चाहिये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

क्या यह सही है कि ये १०० नलकूप उत्तर में ही नहीं, भटनी मिल के एरिया में और माननीय चन्द्रबलीसिंह के गौरी बाजार के और बेतालपुर के एरिया में लगाये जाने की व्यवस्था की गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वे इस प्रकार बंटे हैं--परतापपुर क्षेत्र में १२, भटनी २०, देवरिया ६, कप्तानगंज १०, लक्ष्मीगंज १०, रामकोला के ४, रामकोला-पी १६, पडरौना ८, कठकुइयां ४ और सिवराही १०।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

बैतालपुर व भटनी में जो नलकूप लग रहे हैं वे गोरखपुर से भटनी जाने वाली लाइन के उत्तर हैं या दक्षिण हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना चाहिये। उत्तर, दक्षिण, इस समय नहीं मालूम है।

*९—श्री चन्द्रबली सिंह—

[हटा दिया गया।]

माघ मेले के अवसर पर बस परमिट

*१०—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद रीजन में इस बार माघ मेला के सिलसिले में कितने परमिट बस आपरेटर्स (प्राइवेट) को किस-किस रूट के लिये किस-किस आधार पर और किस-किस की सिफारिश पर दिये गये हैं तथा इन रूटों पर रोडवेज की व्यवस्था में कितनी बसें बढ़ायी गयीं थीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

१९६४ के माघ मेले के सिलसिले में जिन प्राइवेट आपरेटर्स को ५५ बसों के अस्थायी परमिट विभिन्न मार्गों के लिये दिये गये थे उनकी सूची† संलग्न "क" में है। ये परमिट मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६२ (ए) व (सी) में दिये गये थे। इस अवसर पर रोडवेज की व्यवस्था में ८६ बसें बढ़ायी गई थीं।

*११—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या यह सही है कि बनारस से जबलपुर मार्ग और इलाहाबाद-जबलपुर मार्ग पर प्राइवेट बस ओनर्स को परमिट दी गयी हैं और जिनको दी गयी है उनके नाम क्या हैं तथा क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर सरकार ने रोडवेज की बसों को ही चलाने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो बाद में किस आधार पर प्राइवेट बस चलायी गयीं जब कि मध्य प्रदेश सरकार से भी यही तय था कि सरकारी बसें ही चलायी जायेंगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस मामले में इन्क्वायरी कराई जा रही है। इसलिये इस समय और कोई सूचना देने को नहीं है।

*१२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री को इस बात की सूचना है कि गोरखपुर रीजन में जनरल मैनेजर रोडवेज ने कुछ प्राइवेट आपरेटर्स को इस बार माघ मेला में स्पेशल परमिट यात्रियों को ढोने के लिये देने के लिये सरकार या किसी अन्य अधिकारी को लिखा था ? यदि हां, तो क्या परमिटदेने के लिये उन्होंने गोरखपुर रीजन के सभी मोटर आपरेटर को सूचना दी या नहीं ? यदि नहीं दी तो क्यों और वह परमिटें किस किस गाड़ी के मालिकों को दी गयीं और उनके नाम और पते क्या हैं ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी हां, परमिटों के लिये आवेदन पत्र मांगने की सूचना आर० टी० ओ० गोरखपुर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई थी। परमिट पाने वाले आपरेटर्स के नाम तथा पते संलग्न सूची 'म' में दर्ज हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९६३ पर)

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि दोहरीघाट इलाहाबाद रोड के लिये आजमगढ़ और गोरखपुर के लोगों को परमिट न देकर सारे परमिट इलाहाबाद के लोगों को ही क्यों दे दिये गये हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्रीमन्, इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री कल्पनाथसिंह--

यही बता दें कि इलाहाबाद के कुल कितने एप्लीकेन्ट थे जिनमें से इनको परमिट दिये गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

कुल ५३ आवेदन-पत्र आये थे। यह नहीं मालूम कि उनमें से कितने इलाहाबाद वालों के थे। जिन लोगों को परमिट नहीं दिये गये, उनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत होने के क्या आधार थे, यह बताया जा सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह--

जो नत्थी (म) में सूची दी गयी है उसमें गोरखपुर रीजन के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि यह परमिट किस तारीख को इश्यू किये गये और नोटिस बोर्ड पर सूची कब लगायी गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि इतने सारे आवेदन-पत्रों में से केवल १०-१२ आदमियों को ही परमिट क्यों दिये गये, गोरखपुर रीजन में ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

गोरखपुर रीजन के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनाथसिंह--

रोडवेज के मैनेजर ने किस अधिकारी को क्या चिट्ठी लिखी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जनरल मैनेजर ने सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा। ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर या आर० टी० ओ० को यह लिखा होगा कि यहां ज्यादा गाड़ियों की जरूरत है।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमान्, आप इस सवाल को स्थगित कर दें। जितनी सूचना मैंने अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा माननीय मंत्रीजी से मांगी है उसको बताने के लिये माननीय मंत्री जी तैयार नहीं हैं, अतः इस प्रश्न संख्या १२ को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अगर और तरीका न होता तो स्थगित कर दिया जाता ।

श्री सिद्दीकी की भाभी को परमिट देने पर आपत्ति

*१३--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सिद्दीकी की भाभी को जो मोटर का परमिट वाराणसी से मध्य प्रदेश को इस आधार पर दिया गया है कि श्री सिद्दीकी जो राजनीतिक पीड़ित थे, उन्होंने किस-किस सन् में और किन-किन कार्यकर्ताओं के साथ, कहां-कहां किन अभियोगों में जेल यातनायें भोगी थीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का ताल्लुक है, ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है और इस पूरे मामले के बारे में इन्क्वायरी (Enquiry) किये जाने के आदेश सरकार ने दिये हैं ।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री अली अहमद सिद्दीकी को ६-७-१९१७ को दफा १२१ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत ट्रांस्पोर्टेशन फार लाइफ की सजा हुई और २०-७-१९२५ को इन्हें नैनी सेन्ट्रल जेल से सरकारी आदेशानुसार छोड़ दिया गया ।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के एक पत्र के साथ प्राप्त हुये १६ जनवरी, १९६१ के एक अखबार में छपे हुये पं० सुन्दरलाल के लेख के अनुसार श्री सिद्दीकी की नैनी सेन्ट्रल जेल में मुलाकात श्री गणेशशंकर विद्यार्थी, श्री चन्द्रधर जौहरी, श्री तसद्दुक अहमद शेरवानी व श्री कृष्णकान्त मालवीय जैसे अनेक देश भक्तों से हुई जो महात्मा गांधी के आन्दोलन में जेल गये थे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जिन्होंने देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी उन राजनीतिक पीड़ितों की बहुत ही इज्जत होनी चाहिये जैसा कि और देशों में होता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि लाइसेंस व परमिट वगैरह का संबंध भ्रष्टाचार से होता है, इसलिये ऐसे महापुरुषों का नाम भी उसमें जुट जाता है, इसलिये ऐसे राजनीतिक पीड़ितों को परमिट व लाइसेंस वगैरह न देकर अलग से कोई ऐसा फंड या कोष रखेंगे जिससे उन राजनीतिक पीड़ित लोगों की सहायता की जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अध्यक्ष महोदय, किन राजनीतिक पीड़ितों ने देश की आजादी के लिये कार्य किये हैं उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुये माननीय सदस्य ने जिस उदारता के साथ उनकी सहायता करने की बात की है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं और उनकी मदद किस प्रकार से हो उसके लिये सरकार यथासंभव कार्य करती रहती है और फिर करेगी ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पंडित सुन्दर लाल का एक लेख जो १६ जनवरी, ६१ के अखबार में छपने की बात बतलायी गयी है, वह लेख किस विषय में था और किस दफा में वे सजा पाये थे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

दफा १२१ में ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जेल की सजा तो काटी श्री सिद्दीकी ने, फिर उनकी भाभी को किस तरह से राजनीतिक पीड़ित मान लिया गया जिससे उनको परमिट दिया गया ? क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, यह मामला जेरे जांच है। इन्क्वायरी प्रिजुडिस न हो जाय, इसलिये इसका उत्तर देना वाजिब न होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अगर वे राजनीतिक पीड़ित थे तो उनकी भाभी को परमिट क्यों दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जो राजनीतिक पीड़ित के आश्रित होते हैं, उनको वही सुविधायें मिलती हैं जो कि राजनीतिक पीड़ित को मिलनी चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या यह सिद्दीक हसन वही कोड़े वाले हैं जिनका एक लड़का श्री सगीर हसन है और उनका एक लड़का पाकिस्तान में है या उनके खानदान से कोई संबंध है, जिनका कि यह जिक्र है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वह दूसरे हैं, यह तो फैजाबाद जिले के हैं।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या सिद्दीकी साहब को राजनीतिक पीड़ित माना गया है ? यदि हां, तो किन-किन सालों में और किन-किन अभियोगों में उनको सजा हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अभियोग के बारे में तो बताया गया कि दफा १२१ में।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जहां तक प्रश्न के पहले भाग का ताल्लुक है ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है और पूरे मामले के बारे में इन्क्वायरी के आदेश सरकार ने दिये हैं और मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में है कि इन्क्वायरी हो रही है तो किस आधार पर उनको सरकार ने राजनैतिक पीड़ित माना जब कि अभी इन्क्वायरी हो रही है कि वह राजनैतिक पीड़ित थे या नहीं और लम्बे रूट का परमिट उनको दे दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

न मानने का सवाल इसमें नहीं है, वह राजनैतिक पीड़ित थे या नहीं यह तो इन्क्वायरी में है और वह बात इस उत्तर में नहीं दी गई है, उत्तर केवल यह दिया गया है कि उनके साथ जेल में कौन-कौन था।

श्री मैनेजरसिंह—

इसमें तो था कि इन्क्वायरी हो रही है और मंत्री जी कहते हैं कि केवल इतना ही उत्तर दिया गया कि कौन-कौन जेल में साथ रहा तो जेल में तो साथ में चोर, डकैत भी रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये वह कह रहे हैं कि बाद में बताया जायगा।

आजमगढ़ रोडवेज आफिस में जमा किया गया माल

*१४—श्री इन्द्रासनसिंह तथा श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सच है कि ता० १५ सितम्बर, १९५२ को भोलानाथ कण्डक्टर ने आजमगढ़ रोडवेज आफिस में कुछ लावारिस माल जो कि बस में किसी यात्री का छूट गया था, जमा किया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जमा की हुई वस्तुओं की एक लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि वे वस्तुयें कितनी कीमत की थीं और वह कीमत कहां जमा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१५-९-५२ को एक बस में से जिसके कण्डक्टर श्री भोलानाथ थे एक थैले में निम्नलिखित सामान मिला था जो उसी दिन थोड़ी देर बाद उन वस्तुओं के मालिक को दे दिया गया था। उनकी कीमत का कोई तखमीना नहीं लगाया गया था।

(१) ५ जोड़ा कड़ा खोलुआ चांदी का ।

(२) २ जोड़ा पछेला खोलुआ चांदी का ।

(३) ३ हसुली खोलुआ चांदी का ।

(४) ३० रुपया नकद पुराना सिक्का ।

(५) एक धोती पुराना लाल किनारा।

(६) एक निगोटा पुराना ।

(७) एक झोला पुराना ।

श्री इन्द्रासनसिंह—

जिस व्यक्ति को यह सामान वापस किया गया उसका नाम व पता क्या है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री इन्द्रासनसिंह—

यह कैसे सही मान लिया जाय कि जिस व्यक्ति को सामान दिया गया उसका नाम व पता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

आप को माल क सही मालिक का नाम मालूम हो तो आप बता दें, किसी और ने क्लेम किया कि मेरा माल है ?

श्री इन्द्रासनसिंह—

मेरा निवेदन है कि जिस आदमी को माल दिया गया कम से कम उसका रिकार्ड होगा, उससे रसीद हासिल की गई होगी, तो क्या वह उसका नाम, पता सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

रसीद जरूर लिखाई गई होगी लेकिन अगर माल सही आदमी को नहीं दिया गया है या और कोई आदमी उसका दावेदार इस वक्त है और वह लिखकर देगा तो साबित होने पर माल उसको दिलाने की कोशिश की जायगी ।

पुनवार नहर के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*१५—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनवार, माइनर, जिला इलाहाबाद, तहसील मंझनपुर के संबंध में जनता की कोई शिकायत १० दिसम्बर, १९६३ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसकी व्यवस्था के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ग्राम पूरब सरीरा के मजरा भोलानाथ का पुरवा के काश्तकारों द्वारा दी गई पुनवार माइनर क विषय में एक दरख्वास्त जिलेदार तृतीय फतेहपुर डिवीजन गंगा कैनाल को दिनांक ११-१२-६३ को प्राप्त हुई थी। उस पत्र में ग्राम पुनवार के कुछ व्यक्तियों द्वारा बांध काटने तथा पूर्व की ओर पानी न पहुंचने देने की शिकायत की गई है तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने तथा माइनर को पूर्ण करने के लिये प्रार्थना भी की गई है।

उन व्यक्तियों पर जिन्होंने बांध काटा था तावान लगाने की कार्यवाही की जा रही है। माइनर पूरी बन चुकी है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मुझे कुछ पूछना नहीं है।

वाराणसी व जौनपुर रोडवेज कार्यालय में कण्डक्टरों का वेतन

*१६—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ एवं सन् १९५५ ई० में वाराणसी एवं जौनपुर रोडवेज कार्यालय में कितने ऐसे कण्डक्टर की पदोन्नति करके असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क बनाया गया जिन्हें कण्डक्टर ग्रेड से भी १३ रुपये महीने कम वेतन दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

५ कन्डक्टरों को।

*१७—श्री माताप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि इन कण्डक्टरों को २० महीने तक जो १३ रु० महीने कम वेतन दिया गया है उसे दे देने का आदेश विभाग द्वारा बहुत पहले दे दिया गया है, किन्तु इस आदेश का पालन अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो जिन कर्मचारियों की लापरवाही से ऐसे हुआ है उनके विरुद्ध क्या कायवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

२ कर्मचारियों का वेतन तो दे दिया गया है पर ३ का अभी नहीं दिया गया है। जिन कर्मचारियों की लापरवाही से यह देरी हुई है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर में ऐण्टी टी० बी० एसोसियेशन की अध्याप्त भूमि

*१८—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर ऐण्टी टी० बी० एसोशियेशन की करीब १२ एकड़ भूमि जिला मैजिस्ट्रेट, कानपुर ने भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत किस आधार पर और किस काम के लिये एक्वायर कर ली ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जिलाधीश कानपुर ने कानपुर में ९०.४० एकड़ आराजी जिसमें से ५४ एकड़ आराजी नगर महापालिका ने इस एसोशियेशन को पट्टे पर दी हुई थी, भारत सुरक्षा कानून की धारा २९ के अन्तर्गत संकटकालीन स्थिति में यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप की बढ़ती हुई जरूरतों के लिये रिक्वीजीशन की थी ।

*१९---श्री सन्तसिंह यूसुफ---

ऐन्टी टी० बी० एसोशियेशन के काम में बाधा डालने का औचित्य क्या है ? क्या कानपुर में ऐन्टी टी० बी० एसोसियेशन की जमीन के अलावा ऐसी जमीन खाली नहीं थी जिसे एक्वायर किया जाता ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

बाधा डालने का प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि उक्त एसोसियेशन तहरीरी पट्टे के अनुसार ५ वर्ष की निश्चित मुद्दत के अन्दर अस्पताल व सेनीटोरियम बनवाने का कार्य आरम्भ न करके इस आराजी का प्रयोग न कर सकी ।

यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप के नजदीक इस आराजी के अलावा और कोई खाली और रिक्वीजीशन के योग्य आराजी नहीं थी ।

*२०---श्री सन्तसिंह यूसुफ---

कानपुर में उद्योगपतियों ने बहुत पहिले मजदूरों के क्वार्टर आदि बनवाने के लिये चार आने बीघे पर जमीन खरीदी थी जिसका उपयोग नहीं किया गया है ? उस जमीन को एक्वायर करने में क्या रुकावट है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

यू० पी० गवनमेंट रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप के नजदीक ऐसी कोई आराजी नहीं है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि कानपुर टी० बी० के मरीजों का एक तरह का घर है जिनके लिये कोई जगह नहीं मिलती । प्राइवेट एसोसियेशन ने इन्तजाम किया पर सरकार ने उनकी जमीन एक्वायर कर ली, जब कि सरकार के पास बहुत जमीन पड़ी है तो इस जमीन को एक्वायर करने की क्या जरूरत है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

यह जमीन १९५० में दी गयी थी पांच साल हो गये और अब तो १२ साल हो गये है पर अब भी उसमें कोई मकान नहीं बना है । यह जमीन किराये पर उठायी जाती थी और जिसमें वे लोग खेती कर रहे थे ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---

इसका असली कारण यह था कि ऐसे कामों को जो पानी आदि के सहूलियतें मिलती हैं वे सरकार ने नहीं दी । इसलिये देरी हुई ।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना है कि बिना पानी के बिल्डिंस कैसे बन सकती थीं । चूंकि उनको सुविधा नहीं मिली इस वजह से देरी हुई ।

श्री मुजफ्फर हसन—

अध्यक्ष महोदय असल में जब यह समझ लिया गया कि टी० बी० एसोसिएशन जमीन को इस्तेमाल नहीं कर रही है तभी यह जमीन एक्वायर की गयी ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री इसकी कोशिश करेंगे कि इसे किसी और जगह जमीन दिलवा दी जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

श्रीमन्, जमीन खुद ही हासिल करते रहते हैं ।

श्री संतसिंह यूसुफ—

यह क्वेश्चन सही है या गलत । अगर गलत है तो आप ठीक कर लीजिये । मेरी रिपोर्ट यह है कि यह पार्टीबाजी में किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि डी० आई० आर० को पार्टीबाजी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सरकार ने किसी पार्टीबन्दी से यह जमीन एक्वायर नहीं की है । यह जमीन हमारे लिये बहुत सुटेबिल थी । हमारा जो कारखाना था उसके करीब यह जमीन पड़ती थी । इस-लिये इसे ले लिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संतसिंह यूसुफ, अब समय समाप्त हो गया । वह जमीन तो निकल गयी, अब जैसा बलवान सिंह जी ने कहा कहीं और कोशिश करके सरकार जमीन दिलवा दे तो बहुत अच्छा होगा ।

[१४ अप्रैल, १९६४ के लिये निर्धारित]

तारांकित प्रश्न

बलिया जिले में सिंचाई

*१—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत पन्द्रह ब्लाक तथा तवानगर व मनियर ब्लाक में कौन-कौन ऐसे गांव हैं जिनकी सिंचाई नहर से नहीं हो पाती और जहां ट्यूबवेल भी नहीं है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

सूचना संलग्न तालिका संख्या १, २ व ३ में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९६४–९६६ पर ।)

*२—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या सिंचाई मंत्री सिंचाई से वंचित गांवों की सिंचाई की समुचित व्यवस्था शीघ्र करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

जैसा कि प्रश्न संख्या १ के उत्तर से संबंधित तालिकाओं से ज्ञात होगा कुछ गांवों में नहरों अथवा नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधायें पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है । किन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह व्यवस्था कब तक हो सकेगी ।

नोट—तारांकित प्रश्न २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

इलाहाबाद जिले में नलकूप

*३—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में इलाहाबाद जिले में कुल कितने ट्यूबवेल सरकार द्वारा कहां-कहां लगाये गये ?

श्री गिरधारीलाल—

इलाहाबाद जिले में वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में कोई नलकूप नहीं बनाया गया ।

*४—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में इलाहाबाद जिले में कुल कितने ट्यूबवेल लगाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

१० नलकूप ।

*५—श्री नाथूराम शिक्षक—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर का दक्षिणी भाग सिंचाई के साधनों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है तथा हजारों एकड़ भूमि सिंचाई की सुविधा न होने के कारण बेकार पड़ी है, क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विशेष रूप से नलकूप लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारी लाल—

जी नहीं, नलकूपों की कोई योजना नहीं है किन्तु रामगंगा योजना के अन्तर्गत नहरों द्वारा सिंचाई करने के लिये कुछ चेनेल्स बनाने के लिये छानबीन की जा रही है जिससे सिंचन सुविधा राम गंगा योजना के पूर्ण होने पर ही प्राप्त हो सकेगी ।

देवरिया जिले में विद्युतीकरण

*६—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चालू पंचवर्षीय योजना में देवरिया जिले में किन-किन स्थानों पर बिजली लगेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

जिला देवरिया में अब तक विद्युतीकरण के लिये चुनी गयी ९९ जगहों में से ९४ जगहों का विद्युतन हो चुका है और बाकी ५ जगहों का विद्युतीकरण उचित समय पर किया जायगा । इन जगहों के नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं । सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है और प्राविधिक दृष्टि से संभव पाये जाने पर अन्य जगहों का विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया जायगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९६७-९६८ पर)

गवर्नमेंट काउन्सेल फतेहपुर

*७—श्री सालिग्राम जैसवाल, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौंउन्सेल की नियुक्ति कितने समय से उपरोक्त स्थान पर है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

फतेहपुर जिले में तीन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट काउन्सेल हैं। उनके नाम और नियुक्ति की तारीख इस प्रकार हैं—

डी० जी० सी० सिविल	श्री श्यामसुन्दर पाण्डे	९–३–१९५९।
डी० जी० सी० क्रिमिनल	श्री ब्रह्म दत्त त्रिपाठी	१–१–१९६३।
डी० जी० सी० रेवेन्यू	श्री राजेन्द्र सहाय	२३–७–१९५९।

*८—श्री सालिग्राम जैसवाल, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट काउन्सेल प्रोबेशन पर हैं?

श्री सैयद अली जहीर—

डी० जी० सी० क्रिमिनल, श्री ब्रह्मदत्त त्रिपाठी १ जनवरी, १९६३ से प्रोबेशन पर हैं।

*९—श्री सालिगराम जैसवाल, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेन्ट कौंसिल, फतेहपुर के विरुद्ध फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट जजों ने १९ जनवरी, १९६२ तथा १७ जून, १९६२ को सरकार को नोट लिखा है? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री सैयद अलीजहीर—

जी नहीं।

*१०–११—काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती), श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) तथा श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[हटा दिये गये।]

बुन्देलखंड में बिजली की लाइनों से कटने वाले पेड़ों का मुआवजा

*१२—श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखण्ड के चारों जिलों में माताटीला डैम से जो बिजली दी जा रही है और उसमें बिजली के लिये जो लाइनें डाली जा रही हैं उसमें क्या किसानों के जो बगीचे उस लाइन में पड़ रहे हैं उनको काटा जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उन किसानों को जिनके फलदार वृक्ष काटे जा रहे हैं मुआविजा देगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। जहां तक काटे जाने वाले वृक्षों के मुआवजे के भुगतान का प्रश्न है, जिला अधिकारियों द्वारा वृक्षों के मूल्य निर्धारित किये जाने के बाद शीघ्र ही कर दिया जाता है।

जालौन जिले के लिये नहरें

*१३—श्री शिव सम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी और कौन-कौन माइनरें प्रस्तावित की गयीं?

श्री गिरधारीलाल—

जालौन जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तीन माइनरें जगदेवपुर, वियना, परेथा, प्रस्तावित की गई थीं।

*१४—श्री शिव सम्पति शर्मा—

क्या यह बात सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो माइनर प्रस्तावित की गई है वह अभी तक सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, झांसी के यहां पड़ी हुई है और वह अभी तक स्वीकार नहीं हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। उपरोक्त तीनों माइनरों के तखमीने (estimates) स्वीकृत किये जा चुके हैं।

*१५—श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तीन साल बीत गये और अभी तक प्रस्तावित माइनरों की स्वीकृति नहीं हो सकी इसलिये जो जालौन जिले में कृषि उत्पादन की हानि हुई उसकी जांच कराकर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रश्न नहीं उठता है।

फतेहपुर, गाजीपुर बस सर्विस के लिये प्रार्थना

*१६—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला फतेहपुर की फतेहपुर-गाजीपुर मार्ग पर सरकारी बस चलाने के लिये उस क्षेत्र की जनता की कोई दरख्वास्त उन्हें व उनके विभागीय अधिकारियों को दिसम्बर, सन् १९६३ ई० में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

दरख्वास्त के प्राप्ति के पश्चात फतेहपुर-गाजीपुर मार्ग का सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उक्त मार्ग पर सरकारी बसें चलाना अभी संभव नहीं है।

*१७—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिला फतेहपुर की किन-किन सड़कों पर सरकारी बसों के चलाने की योजना विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

फिलहाल फतेहपुर जिले के किसी भी मार्ग पर सरकारी बसों के चलाये जाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

बलिया जिले में घाघरा का कटाव

*१८—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले के अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा, तहसील बांसडीह में नदी घाघरा के तट पर स्थित कई बहुमूल्य मंदिर तथा भवन जो प्रसिद्ध महात्मा जंगली बाबा के नाम पर बने हुए हैं ? उन्हें घाघरा नदी के कटाव से बचाने की शीघ्र क्या सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

आजमगढ़ जिले में नलकूप

*१९—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने नलकूप सरकार ने स्वयं लगाये और कितने प्राइवेट फर्मों से लगवाये तथा दोनों प्रकार लगवाये गये नलकूपों का अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

फरवरी, १९६४ के अन्त तक जिला आजमगढ़ में सरकार द्वारा १७६ तथा प्राइवेट फर्म द्वारा ४१ नलकूप लगाये गये हैं। फरवरी, १९६४ के अन्त तक हुए वास्तविक व्यय (actual expenditure) के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

महादेवा मेला बस सर्विस

*२०—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रीजन के कैसरबाग महादेवा बस सेवा में फरवरी, १९६४ ई० में होने वाले महादेवा मेला में किस दिनांक से मेला बस स्टेशन तैयार कर चालू करने का आदेश हुआ है और कब मेला बस स्टेशन तैयार हो कर चालू हुआ तथा किस-किस तारीख को कितनी-कितनी बसें मेला में चली ?

श्री मुजफ्फर हसन—

८-२-६४ से मेला बस स्टेशन चालू करने का आदेश हुआ था और उसी तारीख से स्टेशन चालू हुआ।

मेले में चलने वाली गाड़ियों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९६९ पर)

*२१—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मेला बस स्टेशन की तैयारी में कितना धन ब्योरेवार खर्च किया गया क्या किसी अधिकारी ने कम खर्च में मेला बस स्टेशन तैयार करने का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो वह क्या था और उसे क्यों नहीं स्वीकार किया गया ? क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मेला बस स्टेशन पर रोशनी की क्या व्यवस्था थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

निर्माण के खर्चे की सूची संलग्न है। यह सही नहीं कि कम खर्चे में मेला बस स्टेशन तैयार करने का सुझाव किसी अधिकारी द्वारा दिया गया था। रोशनी के लिये गैस बत्तियों का प्रबन्ध किया गया था।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९७० पर)

रायबरेली डिवीजन में शारदा नहर के कर्मचारी रामप्रसाद का वेतन

*२२—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या यह सही है इलाहाबाद मनफोर्डगंज निगम, चौराहा, मकान नं० ३३४ में राम प्रसाद हरकारा जो कि २ साल से डी० आर० ओ० के घर पर काम करता है परन्तु वेतन रायबरेली से प्राप्त करता है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर उस हरकारा को डी० आर० ओ० से वेतन दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सही नहीं है कि इलाहाबाद मनफोर्डगंज निगम चौराहा मकान नं० ३३४ में राम प्रसाद हरकारा दो साल से डी० आर० ओ० के घर पर काम करता है। वह रायबरेली डिवीजन, शारदा कैनाल का कर्मचारी है और उक्त डिवीजन से वेतन प्राप्त करता है। अतः उसे डी० आर० ओ० से वेतन दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

बड़ागांव ब्लाक से जल निकासी

*२३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरसाती पानी की वजह से गांव जनकपट्टी, असवारी, बीकापुर, बराई की पूरी जमीन बंजारी पोखरी के डूब जाने से तहसील वाराणसी के ब्लाक बड़ा गांव में खरीफ की फसल नहीं हो पाती ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराकर सरकार बंजारी पोखरी से हमीरपुर होते हुये निमाइच के ताल से नाले में मिलाने हेतु एक ड्रेन का निर्माण सरकार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां, ग्राम जनक पट्टी, असवारी तथा बिकापुर के कुछ भाग में खरीफ की फसल किसी-किसी साल नहीं हो पाती है परन्तु ग्राम बराई की खरीफ की फसल को कोई भी हानि नहीं होती।

द्वितीय भाग—

इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने के बाद ही इस संबंध में कुछ निश्चित रूप से बताया जा सकेगा।

जोनिहां रजबहा को बढ़ाने की मांग

*२४—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें कृषि उत्पादन में वृद्धि करने निमित्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने विषयक फतेहपुर डिवीजन अन्तर्गत जुनिहां रजबहा को ६ फर्लांग बढ़ाने की मांग दिसम्बर, १९६३ में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संबंधित आवेदन-पत्र में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी और माँग के कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री गिरधारी लाल—

(१) जी हां।

(२) जुनिहां माइनर को ६ फर्लांग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौजा सरदारपुर का क्षेत्र जुनिहां माइनर के कुलाबा नं० २० और इसी के टेल तथा डीघ रजबहा के कुलाबा नं० ५२ के कमांड में आ जाता है इसलिये जुनिहां माइनर को इस मौजा के लिये बढ़ाने के कोई आवश्यकता नहीं है। गौरी ग्राम का कुछ हिस्सा शहबाजपुर माइनर के कुलाबा नं० ८ के कमांड में है और कुछ भाग को सिंचाई शहबाजपुर माइनर के बढ़ाव पर उपलब्ध होगी जिसकी आशा चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में रामगंगा रिजर्वायर के बनने पर है। शेष क्षेत्र जो कि नशे के पार है वह समतल नहीं है अतः जुनिहां माइनर का बढ़ाना आवश्यक नहीं है।

*२५—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

[७ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]।

जौनपुर बस स्टेशन पर मरसिडीज गाड़ियां तथा रोडवेज कर्मचारियों के लिये पास

*२६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर रोडवेज बस स्टेशनों पर बारात इत्यादि सार्वजनिक अवसरों पर किराये पर दी जाने वाली कितनी बसें रहती हैं और उनका प्रतिदिन किस दर से किराया लिया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मुंगरा बादशाहपुर बस स्टेशन पर बारात इत्यादि के लिये कोई बस नहीं रखी जाती है। जौनपुर बस स्टेशन पर दो मरसिडीज गाड़ियां रखी जाती है। किराया का दर संलग्न सूची में है।

(देखये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९७१ पर)

*२७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रोडवेज स्टाफ को यात्रा करने के लिये कोई पास की व्यवस्था है अथवा नहीं ? यदि हां, तो उनका पास किस श्रेणी के लिये होता है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

निजी कार्य के संबंध में यात्रा करने के लिये कोई पास देने का नियम नहीं है। सरकारी कार्य के लिये यात्रा करने पर ड्यूटी पास कर्मचारीयों को दिया जाता है। टी० ए० नियमों के अनुसार कर्मचारी जिस श्रेणी में यात्रा करने का अधिकारी होता है उसे ड्यूटी पास उस श्रेणी के लिये दिया जाता है।

झांसी जिले में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*२८—श्रीमती बेनी बाई—

क्या सरकार झांसी जिले के झांसी, मोंठ, गरौठा, मऊ इन चार तहसीलों में जहां कंकरीली नहीं है, लेकिन ऊबड़-खाबड़ होने की वजह से नहरे न निकाले जाने के कारण हजारों एकड़ भूमि बगैर सींचे रह जाती हैं, वहां जमीन का सर्वे कराकर शीघ्र ही ट्यूबवेल्स लगवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

यह क्षेत्र पथरीला है और यहां के पत्थरों को छेद कर नलकूप का निर्माण अत्यन्त कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त इन पत्थरों के नीचे पानी वाला स्तर (water leaving strata) भी मिलने की कोई आशा नहीं है। इन कारणों से यहां पर नलकूपों का निर्माण व्यवहार्य नहीं है।

कानपुर के कुछ भाग में बिजली का न होना

*२९—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगरपालिका के अन्तर्गत काकादेव, रावतपुर और बसवानपुर के हल्कों में अभी तक बिजली क्यों नहीं दी गयी है और क्या उनकी आवश्कता को देखते हुये इनमें शीघ्रातिशिघ्र बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

कानपुर नगर महापालिका की विकास योजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र सम्मिलित हो गये हैं और ज्योंही इन क्षेत्रों की विकास योजना अन्तिम रूप पा जायेगी, आने जाने की सड़कें बन जायेगी या उनका निर्धारण हो जायगा इनके विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

बस्ती रोडवेज स्टेशन पर आम के पेड़ की नीलामी

*३०—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि रोडवेज बस्ती के स्टेशन का आम का पेड़ माह नवम्बर, सन् १९६३ में कितने रुपये में नीलाम किया गया और उसका पैसा सरकारी कोष में कब जमा किया गया ? यदि देर से जमा किया गया, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

३७ रुपया में । यह सरकारी कोष में २० फरवरी, १९६४ को जमा किया गया । देर से जमा किया जाने का कारण था कि खरीदार जल्दी रुपया न दे सका ।

आजमगढ़ जिले में नलकूप

*३१—श्री गया प्रसाद—

क्या यह सच है कि जो नलकूप आजमगढ़ में सरकार द्वारा लगाये गये वे अधिकांश खराब निकले ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।
द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले में बिजली

*३२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले के जैदपुर, सिहदौर कस्बों को बिजली पहुंचाने का सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो इन कस्बों को कहां से बिजली दी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । इन कस्बों को देवीगंज रोड जंक्शन से १०.९८ मील लम्बी एक ११ के० वी० लाइन के निर्माण के पश्चात् बिजली दी जायगी ।

*३३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन कस्बों को बिजली मिलने लगेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

इन कस्बों को बिजली १९६४-६५ तक प्राप्त हो जायेगी ।

मेरठ डिवीजन में बस परमिट

*३४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर-देहली, बाया शामली मार्ग का राष्ट्रीयकरण कई वर्ष पूर्व हो जाने पर के बावजूद प्राइवेट बसें अब भी वहां चल रहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां ।

क्योंकि ५०बसों पर राष्ट्रीयकरण की योजना हाई कोर्ट के आदेश दिनांक ३१-१०-१९६१ व ७-२-१९६२ के अनुसार लागू नहीं की जा सकी ।

*३५—श्री ब्रह्म दत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन माह में मेरठ डिवीजन में किन-किन लोगों को किस-किस मार्ग के लिये बसों के परमिट दिये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९७२ पर)

*३६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

रोडवेज वर्कशाप, गाजीपुर से सेल्फ स्टार्टर गायब होना

*३७—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर रोडवेज वर्कशाप पर सेल्फ स्टार्टर गायब हो गया है ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । इस संबंध में अभी जांच हो रही है ।

*३८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बांसगांव को बिजली

*३९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया की बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले के बांसगांव ग्राम को जो तहसील का हेडक्वार्टर है और जिसकी आबादी लगभग ६ हजार है अब तक बिजली न देने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

गोरखपुर जिले के बांसगांव स्थान का विद्युतीकरण २ दिसम्बर, १९६० को हो चुका है ।

*४०—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस गांव में बिजली कब तक दे दी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता ।

*४१—श्री कल्पनाथसिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

पनियाली गांव की रक्षा

*४२—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ५ सितम्बर, १९६३ को हल्द्वानी, जिला नैनीताल में प्रश्नकर्ता की मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग से मुलाकात के वक्त सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग हल्द्वानी को पनियाली गांव के रक्षार्थ सुझाव दिये गये थे ? यदि हां, तो उनका पालन न होने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

दिनांक ५-९-६३ को हल्द्वानी में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा सहायक अभियंता हल्द्वानी को पनियाली गांव के रक्षार्थ दिये गये आदेश का पालन सहायक अभियन्ता ने किया और उन्होंने ६-९-६३ को मौके का निरीक्षण किया ।

*४३—श्री खुशीराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त समय के दौरान में ही पनियाली गांव के रक्षार्थ एस० डी० ओ०, भाबर ने भी कोई आवश्यक सूचना सहायक अभियन्ता हल्द्वानी को भेजी थी ? यदि हां, तो किस तारीख में यह सूचना सहायक अभियन्ता को प्राप्त हुई और उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—ऐसी कोई सूचना सहायक अभियंता को नहीं प्राप्त हुई ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*४४—श्री खुशीराम—

क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी द्वारा इस वर्ष पनियाली ग्राम के रक्षा हेतु सम्बन्धित नाले के बहाव को कन्ट्रोल में रखने की गत वर्षों से अपनायी गयी कार्यवाही में लापरवाही करने के कारण पिछले माहों में निर्मित लोहरियासाल पाइप लाइन भी टूट गयी तो क्या सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

इस पाइप लाइन की टूट फूट का पनियाली ग्राम बचाव योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न हीं उठता ।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में डाक-वाहक कण्डक्टरों का वेतन

*४५—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र में कुल कितने कण्डक्टर पोस्ट आफिस की डाक ढोने में कब से संलग्न हैं ? यदि हां, तो उन्हें अब तक कितने दिनों का डाक ढोने का पैसा दिया जा चुका है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

२५६ कण्डक्टर अगस्त, १९६२ से यह कार्य कर रहे हैं । उन्हें फरवरी, १९६४ तक का पैसा दिया जा चुका है ।

*४६—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डेली वेजेज कर्मचारियों को कितने साल काम करने के बाद रेगुलर करने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो गोरखपुर क्षेत्र में कितने डेली वेजेज कर्मचारियों को अब तक रेगुलर किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। गोरखपुर क्षेत्र में ३७ डेली वेजेज कर्मचारियों को रेगुलर पदों पर किया गया है।

कानपुर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्ति विषयक मेमोरेण्डम

*४७—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर), श्रीमती सुशीला रोहतगी तथा श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में जनवरी, १९६४ और फरवरी, १९६४ के बीच में जिला कानपुर के पुरुष एवं महिला आनरेरी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति जो सरकार ने की है उनके नाम क्या हैं और क्या सरकार बतायेगी कि जिला कानपुर आनरेरी मजिस्ट्रेट ऐप्वाइन्टमेंट ऐडवाइजरी कमेटी ने किस पुरुष एवं किन-किन महिलाओं के नाम आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाने के लिये प्रथम श्रेणी में भेजे थे और उन व्यक्तियों में कौन ऐसी अयोग्यतायें थीं जिनके कारण सरकार ने उक्त समिति की राय नहीं मानी ?

श्री सैयद अलीजहीर—

नियुक्त आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के नाम की सूची संलग्न है। अन्य उम्मीदवारों से सम्बन्धित सूचना गोपनीय होने के कारण उसको बताना जन हित में न होगा।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९७३ पर)

*४८—श्री राजनारायण मिश्र, श्रीमती सुशीला रोहतगी तथा श्री देवेन्द्रसिंह—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सन् १९६४ में जिला कानपुर के आनरेरी मजिस्ट्रेटों के रिक्त स्थानों पर जो नियुक्ति सरकार ने जिला कानपुर की आनरेरी मजिस्ट्रेट एप्वाइंटमेंट एडवाइजरी कमेटी की सर्वसम्मिति राय के विपरीत की है जिससे जनता में घोर असंतोष व्याप्त है और उसके विरोध में कानपुर के विधायकों का एक प्रतिनिधि-मण्डल न्याय मन्त्री से फरवरी, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में मिला था और कोई मेमोरण्डम भी दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—

एक मेमोरेण्डम प्राप्त हुआ था और कुछ माननीय सदस्य न्याय मंत्री से मिले भी थे।

इलाहाबाद रोडवेज कर्मचारियों को होली के अवसर पर वेतन न मिलना

*४९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन २६ फरवरी, १९६४ को होली के त्योहार के कारण देने के आदेश सरकार की ओर से भेजे गये ? यदि हां, तो परिवहन विभाग, इलाहाबाद में वह किस तिथि को प्राप्त हुये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। आदेश परिवहन विभाग इलाहाबाद में २४-२-६४ को प्राप्त हुये थे।

*५०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उपरोक्त आदेशानुसार रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय (आर० जे० ओ०) के कर्मचारियों को वेतन २६ फरवरी, १९६४ को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। चूंकि आर० टी० ओ० २४-२-६४ को आदेश प्राप्ति से पहले ही लखनऊ सरकारी कार्य के लिये प्रस्थान कर चुके थे अतः वेतन के बिल पर हस्ताक्षर न हो सकने के कारण ट्रेजरी से बिल पास न कराया जा सका।

*५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद ट्रांसपोर्ट आर० टी० ओ० के कर्मचारियों को होली के अवसर पर वेतन न मिलने के बारे में शिकायत सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो उनकी क्या शिकायत है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

घाघरा कटाव विषयक विधायक का पत्र

*५२—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामसुन्दर पांडेय, सदस्य, विधान सभा का दिनांक २१ फरवरी, १९६४ का लिखित-पत्र उन्हें तथा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, पूर्वी रेंज, लखनऊ, जिलाधीश आजमगढ़ और अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है, जिस में नये बांध बनाने के कार्यक्रम को रोकने तथा वण्डाल डाल कर करोड़ों की सम्पत्ति को घाघरा के कटाव से बचाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां यह पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है और इस विषय में सिंचाई अनुसन्धान संस्था, रुड़की द्वारा जांच कराई जा रही है।

राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन देने के लिये विधायक की संस्तुति

*५३—श्री दौलतलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामसुन्दर पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा का दिनांक १८ दिसम्बर १९६३ का लिखित-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें सन् १९४२ में गोली से घायल हुये राजनीतिक पीड़ितों को जिनकी गोली से शारीरिक क्षति है और सिविल सर्जन, आजमगढ़ ने आजीवन पेंशन देने की सिफारिश की थी, आजीवन पेंशन देने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। श्रीरामसुन्दर पान्डेय सदस्य विधान सभा का दिनांक १७ दिसम्बर, १९६३ का लिखित पत्र शासन को प्राप्त हुआ है।

२—उक्त पत्र में जिन तीन व्यक्तियों के राजनैतिक पेंशन संबंधी मामलों में श्री रामसुन्दर पांडेय ने संस्तुति की है उनमें से हर एक को पच्चीस रुपये मासिक पेंशन स्वीकार की जा रही है।

बरुआसागर नहर से सिंचाई

*५४—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि बरुआसागर, जिला झांसी में नहर का शिराव इस हद तक बढ़ गया है कि कृषि योग्य खेत पानी में डूबे हुए हैं जिससे कि किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है, और जिनके खेत पानी में डूबे हैं उनसे लगान भी वसूल कर लिया जाता है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा नहर का शिराव रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाया जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

बरुआ सागर नहर के दाहिनी ओर एक फर्लांग तक की दूरी में कुछ ऐसे खेत अवश्य हैं जो नहर की तली के लेविल से ३ से १० फुट तक नीचे हैं। जमीन राकड़ी (Rocked) किस्म की है जिसमें चुवान का पानी आ जाता है, किन्तु इसमें धान की फसल बहुत अच्छी होती है । अधिक नमी के कारण इन खेतों में रबी की फसल नहीं बोई जाती । इस क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा खेत हो जिसमें वर्ष भर में कोई न कोई फसल न बोई जाती हो । इसलिये अनुचित लगान वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता । शिराव रोकने के लिये नहर की दाहिनी पटरी तथा तली में पत्थर की पिचिंग आवश्यक मात्रा में लगा दी गई है, फिर भी जहां कहीं कंकड़ इसे तोड़ देते हैं, इनकी मरम्मत करा दी जाती है ।

*५५-५६—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में सिंचाई वसूली का स्थगन

*५७—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र के गांव चन्दन नगर, रामबाग तथा सुन्दरपुर गांवों में पूर्वी बंगाल से आये हुए विस्थापितों के १२० परिवारों के ऊपर पिछले सात वर्षों की नोटिस नहर पानी की वसूली के हेतु दिया गया है जब कि वहां नहर नहीं है और किसी ने सिंचाई हेतु पानी नहीं लिया है ? यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

यह कहना गलत है कि इन १२० विस्थापित परिवारों ने सिंचाई हेतु पानी कहीं लिया । किसानों को हर साल पर्चे बांटे जाते रहे हैं, किन्तु उन्होंने कभी कोई इस्तगासा दायर नहीं किया ।

जनवरी, १९६४ के अन्त में किसानों की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सरकार ने मामले में जांच पूर्ण होने तक सिंचाई-कर की वसूली स्थगित करने के आदेश के दिये हैं ।

*५८—६०—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६१—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

[हटा दिया गया ।]

गोंडा बस स्टेशन पर रनिंग रूम्स

*६२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार को मालूम है कि गोंडा राजकीय परिवहन स्टेशन पर कन्डक्टर तथा चालक के रात्रि में विश्राम करने के लिए रनिंग रूम पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र इनके लिये कुछ आवश्यक प्रबन्ध करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कथित स्थान पर दो पक्के रनिंग रूम्स बने हुए हैं जो सम्बन्धित कर्मचारियों के विश्राम के लिये पर्याप्त हैं ।

*६३—६४—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५-६६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[हटा दिये गये ।]

*६७—श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६८-६९—श्री रघुवीर, श्री विजयपालसिंह तथा श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

हथौरा रजबहा बढ़ाने की प्रार्थना

*७०—श्री मोहनलाल वर्मा तथा श्री पंचमदास (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हथौरा रजबहा, हरदोई डिवीजन का चौड़ा करने और उसे लम्बा करने की पैमाइश हो गयी ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

*७१—श्री मोहनलाल वर्मा तथा श्री पंचमदास—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समोधा, इनायतपुर, बघाड़ा, उसरहा धोलाई या चन्दनपुर इत्यादि गांव के लोग दो वर्ष से लगातार प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं कि इन गांवों में कोई सिंचाई का साधन नहीं है और हथौरा रजबहा बढ़ा दिया जाय ? यदि हां, तो उनके प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

जालौन जिले में सिंचाई सुविधाएं देने की प्रार्थना

*७२—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ४ फरवरी, १९६४ के प्रश्न सं० २६ के द्वितीय भाग में जो उत्तर दिया गया उसके बारे में दोबारा जांच करायेंगे, क्योंकि कमासिन दादों कच्ची

सड़क के केवल पूरब की भूमि ऊंची-नीची है पश्चिम की नहीं जिसमें होकर माइनर निकालने की बात उक्त ४ फरवरी, १९६४ के प्रश्न में कही गयी थी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस सम्बन्ध में पुनः जांच कराने के पश्चात् यह प्रतीत हुआ कि कमासिन दादों सड़क के पश्चिमी भाग की भूमि अधिकतर मार है। मार भूमि में पानी रोकने की अधिक शक्ति होती है, जिसके कारण इसमें केवल सूखा के सालों में पानी की आवश्यकता होती है। अतएव ऐसी भूमि में माइनर निर्माण करना लाभप्रद तथा उचित नहीं होता।

रोडवेज लखनऊ में अनियमित क्रय की जांच

*७३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, मार्च अथवा अप्रैल, १९६३ में राजकीय रोडवेज, लखनऊ क्षेत्र के किसी वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में कोई जांच सरकार द्वारा प्रारम्भ करायी गयी ? यदि हां, तो उक्त जांच किसके विरुद्ध थी, क्या तथ्य सामने आये तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अनियमित खरीद के एक मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है, यह जांच केवल किसी एक अफसर विशेष के विरुद्ध नहीं है, जांच का विवरण इस समय देना जनहित में न होगा।

*७४—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जांच के फलस्वरूप उक्त अधिकारी के ईमानदारी का प्रमाण-पत्र (इन्ट्रीगिटी प्रमाण-पत्र) भी रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि वह अभी भी अपने पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अनियमित खरीद से संबंधित अफसरों का सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र १९६२–६३ के वर्ष में रोक लिया गया, इन अफसरों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का अभी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जांच जारी है।

मुजफ्फरनगर जिले में नलकूपों को बिजली

*७५—श्री रामचन्द्रसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में १ अक्तूबर, १९६३ ई० से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक कितने प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

५८ कनेक्शन मंजूर हुए हैं।

*७६—श्री रामचन्द्रसिंह—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कनेक्शन में से कितने कनेक्शन कार्यान्वित हो गये हैं तथा जो कार्यान्वित हुए हैं वे क्रमानुसार ही हुये हैं या उनका अन्य कोई आधार रक्खा गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

उपरोक्त कनेक्शन में से अभी तक कोई कनेक्शन कार्यान्वित नहीं हुआ है।

*७७–७९—श्री रामप्यारे तथा श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

कृषि के लिये बिजली की दर

*८०—श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उर्वरकों तथा कृषि हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली बिजली की दरों में कमी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है?

श्री गिरधारीलाल—

उर्वरकों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली बिजली की दरों में कमी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। कृषि हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली बिजली की दरों को कम करने के विषय में एक सामान्य (General) प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, परन्तु अभी उस प्रस्ताव की ठीक-ठीक रूपरेखा निर्धारित नहीं है।

*८१–८२—श्री श्रीराम आदि—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८३–८४—श्री गयाप्रसाद—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८५—श्री शिवराज सिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८६—श्री विजयसिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८७–८८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

[हटा दिये गये।]

बुखरारी रजबहा से सिंचाई

*८९—श्री लखोसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमना रजबहा बुखरारी में नवम्बर, दिसम्बर, १९६३ व जनवरी व फरवरी, १९६४ में कितने हफ्ते पानी जारी रहा और उक्त रजबहे पर कितने एकड़ रबी की फसल की आबपाशी हुई?

श्री गिरधारीलाल—

आगरा नहर के बुखरारी रजबहा में नवम्बर, दिसम्बर, १९६३ व जनवरी व फरवरी, १९६३ में क्रमशः १४, २०, २७ तथा १३ दिन पानी जारी रहा। रजबहे में २५८६ एकड़ रबी की आबपाशी हुई।

*९०—श्री लखीसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रजबहे में सही पंसाल पर पानी न चलने के कारण फसल को क्षति पहुंची है ? यदि नहीं, तो पहले साल में इस रजबहे पर कितनी आबपाशी हुई थी ?

श्री गिरधारीलाल—

रजबहा उन दिनों के अतिरिक्त जबकि पानी की आवश्यकता कम थी पूरी पंसाल से चलाया गया। पानी की कमी के कारण फसल को कोई क्षति नहीं हुई। पिछले वर्ष रबी में रजबहे पर ३५२९ एकड़ आबपाशी हुई थी।

भोलानाथ कण्डक्टर की बहाली व बर्खास्तगी

*९१—श्री मंगलदेव—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भोलानाथ कण्डक्टर, मु० पो० दोहरी-घाट, जिला आजमगढ़ पर विभाग की ओर से कोई मुकदमा कायम किया गया था, जिसका निर्णय उनके पक्ष में १९६१ में हो चुका है ? यदि हां, तो निर्णय क्या है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्यों पुनः उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

श्री भोलानाथ ने नौकरी से अलग किये जाने की आज्ञा के विरुद्ध स्वयं दीवानी अदालत में दावा किया था जिसका निर्णय उनके पक्ष में हुआ। न्यायालय ने श्री भोलानाथ के विरुद्ध कार्यवाही को इस कारण अवैध पाया कि उनको जवाबदेही का समुचित मौका नहीं दिया गया था। न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन्हें बहाल कर दिया गया। पुनः नियमानुसार अनुशासकीय कार्यवाही के अनुसार दोषी पाये जाने पर उनको बर्खास्त कर दिया गया।

मथुरा-नौझील मार्ग पर प्राइवेट बस सर्विस

*९२—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

क्या यातायात मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा-नौझील मार्ग पर सरकारी रोडवेज बसें चलाने से पूर्व उस मार्ग पर कितने और कौन-कौन प्राइवेट बस परमिट होल्डर थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

केवल एक परमिट होल्डर श्री निरंजन सिंह, पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी डीग गेट, मथुरा थे।

*९३—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—

उक्त मार्ग पर रोडवेज चलाने के बाद इन निष्कासित प्राइवेट बस परमिट होल्डरों को किस-किस मार्ग पर प्राइवेट बसें चलाने के परमिट दिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उपरोक्त परमिट होल्डर को मथुरा-सोंख-गोवर्धन मार्ग, मथुरा-नौझील मार्ग की स्कीम द्वारा दिया गया था।

*९४—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या कुछ ऐसे भी प्राइवेट बस परमिट होल्डर उस मार्ग के रह गये हैं जिन्हें अभी तक अन्य रूट पर परमिट नहीं मिला है ? वह कौन-कौन हैं ? क्या

सरकार उन्हें किसी अन्य लाइन पर प्राइवेट बस का परमिट देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

बलरामपुर तहसील में बंधे

*९५—श्री सुखदेवप्रसाद (जिल गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर तहसील, जिला गोंडा के अन्तर्गत जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जनता के हित के लिए रामगढ़, मैटहवा, बलरामपुर बाजार के उत्तर झोहना आदि बन्धे बने थे जो कि अब मिट से गये हैं ? क्या सरकार उनके पुनः निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

इस प्रकार की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*९६—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सूखा, पाला से भुखमरी, बेरोजगारी से पीड़ित उक्त तहसील में डुंडवां नाले पर मदन चक्की के पास, कचनी नाले पर कोंहड़ीरा के पास बंधी बनाने की सरकार कृपा करेगी कि जिससे सैकड़ों गांवों की सिंचाई हो सकेगी, साथ ही रोजी भी मिलेगी ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

इस प्रकार की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

फतेहपुर जिले में विद्युतीकरण

*९७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में विगत दो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होने तक किन-किन स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका था, तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के विगत समय में किन स्थानों का तथा अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक किन ग्रामों में विद्युतीकरण होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

फतेहपुर जिले में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फतेहपुर, बिन्दकी और खजुहा स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मार्च, १९६४ तक आंग, मौहर, जहानाबाद और बिन्दकी रोड स्थानों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

निम्नलिखित ६ स्थानों का विद्युतीकरण १९६४–६५ में पूरा होने की सम्भावना है :—

१—देवमई, २—हुसुवा, ३—शाह, ४—रामपुर ताइअन, ५—खागा ६—शोंठ । सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, प्राविधिक दृष्टि से अन्य और जिन स्थानों का विद्युतीकरण उपयुक्त पाया जायेगा, उनका भी विद्युतीकरण हो जायेगा ।

*९८–९९—श्री विजयसिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर डिपो के फैज मुहम्मद ड्राइवर का बकाया

*१००—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय रोडवेज कानपुर रेंज के अन्तर्गत फतेहपुर डिपो में कोई फैज मोहम्मद नामक ड्राइवर है ? यदि हां, तो उसकी नियुक्ति किस सन् में उक्त पद पर हुई है और उसने किस कैटिगरी में और किन-किन डिपों में कार्य किया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। इनकी नियुक्त ९ मार्च, १९५४ को ड्राइवर के पद पर हुई थी और इन्होंने घाटमपुर स्टेशन पर तथा फतेहपुर डिपो में ड्राइवर के पद पर कार्य किया है।

*१०१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि छुट्टी के एरियर, वेतन और भत्ते से संबंधित उक्त ड्राइवर के दिनांक १९ अगस्त, १९६० से २७ मार्च, १९६३ व ८ जुलाई और १४ अक्तूबर, १९६३ तक के अनेक प्रार्थना-पत्र ए० जी० एम० व जी० एम० रोडवेज, कानपुर रेंज और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उसका सब-डिपो घाटमपुर व फतेहपुर डिपो का सन् १९५७ अप्रैल से अब तक का बीच-बीच का पैसा न देने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। देरी के कारणों की छानबीन की जा रही है और जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

*१०२—श्री ऊदल—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०३—१०५—श्री हरिगंनराम (जिला वाराणसी)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१०६—श्री रघुवीर—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०७—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

मेरठ क्षेत्र में प्राइवेट बस परमिट

*१०८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेरठ रेंज में १ जनवरी, १९६४ के बाद कोई बसों के परमिट जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उन व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९७४ पर)

*१०९-११०—श्री बासोराम जाटव (जिला इटावा)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१११—श्री घनश्यामदास (जिला बाराबंकी)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सिकन्दरा-अकबरपुर बस सर्विस

*११२—श्री राजनारायण मिश्र—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर की सिकन्दरा-अकबरपुर सड़क पर प्रदेशीय सरकार ने राजकीय रोडवेज की बसें चलायी थीं ? यदि हां, तो उक्त रोडवेज की बसें किस तारीख से किस तारीख तक चलीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । ये सेवाएं दिनांक ७-११-१९६० से ३०-११-१९६० तक चली थीं ।

*११३—श्री राजनारायण मिश्र—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सड़क पर राजकीय रोडवेज की बसों का चलना प्रारम्भ करने के समय कौन-सी सुविधायें थीं और उसको बन्द कर देने के समय कौन-सी समस्यायें थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त मार्ग के सिन्कदरा-बिहार भाग तक सड़क बन जाने के कारण तथा जनता की सुविधा के लिये रोडवेज सेवायें उक्त मार्ग पर चलाई गई थीं, परन्तु अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर, द्वारा इस मार्ग को मोटर चलाने के लिये अयोग्य घोषित कर देने के फलस्वरूप संचालन स्थगित कर देना पड़ा । अब इस पर पुनः विचार हो रहा है ।

न्यायाधीश के विरुद्ध कथित सूचना

*११४—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विगत ११ फरवरी, १९६३ ई० को माननीय नवलकिशोर जी, गृह उपमंत्री को नाथूराम शिक्षक द्वारा जिला इलाहाबाद के एक अवैतनिक न्यायाधीश के कारनामों के विरुद्ध विस्मित सूचना भेजी गयी थी ? यदि हाँ, तो वह क्या थी तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सैयद अली जहीर—

सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली ।

इलाहाबाद की बिजली कम्पनी

*११५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद की बिजली सप्लाई कम्पनी का (Contract) लाइसेंस कितने समय का था और क्या लाइसेंस का समय समाप्त होने पर बिजली सप्लाई कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जायगा अथवा कम्पनी को पुनः दिया जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड इलाहाबाद का लाइसेंस १७ सितम्बर, १९१४ से ५० वर्ष के लिये है । लाइसेंस की धारा १२ (१) क अनुसार कम्पनी को खरीदने का पहला

विकल्प (option) १६ सितम्बर, १९६४ को होता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने इस कम्पनी को लाइसेंस की अवधि की समाप्ति पर खरीदने का निश्चय कर लिया है।

*११६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतलावेंगे कि इलाहाबाद की बिजली कम्पनी शहर की घनी बस्ती में होने के कारण आस-पास मुहल्लों में खाने-पीने के सामान में कोयला-राख जाती है वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाने का इरादा है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। सप्लाई कम्पनी के पावर हाउस का स्थानान्तरण सम्भव नहीं है।

केसा कर्मचारियों की मांगें

*११७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित केसा के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर मार्च, १९६४ के प्रथम सप्ताह में भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी थे और उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। सात कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की थी। उनकी मांगों की सूची नत्थी किये ब्योरे में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९७५ पर)

*११८—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या माननीय विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

ये मांगें कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन द्वारा रक्खी गई थीं जो कि एक मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। अतः राज्य विद्युत् परिषद् इनकी मांगों पर विचार करने के लिये बाध्य नहीं है।

बुलन्दशहर जिले में अनूपशहर नहर शाखा

*११९—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में नरौरा डिवीजन अपर नहरगंग अनूपशहर शाखा लच्छिमपुर रजबहा ने ६ माह से कितने हफ्ते पानी दिया तथा चालू हफ्तों मे शनिवार की रात के दो बजे से लेकर रविवार के ३ बजे तक कितने हफ्ते बम्बा बन्द रखा गया ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला बुलन्दशहर में नरौरा डिवीजन के अन्तर्गत पिछले ६ माह के समय में (१-१०-६३ से ३१-३-६४ तक) अनूपशहर शाखा १७ हफ्ते चली है। रजबहा लच्छिमपुर जो इस शाख से निकलता है उक्त १७ हफ्तों के समय में ९ हफ्ते चला है। केवल १ हफ्ते में जो कि १६-११-६३ से प्रारम्भ हुआ था यह रजबहा सोमवार, ता० १८-११-६३ को सुबह ५ बजे तक बन्द रहा।

*१२०—श्री रघुपालसिंह—

क्या यह सही है कि लच्छिमपुर रजबहा पर बारबन्दी है जिसके कारण निश्चित समय में ही प्रत्येक काश्तकार को पानी मिलता है ? यदि हां, तो कितने किसान हैं जिनका नम्बर शनिवार की रात के २ बजे से रविवार के ३ बजे तक पड़ता है तथा क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि भविष्य में उन्हें पानी मिलने की कठिनाई न हो ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। ४५ कुलाबों में से ३८ पर बारबन्दी है। जिन कुलाबों पर बारबन्दी है कृषकगण निश्चित समय के अनुसार पानी लेते हैं। बारबन्दी के अनुसार निश्चित समय पर पानी लेने वालों की संख्या शनिवार को २ बजे रात से लेकर ३ बजे दिन तक १८० है। वैसे तो यदि कोई अदृश्य कारण न हो, राजवहा में पूरे सप्ताह पानी दिए जाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं।

*१२१—श्री भानुप्रताप सिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१—३—कुंवर रघुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

[हटा दिये गये।]

४—५—श्री सुखदेवप्रसाद—

[हटा दिये गये।]

वार सर्विस कैण्डीडेट के लिये एलेक्ट्रिकल मेकेनिकल असिस्टेण्ट के पद

६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि पी० एस० सी० यू० पी० ने नं० ५८८६ (आई०)/२०९—४७—४८, दिनांक २३ मार्च, १९४८ के तहत ४ पोस्ट एलक्ट्रिकल, मेकेनिकल असिस्टेन्ट टी० डब्लू० सर्किल के लिये वार सर्विस कैण्डीडेट के लिये रिजर्व थी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। उन लोगों के लिये रिजर्वेशन टैम्पोरेरी पदों में किया गया था।

७—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि उन लोगों की जो वार सर्विस कैण्डीडेट थे स्थायी पोस्ट थे ? यदि हां, तो फिर चीफ इंजीनियर ने मिसिल नं० ४३०७/१८—ए—१०९५, दिनांक १४ जुलाई, १९४९ के द्वारा उन पोस्टों को टैम्पोररी क्यों किया ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में जिस पत्र का संदर्भ दिया गया है वैसा कोई भी पत्र मुख्य अभियन्ता के यहां से जारी नहीं हुआ था।

लोअर गंगा कैनाल से गर्की

८—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लोअर गंज्जेज कैनाल के सहारे ४ मील से १६ मील तक नहर की वजह से गर्की बढ़ती जा रही है और हजारों बीघा जमीन बेकार हो रही

है ? क्या सरकार उस भूमि को उपजाऊ रखने के लिये गर्की दूर करने की बाबत कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

ऐसा नहीं है। लोअर गंगा कैनाल के मील ४ से १६ तक के सहारे गर्की की दशा साधारणतया वही है जो पहले थी और इस का उपजाऊ क्षेत्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस गर्की को दूर करने के लिये बहुत से चुआन नाले पहले से ही बने हुए हैं। इनके अलावा और कोई योजना इस विषय में प्रस्तावित नहीं है।

गौरी बाजार बस स्टेशन निर्माण के लिए टेण्डर

९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिला की गौरीबाजार रोडवेज बस स्टेशन-निर्माण हेतु टेण्डर पड़ चुका है ? यदि हां, तो टेण्डर खुलने की तिथि क्या है ? सब से कम टेण्डर किसने दिया है, टेण्डर हो जाने के बाद काम प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

टेन्डर ८—११—६३ को खुले थे। सब से कम टेण्डर श्री विजय प्रताप साही का था। अनुमान (एस्टीमेट) को रिवाइज करने की जरूरत हुई। इसलिये कार्य प्रारम्भ न हो सका।

रानीपुर का विद्युतीकरण

१०—श्रीमती बेनीबाई—

क्या सरकार झांसी जिला रानीपुर टाउन एरिया में जो मऊ से ६ मील की दूरी पर है मऊ में जनरेटर से लगी हुई बिजली से लाइन देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। रानीपुर कस्बे का विद्युतीकरण १९६४—६५ तक सम्पन्न होने की सम्भावना है।

भटनी ब्लाक में नलकूप

११—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिला के भटनी ब्लाक मिश्रौली दीक्षित व खोरीबारी रामपुर १ मई, १९६३ से ११ फरवरी, १९६४ के बीच में नलकूप लगने के लिये आवेदन-पत्र इस विभाग को मिले हैं और बतायेंगे कि उन गांवों में नलकूप कब लगाया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, ऐसे कुछ आवेदन-पत्र इस विभाग को प्राप्त हुए हैं। ग्राम मिश्रौली दीक्षित में नलकूप निर्माण व्यवहार्य नहीं है। ग्राम खोरीबारी रामपुर के कुछ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा ग्राम डिमसा में प्रस्तावित नलकूप से प्रदान करने का विचार है।

बुलन्दशहर जिले में इनायतपुर रजबहा

१२—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट शाखा मथुरा से निकला हुआ रजबहा इनायतपुर, जिला बुलन्दशहर में पिछले तीन वर्षों में कितने हफ्ते चला है और किसानों से पानी का कितना पैसा वसूल किया गया और १९६३ म कितना पानी दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

वांछित सूचना †संलग्न तालिका में दी है ।

दतौली ग्राम से सिंचाई के लिये प्रार्थना-पत्र

१३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की सदर तहसील के दतौली नामक ग्राम के ४०० से अधिक कृषकों के हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति-पत्र के साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करने निमित्त सिंचाई सुविधाओं के विस्तार करने हेतु फतेहपुर डिवीजन के अन्तर्गत—(१) जमैनी रजबहा को ४ फर्लांग बढ़ाने, (२) जमैनी से एक नयी शाखा दतौली ग्राम के लिए निर्मित करने, (३) गढ़ी रजबहा को ४ फर्लांग बढ़ाने विषयक दिसम्बर सन् १९६३ में उन्हें प्राप्त हुआ है तथा इसी आशय के आवेदन-पत्र नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६३ अथवा जनवरी, १९६४ में चीफ इंजीनियर लोअर गंगा नहर, जिलाधीश फतेहपुर, जिला नियोजन अधिकारी, फतेहपुर, तथा क्षेत्र विकास अधिकारी, असोथर को नागरिकों द्वारा प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित आवेदन-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । ऐसे दो प्रार्थना-पत्र दिनांक ३१-१-६४ व ५-२-६४ को प्राप्त हुए थे । प्रार्थीगण जमैनी तथा गढ़ी माइनरों को बढ़वाना तथा जमैनी माइनर से एक दूसरी माइनर निकलवाना चाहते हैं । इन नामों की कोई माइनरें फतेहपुर डिवीजन में नहीं हैं । शायद प्रार्थीगण मुतौर रजबहा का बढ़ाव तथा इस रजबहे से एक दूसरे माइनर दठौली ग्राम तक चाहते हैं, परन्तु मुतौर रजबहा का बढ़ाव उपयुक्त नहीं है, बल्कि संबंधित क्षेत्र की सिंचाई प्रस्तावित दटौली माइनर से की जा सकती है । यह माइनर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रामगंगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शामिल कर दी गई है ।

जैसा पहले कहा जा चुका है गढ़ी नाम की कोई माइनर नहीं है । फिर भी सतखरा माइनर तथा बड़ा गांव रजबहा की टेल ग्राम गढ़ी में समाप्त होती है । चूंकि यह क्षेत्र ऊंचा नीचा है अन्डुलेटिंग है, अतः इन शोकों के बढ़ाव का प्रस्ताव उपयुक्त प्रतीत नहीं होगा ।

कानपुर क्षेत्र रोडवेज कर्मचारियों का भत्ता व वर्दी

१४—श्री मदनपालसिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत आठ माह से कानपुर रीजन के ए० टी० आईज० तथा अन्य रोडवेज कर्मचारियों के टी० ए० बिल भुगतान को पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त उनका भुगतान करवाने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं । भुगतान हो चुका है ।

१५—श्री मदनपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सभी रीजनों में ए० टी० आईज० को ऊनी वर्दी दे दी गयी है तो कानपुर रीजन में न देने का क्या कारण है ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री मुजफ्फर हसन—

कानपुर में ऊनी कपड़े की सप्लाई देर से होने के कारण वर्दी अब तक न दी जा सकी थी। अब दी जा रही है।

१६—श्री मदनपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूती वर्दी, जो रोडवेज के कर्मचारियों को दी जाती है उसकी सिलाई नहीं दी जाती, इसका क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सिलाई दी जाती है।

रोडवेज विभाग के ए० टी० आई० को वर्दी

१७—श्री रघुवीरराम—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि रोडवेज विभाग के ए० टी० आई० को सन् १९६२–६३ व १९६३–६४ में जो वर्दी दी गयी है, वह बहुत ही खराब है, क्या सरकार उन को दूसरी वर्दी देने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जो वर्दी दी गई थी वह खराब नहीं थी। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

मोहम्मदी क्षेत्र के नलकूप

१८—श्री रामभजन (जिला खीरी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदी पच्छिम (खीरी) में तथा मोहम्मदी पूरब में कितने ऐसे नलकूप हैं जिन पर यूनिट बतलाने वाले मीटर नहीं हैं ? यदि हां, तो उक्त मीटर विभिन्न कूपों पर कितने दिनों से नहीं हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

खीरी जिले में मोहम्मदी पश्चिम व मोहम्मदी पूर्व ग्रुप में कोई ऐसा नलकूप नहीं है जिस पर यूनिट बतलाने वाला मीटर न लगा हो।

राल्हूपुर परगना में सिंचाई-व्यवस्था

१९—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी परगना राल्हूपुर के ग्राम सिधीवाली, जिवधीपुर कटरिया, हंडिया में सिंचाई का क्या प्रबंध है ? अगर नहीं है, तो क्या निकट भविष्य में कोई सिंचाई की व्यवस्था सरकार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९७६ पर)

हुसैनपुर नलकूप की नालियों में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

२०—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद, तहसील अकबरपुर के ग्राम हुसैनपुर में लगे ट्यूबवेल नं० ८७ के लिये जो नालियां बनायी गयी हैं उनका मुआवज किसानों को किस आधार पर दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम हुसेनपुर में नलकूप संख्या ८८ (न कि ८७) के लिये जो नालियां बनाई गई हैं उनका मुआवजा निम्नलिखित आधार पर दिया गया है :

(१) भूमिधर को मौरूसी लगान के रेट का चालिस गुना अथवा व मौजूद परता खाता लगान का अस्सी गुना उसमें जो भी अधिक था तथा उसके साथ साथ मौरूसी दर व परता खाता लगान के अन्तर का २० गुना और दिया गया है।

(२) सीरदार को लिये गये रकबे का मौरूसीदर का २० गुना तथा मौरूसी दर और परता लगान के अन्तर का २० गुना और दिया गया है।

२१—श्री रतीपाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिनके खेतों में से होकर नालियां नहीं गयी हैं क्या उन्हें भी नाली का मुआवजा दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, क्योंकि उनकी जो जमीन ली गई है उस पर भी गूल बनाने का प्रस्ताव है।

२२—श्री रतीपाल—

क्या यह भी सच है कि जिन किसानों के अधिक खेतों से होकर नालियां गयी हैं उनको सब से कम मुआविजा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। मुआवजा प्रश्न संख्या २० के उत्तर में बताये गये आधार पर दिया गया है।

प्राइवेट बसें

२३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है जिस पर प्राइवेट बसें चलाई जा रहीं हैं और उसकी लम्बाई क्या है तथा प्राइवेट बस ओनर्स के नाम क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

२४—श्री श्रीराम—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

फतेहगढ़-राजेपुर मार्ग सर्वेक्षण

२५—श्री महराजसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ से शाहजहांपुर रोड पर फतेहगढ़ से राजेपुर एक सिटी बस सर्विस चलाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस में कितनी प्रगति हुई है और कब तक बस सर्विस चालू कर दी जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

फतेहगढ़-राजेपुर मार्ग का सर्वे कराया गया, जिससे पता चलता कि इस मार्ग पर सिटी बस चलाना सुविधाजनक न होगा।

नहरों के चलने का समय

२६—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा की नहर से निकलने वाले रजबहे तथा गूलों के चलने का समय गांव सभा के प्रधानों को बता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में एसा प्रबन्ध करने का विचार है कि प्रधानों को ऐसी छपी हुई सूचना दे दी जाय ?

श्री गिरधारीलाल—

नहरों के चलने की तारीख व समय ग्राम प्रधानों को सीधा सूचित नहीं किया जाता है। आमतौर से अधिशासी अभियन्ता नहरों के चलाये जाने की साप्ताहिक सूचना जारी करते हैं जो कि संबंधित, जिला नियोजन अधिकारियों, जिला कृषक अधिकारियों व विकास अधिकारियों को भेजी जाती है और उसकी एक प्रतिलिपि तारघर के बाहर सूचना पट पर लगा दी जाती है। पतरौल इस पानी वितरण आदेशों की सूचना ग्राम सेवकों और ग्राम प्रधानों तथा काश्तकारों को देते हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि भविष्य में ग्राम सभा के प्रधानों को इस बात की लिखित सूचना दी जाये, क्योंकि ऐसा समय के अभाव के कारण संभव नहीं है।

कटवा ताल से ड्रेन निकालने की आवश्यकता

२७—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियंता, मूंसाखांड़ डैम डिवीजन, वाराणसी ने एक पत्र-संख्या १०३१८/ए-१(ए) दिनांक वाराणसी ४ दिसम्बर, सन् १९६२ श्री छविनाथ सिंह वकील के नाम लिखा था कि कटवा ताल की खोदाई (Flood Control Scheme) में ले ली जावेगी और ताल का पानी निकालने के लिये एक ड्रेन के (proposal) सरकार को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध अब तक क्या कार्यवाही की गयी और क्या स्कीम पास होकर आ गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इस ड्रेन का कार्य गरई नदी की खोदाई के बाद किया जा सकेगा जिसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने का विचार है।

२८—कुंवर रुक्मसिंह राठौर—

[हटा दिया गया।]

रायबरेली जिले में बसें देर से छूटने की शिकायत

२९—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज राय बरेली में बसें आवागमन तालिका के अनुसार क्यों नहीं छूटती ? क्या निकट भविष्य में इस दुर्व्यवस्था को ठीक करने का कोई प्रबन्ध सरकार करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अधिकतर बसें तालिका के अनुसार ही छूटती हैं। कभी २ गाड़ी खराब होने, मुसाफिरों के समय से गाड़ी में न आने तथा अन्य प्रशासकीय कारणों से छूटने में देरी हो जाती है। समय से गाड़ी छोड़ने का सदा प्रयत्न किया जाता है।

३०—श्री भगवानदीन—

क्या परिवहन मंत्री यह बतायेंगे कि बसों के लेट से छूटने की जिम्मेदारी वहां के स्टेशन अधिकारियों की है या नहीं ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुज्जफ्फर हसन—

जी हां, उनकी भी है। संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी जा चुकी है तथा यह भी आदेश दिये गये हैं कि कड़ी निगरानी रक्खी जाय।

नलकूप चालकों की चरित्र पंजिका

३१—श्री शिवराजसिंह तथा श्री जुगलकिशोर—

क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि नलकूप चालकों की चरित्र पंजिका में संबंधित गांव सभाओं के प्रधान द्वारा प्रविष्टि की सिफारिश की जायगी ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

माट ब्रांच का रजबहा बड़ौदा

३२—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोट का पुल, जिला बुलन्दशहर से जो बड़ौदा रजबहा निकलता है उसके कुलाबे उखाड़ कर ट्यूबवेल बनवाये गये हैं और ट्यूबवेल से सिंचाई की जा रही है, परन्तु अब ट्यूबवेल से ९०० एकड़ सिंचाई के बजाय ६०० एकड़ भूमि का सिंचाई का आदेश दिया गया है जिससे ३०० एकड़ की भूमि की सिंचाई नहीं होगी और नहर के कुलाबे पूर्व ही उखड़वाये जा चुके हैं तो क्या सिंचाई मंत्री जी पुनः कुलाबे लगवाने की व्यवस्था करेंगे जिस से ३०० एकड़ की सिंचाई हो सके ?

श्री गिरधारीलाल—

राजबहा बड़ौदा नहर मांट ब्रांच से जिला बुलन्दशहर में कोट के पुल से निकलता है। इस राजबहा के कुछ कुलाबे जहां नलकूपों की गूलें आबपाशी के लिये नहर की गूलों से मिला दी हैं उखाड़ दिये गये हैं। इन नहरी कुलाबों के कमांड का क्षेत्र ट्यूबवेल डिवीजन (पश्चिम) को स्थानान्तर कर दिये गये हैं।

इन नलकूपों पर निमित सिंचाई क्षेत्रफल ८०० एकड़ प्रतिकूप से अधिक नहीं है। वर्तमान काल में इन कूपों से कोई निमित्त सिंचाई क्षेत्रफल नहीं काटा गया है। कूप के तमाम क्षेत्रफल की सिंचाई हेतु पक्की और कच्ची गूलें आवश्यकतानुसार बनवा दी गई हैं। इस प्रकार जो कुलाबे उखड़ चुके हैं उनको पुनः लगवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

३३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया तहसील में पानी-निकासी

३४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के देवरिया तहसील के परगना सिलहट तथा मदनपुर के मनिहरपुर हंडवा, तेतरिया, जमिरा आदि के बीच में जो ताल है उसके पानी निकासी के लिये कौन सा उपाय किया गया है तथा उस पानी निकासी से कितने एकड़ फसल और किन-किन गांवों को आबादी के नुकसान की बचत होगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सिंचाई विभाग द्वारा इस ताल से पानी निकासी की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है ।

रजबहा मैन कलदा पर पुल न होना

३५—श्री जसरामसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजबहा मैन कलदा, जिला बुलन्दशहर के ८ मील ६ फर्लांग पर एक गाड़ी उतार पुल बनने का पत्र व्यवहार लगभग १० वर्ष से चल रहा है ? वह पुल कब तक बनने की संभावना है ?

श्री गिरधारीलाल—

मैन कलदा रजबहे के ८ मील ६ फर्लांग के ऊपर पैदल पुलिया के स्थान पर गाड़ी के पुल बनाने हेतु श्री राम जी लाल शिशोदिया, प्रबन्धक एवं संस्थापक, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, प्रहलादनगर जिला बुलन्दशहर का प्रार्थना पत्र १९५७ में प्राप्त हुआ था । उक्त प्रार्थना पत्र की जांच करने के पश्चात् शासन ने पैदल पुल के स्थान पर गाड़ी के पुल को न बनाने का निर्णय लिया और इसकी सूचना प्रार्थी को भी दी जा चुकी है । अतः उल्लिखित पुल को बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी-दानगंज बस सर्विस

३६—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी आजमगढ़ रोड पर वाराणसी-दानगंज के बीच कुछ ऐसी रोडवेज बस की यथाशीघ्र व्यवस्था करेंगे कि जो इस दूरी में बाजार या अन्य महत्वपूर्ण कई स्थानों में रुककर स्थानीय जनता की यात्रा की सुविधा को पूरा कर सके ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस समय वाराणसी, दानगंज, के बीच १३ अप तथा १३ टाउन सेवा में चलती है । ये गाड़ियां उक्त स्थानों के बीच वाराणसी कचहरी, पान्डेपुर, बेलवा बाबा, चमरहा, चोलापुर और घर सोना में रुकती हैं । इसलिये वाराणसी और दानगंज के बीच अलग गाड़ियां चलाने की आवश्यकता नहीं है ।

फर्रुखाबाद जिले में बस स्टेशनों की मरम्मत

३७—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद-कन्नौज तिर्वा-छिबरामऊ तथा बेवर-मैनपुरी बस स्टेशनों पर पुताई व मरम्मत कितने सालों से नहीं हुई है तथा क्यों ? क्या इन स्थानों की पुताई का खर्चा जनरल मैनेजर कानपुर के यहां से वसूल कर लिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कथित बस स्टेशनों पर पिछले वित्तीय वर्ष (१९६३-६४) में पुताई व मरम्मत का कार्य हुआ है । इसके खर्चे का भुगतान जनरल मैनेजर, कानपुर द्वारा कर दिया गया है ?

३८-३९—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

उन्नाव जिले को बिजली

४०—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में गांवों व कस्बों को बिजली देने का क्या आधार रक्खा गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

मार्च, १९६३ तक गांवों व कस्बों के विद्युतीकरण के लिये चुनाव पांच वर्ष की विद्युत् शक्ति की मांग को ध्यान में रखते हुये किया जाता था। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह देखा जाता था कि कितना व्यय उस पर होगा तथा विद्युत् शक्ति की बिक्री से कितना लाभ होने की आशा है।

विद्युतीकरण के कार्य में अधिक शीघ्रता लाने के लिये राज्य विद्युत् परिषद् ने आर्थिक दृष्टिकोण से विद्युतीकरण की जांच बन्द कर दी है और अप्रैल, १९६३ से यह निश्चय किया कि उन सब स्थानों का विद्युतीकरण किया जाये जिनके लिये १००० जनसंख्या पर १–१/२ मील लम्बी लाइन बनाना पड़े।

४१—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन गांवों व कस्बों को बिजली देने की योजना है और योजना-काल के प्रथम तीन वर्षों में उनमें से किन–किन गांवों व कस्बों को बिजली दी जा चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला उन्नाव के मौरावां, हिलाली, पुरवा, ऊगू, गंज मोराबाबाद, अस्वथतार लुकवान और खुरसत स्थानों को विद्युतीकरण के लिये चुन लिया गया है। इन स्थानों में से तृतीय पंचवर्षीय योजना में खुरसत का ही विद्युतीकरण अभी तक हुआ है।

बाराबंकी जिले को बिजली

४२—श्री घनश्यामदास—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के रामनगर ब्लाक के किन–किन गांवों में कब तक बिजली पहुंच जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

विद्युतीकरण किये गये तथा किये जाने वाले स्थानों की सूची ब्लाकों के अनुसार नहीं रक्खी जाती, बल्कि जिलों के अनुसार रक्खी जाती है। अभी तक तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में दिये गये २३ स्थानों को विद्युतीकरण के लिये चुना गया। उनमें प्रथम १० स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है। बाकी स्थानों का विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष १९६४–६५ तक हो जाने की संभावना है।

(देखये निशानी 'ठ' आगे पृष्ठ ९७७ पर)

४३—श्री घनश्यामदास—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के हरियावाद ब्लाक के किन-किन गांवों में कब तक बिजली पहुंच जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

उपरोक्त प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर के अनुसार।

४४–४६—श्री उग्रसेन—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गंगा नहर की सैना माइनर

४७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैना माइनर, गंगा नहर, मेरठ डिवीजन में सिंचाई से जो पानी बच जाता है उसके निकास की इस माइनर की टेल से क्या व्यवस्था है ? यदि कोई उचित व्यवस्था नहीं है तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

सैना माइनर के छोर पर बहुत कम पानी बचता है, किन्तु जो भी जल शेष रहता है, वह नीम नदी में चला जाता है । इस स्थान पर कोई नियमित स्केप नहीं है, और न ही यहां कोई स्केप बनाने का प्रबन्ध किया गया है क्योंकि पानी इस तादाद में नहीं बचता जो कोई हानि कर सके। इसके अलावा इस माइनर में बहते हुए जल की मात्रा को उसके उद्गम पर बने एक पेंचदार फाटक द्वारा नियन्त्रित किया जाता है ।

४८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि ग्राम लाड़पुर, जिला बुलन्दशहर के कृषकों ने कितनी ही बार सरकार से प्रार्थना की कि सैना माइनर की टेल से जो बचत का पानी खारिज होता है वह उनके खेतों में फैलकर एक बहुत बड़े क्षेत्रफल की फसलों को हर वर्ष नष्ट कर देता है लिहाजा उस पानी के निकास की कोई उचित व्यवस्था की जाय इस पर सरकार ने अब तक क्या ध्यान दिया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया ?

श्री गिरधारीलाल—

इस संबंध में ग्राम लाड़पुर के कृषकों के प्रार्थनापत्र मिले हैं, किन्तु स्केप बनाने की योजना अभी तक प्रस्तावित नहीं की गई है, क्योंकि माइनर के छोर पर अधिक जल नहीं बचता । छान-बीन से पता चला है कि छोर पर स्थित क्षेत्रफल की फसल को कभी कोई हानि होते हुए नहीं देखी गई ।

४९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैना माइनर की टेल से जो बचत का पानी खारिज होता है उसको करीब ही लाड़पुर माइनर में क्यों नहीं डाल दिये जाने की सिंचाई विभाग की ओर से अब तक व्यवस्था की गई, जिससे कि लाड़पुर के कृषकों को जो हर वर्ष हानि पहुंचती है, बचाया जा सके ? इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री गिरधारीलाल—

ऐसी कोई व्यवस्था इसलिये नहीं की गई है, क्योंकि लाड़पुर माइनर के छोर पर भी कोई स्केप नहीं है जिसके द्वारा सैना माइनर के बचे हुए जल को आगे बढ़ाया जा सके और न ही उसकी कोई आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रश्न का उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला बलिया)—

आज के एजेंडे में मेरा प्रश्न संख्या ३३ अतारांकित है, इसका जो निचला भाग है उसका जवाब हमको नहीं मिला है । या तो आप इसे स्थगित करवा दीजिये या फिर जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दीजियेगा मैं जवाब दिलवा दूंगा ।

भारतीय वन (उत्तर प्रदेश) नियमावली १९६४*

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, वन (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १७५७/१४—क—५१९—६०, दिनांक २३ मार्च, १९६४ के अधीन प्रख्यापित भारतीय वन (उत्तर प्रदेश) नियमावली, १९६४ को, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा ३८ एम की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कौनियल ग्रांपिटग विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

मैं, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश कोनियल ग्रांपिटग विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ड'- आगे पृष्ठ ९७८—९८० पर)

राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत निर्दिष्ट विषय के सम्बन्ध में विचार करने हेतु समिति का निर्माण

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मैं दे दूं । कल मैंने जैसा निवेदन किया था एक पैनल में बनाना चाहता हूं जो प्रश्न १४३ अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रस्तुत है उसमें वह सहायता देगा। मैंने उसमें सर्वश्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, कमलासिंह यादव, दीपनारायणसिंह, चन्द्रजीत यादव, नेकराम शर्मा कृष्णानन्द राय, नवल किशोर, बृजभूषणशरण तथा वीरसेन जी को रखा है और जो माननीय सदस्य इसमें अपना सहयोग प्रदान करना चाहें वे मुझे सूचित कर देंगे । जो पैनल इस समय मैंने बनाया है उसके सदस्य कृपया मेरे पास सायंकाल ४ बजे आ जायं ताकि मैं उनको फर्दर डेवलपमेन्ट आज तक के बतला दूं । इस संबंध में मेरी प्रार्थना माननीय न्याय मंत्री से भी यही होगी कि वे भी कृपया ४ बजे आ जायं और उनसे कुछ बातचीत हो जायगी उस संबंध में जो नोट उन्होंने कल भेजा था ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जो ११ तरीख को आपने समिति बुलाई थी उसमें तय हुआ था कि बाहर से शाक्कास से कांटेक्ट किया जायगा, उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कांटेक्ट कर लिया है । जो आदरणीय सदस्य इस संबंध में दिलचस्पी रखते हैं वे मुझ से मिल लें, मैं उनको सब बता दूंगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

ऐसा तो नहीं है कि मामला खटाई में जा रहा है ?

---

*छापी नहीं गई ।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझ पर विश्वास नहीं रखते, तो अपनी समिति बना लें। आप विश्वास कीजिये मैं सबसे सम्पर्क स्थापित कर रहा हूं और जो भी शंका हो, आप मुझसे मिल लें, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

इस पेनल में अधिकतर वकीलों को ही रखा गया है और वकील लोगों ने ही सदन को इस उलझन में डाल दिया है। उनसे बच कर रहना चाहिये। जन-साधारण का जो दृष्टिकोण है उसे कैसे व्यक्त किया जायगा? उसके लिये मेरा निवेदन है कि जनसाधारण से आने वाले जो लोग हैं वकीलों के अतिरिक्त, उनकी राय भी आप जानने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो निवेदन किया कि जो भी इस आदरणीय सदन के सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हों और मुझे परामर्श देना चाहते हों, उनका मैं स्वागत करूंगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

पाण्डेय जी ने जो कहा वही मैं कहता हूं कि वकीलों ने हमें खतरे में डाल दिया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

एक बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, आप कृपा कर के बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का छठां कार्यसम्परीक्षण प्रतिवेदन†

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का सहकारी नलकूप योजना से संबंधित छठां कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन†

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इन रिपोर्ट्स के प्रस्तुत करने के पहले आपकी एक आज्ञा चाहता हूं। आज एजेन्डा में चार रिपोर्ट्स सदन के समक्ष प्रस्तुत करनी हैं। सदन की एक परम्परा सी रही है कि एक संक्षिप्त विवरण आपकी आज्ञा से हर रिपोर्ट के बारे में प्रस्तुत हो जाता है सदन की जानकारी के लिये। तो चारों संक्षिप्त विवरण पढ़ने में समय अधिक लगेगा। इसलिये यदि आप आज्ञा दें तो आज मैं केवल दो प्रस्तुत कर दूं और दो आगे कर दूंगा जिससे कि समय की कुछ बचत हो सके।

श्री अध्यक्ष—

बाकी दो अब आप कब प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

आप से आज्ञा लेकर डेट ले लेंगे।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

आज कौन से प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---

५ और ६ ।

श्री अध्यक्ष---

७ और ८ कब प्रस्तुत करेंगे ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---

जो भी तिथि आप निश्चित करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छी बात है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्राक्कलन समिति का विद्युत् विभाग से सम्बद्ध प्रतिवेदन, जो कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन एवं उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् से संबंधित है, सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने जब प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में अन्य कतिपय विभागों के साथ विद्युत् विभाग को चुना था तो उसमें उसका उद्देश्य यह था कि द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो भारी विद्युत् परियोजनायें सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, उनसे संबंधित प्राक्कलनों को वह सूक्ष्म रूप से परीक्षण करने, उनमें मितव्ययिता लाने, परियोजनाओं को समय के भीतर पूरा करने तथा उनके संगठन में कार्यपटुता लाने के संबंध में अपना सुझाव सदन में प्रस्तुत करें ।

मैं खेद के साथ आपके ज्ञान में यह बात लाता हूं कि विद्युत् विभाग को बार बार स्मरण कराने पर भी, वांछित सूचना समय पर प्राप्त न हो सकी और समिति को विभाग की उदासीनता और लापरवाही के कारण विवश होकर निश्चित करना पड़ा कि वह एक सीमित प्रतिवेदन 'केसा' तथा राज्य विद्युत् परिषद् के विषय में प्रस्तुत कर के संतोष करे । अतः संबंधित प्रतिवेदन केवल इन्हीं के विषय में है ।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि १ अप्रैल, १९५९ से राज्य विद्युत् परिषद् का गठन किया गया है, परन्तु उसके उपरान्त विद्युतीकरण की दिशा में जो प्रगति होनी चाहिये थी समिति के मत में वह नहीं हुई ।

समिति ने देखा कि प्रायः सभी परियोजनाओं में प्रारम्भिक प्राक्कलन से वास्तविक व्यय में बड़ा अन्तर हो गया है। समिति के मत में यह आय-व्यय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है । अतः समिति ने यह सिफारिश की है कि परियोजना बनाते समय पूर्ण स्थिति तथा प्रत्येक संभावित परिस्थिति को ध्यान में रखकर परियोजनायें बनाई जायं और केवल मानवीय शक्ति के बाहर किसी असाधारण परिस्थिति के उत्पन्न होने की दशा में ही उसमें परिवर्तन किये जायं । समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की है कि कृषि प्रयोग के लिये और अधिक बिजली उपलब्ध कराई जाय । अभी उत्पादन का केवल ८ प्रतिशत कृषि उपयोग के लिये बिजली दी जा रही है । इसी प्रकार कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग के लिये भी अधिक बिजली उपलब्ध कराने की सिफारिश समिति ने की है । समिति की सिफारिश है कि कृषि उद्योग और बिजली विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बना दी जाय जो इन विभागों में बिजली वितरण की व्यवस्था निश्चित करे । समिति ने देखा कि अधिकतर प्राइवेट कम्पनियों की व्यवस्था ठीक नहीं है और उनके द्वारा दी जाने वाली बिजली की दरें भी बहुत अधिक हैं । अतः समिति

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

ने यह भी सिफारिश की है कि जब इनके लाइसेंस समाप्त हों तो उनके उपकरणों को विद्युत् परिषद् अपने नियंत्रण में ले लें ।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में समिति ने इस बात को बड़ी चिन्ता के साथ देखा कि इतने उच्चस्तरीय टेक्नीकल विशेषज्ञ होते हुए भी, वहां प्रायः संकट उत्पन्न हो जाता है । अतः समिति ने सिफारिश की है कि एक उच्चस्तरीय समिति इस बात की जांच करने के लिये बनाई जाय जो यह देखे कि इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है और उस पर किस प्रकार का उपाय किया जा सकता है ?

प्राक्कलन समिति का छठां प्रतिवेदन*

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का यह छठा प्रतिवेदन, भी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । यह एक महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन है और मुझे विश्वास है कि इसमें की गई सिफारिशों की ओर यदि सरकार द्वारा समुचित ध्यान दिया गया तो माध्यमिक शिक्षा के प्रसार तथा उसके स्तर में वृद्धि लाने में सहायता मिलेगी । समिति ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः सभी विषयों के संबंध मे विचार किया और अपने सुझाव प्रस्तुत किये । मैं संक्षेप में केवल कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशों का ही उल्लेख इस समय करूंगा ।

समिति ने विभाग तथा निदेशालय के पुनस्संगठन के सुझाव के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि शिविर कार्यालय बन्द कर दिया जाय और उसे इलाहाबाद में ही रखा जाय । परिणामस्वरूप अतिरिक्त शिक्षा निदेशक तथा कुछ अन्य पदों को समाप्त करने की सिफारिश समिति ने दी है । निदेशालय में ४६८ कर्मचारियों में २३१ कर्मचारी इस समय अस्थाई हैं । समिति के मत में अस्थायित्व का दक्षता पर बहुत प्रभाव पड़ता है । अतः समिति की सिफारिश है कि अस्थाई पदों को यथाशीघ्र स्थाई किया जाय । माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के संबंध में समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे विषय होने चाहिये जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों । पाठ्यक्रम का चयन नये ढंग और सामाजिक ढांचे तथा भविष्य को लक्ष्य में रखकर निर्धारित करना चाहिये तथा बालिकाओं के लिये विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिये ।

प्राविधिक वर्ग की शिक्षा समिति के मत में अभी तक सफल नहीं हुई है । अतः समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि प्राविधिक वर्ग की शिक्षा में सुसंगठित और आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाय और उसके अन्तर्गत ऐसे विषय शामिल किये जायं जो विद्यार्थियों के जीवन में काम आ सकें ।

श्रीमन्, वर्तमान युग में विज्ञान की शिक्षा का महत्त्व सर्वविदित है । समिति ने अपने प्रतिवेदन में विज्ञान शिक्षण में हुए कार्य पर असंतोष प्रगट किया । विज्ञान शिक्षण के मार्ग में एक बड़ी रुकावट यह है कि पर्याप्त संख्या में ट्रेन्ड साइंस टीचर नहीं मिलते । अतः समिति ने यह सिफारिश की है कि साइंस टीचर के लिये विशेष वेतन-क्रम निर्धारित किया जाय और यदि ट्रेंड साइंस टीचर्स न मिलें तो अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण अनट्रेन्ड साइंस टीचर को ही वही ग्रेड देकर नियुक्त किया जाय ।

शारीरिक शिक्षा के संबंध में समिति की धारणा यह है कि खेल कूद की व्यवस्था अधिकतर स्कूलों में नहीं है और अधिकांश स्कूलों के पास, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, खेल के मैदान नहीं हैं । समिति विद्यालयों में अनुशासन हीनता के कारणों में एक यह भी समझती है कि वहां खेल कूद के लिये साधन उपलब्ध नहीं है । अतः समिति ने सिफारिश की है कि स्कूलों में खेल के मैदान तथा

*छापा नहीं गया ।

अन्य साधन उपलब्ध करायें जायं, स्काउटिंग तथा गर्ल गाइडिंग को प्रोत्साहन दिया जाय। समिति ने अध्यापकों के प्रशिक्षण व्यवस्था को अपर्याप्त बताया। प्रारंभिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की प्रदेश में बहुत कमी है। समिति यह महसूस करती है कि प्रशिक्षण का कार्य सरकारी ट्रेनिंग कालेजों द्वारा करके इस कमी को पूरा करना निकट भविष्य में संभव नहीं है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि ऐसे गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को, जो अच्छे स्तर की ट्रेनिंग दे सकें, यह विशेष सुविधा प्रदान की जाय कि वे शिक्षण क्लास आरंभ करें। माध्यमिक कक्षाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण की जो व्यवस्था गैर सरकारी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में है, उससे प्रशिक्षण का स्तर समिति के मत में गिरा है। अतः समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और केवल योग्य व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिया जाय। अध्यापकों की स्थिति सुधारने हेतु समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को लागू करते हुए जो वेतन-क्रम राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उपलब्ध है, वही गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी प्राप्त होना चाहिये। इसी प्रकार अन्य कर्मचारियों में भी जो असमानता है, उसके लिये भी दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

प्रायः यह शिकायत सुनने में आती है . . .

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत लम्बी हो रही है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। प्रायः यह शिकायत सुनने में आती है कि अध्यापकों को जो वेतन दिया जाना दिखाया जाता है, वास्तव में उतना नहीं दिया जाता और उनसे केवल हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। समिति ने इस संबंध में यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि अध्यापकों के वेतन चेक द्वारा या पोस्ट आफिस द्वारा देने की प्रथा चालू की जाय। अध्यापकों के लिये समिति ने ट्रिपिल बेनिफिट के नाम की दूसरी सुविधा देने का भी सुझाव प्रस्तुत किया है। इस योजना के अनुसार अध्यापक का जो कन्ट्रीब्युशन होगा, वह तथा सरकार और मैनेजमेन्ट द्वारा जो कंट्रीब्युशन दिया जायगा उस सबको मिलाकर पूल कर दिया जाय और अध्यापक की सेवा काल की समाप्ति पर उसके द्वारा दिये गये धन को प्राविडेन्ट फन्ड के रूप में दिया जाय और शेष धन उसे पेंशन के रूप में दिया जाय।

समिति ने जातिवाद और साम्प्रदायिकता पर आधारित विद्यालयों के विरुद्ध भी अपना मत व्यक्त किया है और यह सिफारिश भी की है कि ऐसे विद्यालयों को सरकार की ओर से सहायता न दी जाय।

अनुशासनहीनता के बारे में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। निःशुल्क शिक्षा के बारे में समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि दसवें दरजे तक निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान सरकार जल्दी से जल्दी करे और यह निःशुल्क शिक्षा आय के आधार पर दी जाय तथा ज्यों ज्यों साधन बढ़ते जायं उसको बढ़ाया जाय। माध्यमिक शिक्षा के विषय में विचार करते समय समिति ने एडेड इंस्टीट्यूशंस की स्थिति पर विचार किया और यह सिफारिश की कि इनका वर्गीकरण किया जाय और ऐसे इस्टीट्यूशंस जिनका स्तर बहुत नीचा है, जो अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। समिति ने बोर्ड आफ इंटरमीडिएट एडूकेशन के विकेन्द्रीकरण की भी शिफारिश की है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से माननीय शरण साहब ने जो रिपोर्ट पेश की है, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि उसकी जो सिफारिशें हैं वह मेंडेटरी होंगी या डाइरेक्टरी होंगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं फाइनल नहीं बता सकता हूं, आपने बड़ा मुश्किल सवाल मेरे सामने रख दिया, लेकिन जहां तक मैंने अध्ययन किया है, वह यह है प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष जाती है। कैबिनेट उस पर विचार करती है और फिर कैबिनेट अपनी रिपोर्ट भेजती है प्राक्कलन समिति के समक्ष, और फिर वह रिपोर्ट प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का हिस्सा बन जायगा। फिर आपको अधिकार होगा कि उसके ऊपर चाहे बजट के समय या अन्य प्रकार से उस पर बिचार करें। इसको मैं देख लूंगा, फिर निवेदन कर दूंगा।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय मिश्र जी ने उठाया है, इस कमेटी का निर्माण सदन करता है, सदन के बिहाफ पर यह कमेटी काम करती है। आपकी व्यवस्था है कि जैसे ही सभापति द्वारा सदन के समक्ष समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है यह मान लिया जाता है कि सदन ने उस रिपोर्ट को अडाप्ट कर लिया। फिर उसकी स्थिति हो जाती है मानो वह सदन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन है। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रतिवेदनों में जो सिफारिशें दी जाती हैं वह सदन की सिफारिशें होती हैं। अतः इस मामले में आपको बहुत स्पष्ट व्यवस्था देनी चाहिये। यह सिफारिशें सरकार के ऊपर बाध्यता के रूप में होती हैं। सरकार का जहां तक पक्ष है सरकार अपना पक्ष समिति के सम्मुख प्रस्तुत करती है कि उसको सिफारिश मानने में यह कठिनाई है। सदन विचार कर सकता है उस पर, लेकिन जहां तक सिफारिशों की मान्यता का प्रश्न है उसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हाउस आफ कामंस में मैंडेटरी हुआ करती हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस विषय में अध्ययन किया है। जहां तक हाउस आफ कामन्स की बात है, वहां यह प्रश्न कई बार प्रस्तुत हुआ, यहां तक कि विवाद पैदा हो गया प्रश्न यह था कि कमेटी की रिपोर्ट को हाउस ने मान लिया। लेकिन हाउस आफ कामंस ने कभी किसी विषय पर इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हाउस के दस पांच आदमी पूरे हाउस की तरफ से निर्णय कर सकें। यह आज तक परम्परा चली आई है और हाउस आफ कामंस ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है। मैं जो कुछ कह रहा हूं, इस समय, वह केवल अपने थोड़े बहुत अध्ययन से, जो मेरे मन पर संस्कार पड़े हैं उनके आधार पर कि हाउस आफ कामंस ने आज तक इसे स्वीकार नहीं किया है कि कमेटी के फैसले को हाउस का फैसला मान लिया जाय। अगर ऐसा हो जाता तो आज जैसे हम प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह परम्परा अभी स्थापित नहीं हुई है कि कमेटी की रिपोर्ट को हाउस की रिपोर्ट मान लिया जाय और वह गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो। अब इसके ऊपर बाद में फिर विचार होगा। मैं अध्ययन कर लूंगा, तो बाद में कहूंगा।

श्री रामायणराय—

जहां तक इस प्रश्न का पहला भाग है आपने साफ साफ उस पर व्यवस्था दे दी कि १० आदमियों की रिपोर्ट को सदन की रिपोर्ट कैसे मान ली जाय। मैं दूसरी बात कह रहा था कि १० या १५ आदमियों की एक रिपोर्ट तैयार हुई और उसको माननीय सभापति ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और सदन ने उस रिपोर्ट को एडाप्ट कर लिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, एडाप्ट नहीं किया, न मैंने वोट लिया, न राय पूछी, न आप जानते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है और न अभी कोई ऐसी रूलिंग हुई है ।

श्री रामायणराय—

जरा सुनिये तो ।

श्री अध्यक्ष—

कैसे मान लूं आपकी बात, जब वह ठीक नहीं है । आप कहते हैं कि सदन ने एडाप्ट कर लिया । सदन ने एडाप्ट नहीं किया ।

श्री रामायण राय—

वह कमेटी सदन के द्वारा निर्मित है और सदन द्वारा अधिकार लेकर ही तो वह कमेटी काम कर रही है ।

श्री अध्यक्ष—

बहरहाल, अभी उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है । उसको मैं स्टडी कर लूंगा, बाद में देखा जायगा ।

हरदोई जिला स्थित शाहाबाद नगरपालिका के सदस्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ का मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है । उसी सम्बन्ध में नियम ५२ की भी सूचनायें आयी हैं । मैंने जो माननीय नेता विरोधी दल का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है उसको महत्वपूर्ण समझते हुये भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं लिया है । मैंने बहुत प्रयत्न किया कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में लूं, किन्तु नियम ५२ में ही मैं उसे स्वीकार कर पाया हूं ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले उसे पढ़ दिया जाय तब आप निवेदन कर दीजियेगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आपने इसे जो कार्य-स्थगन कहा था उसे नियम ५२ के अन्तर्गत कर दिया तो मेरा नियम ५२ का भी आप लेकर स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

(सचिव, विधान सभा से) आप पहले उसे पढ़ दीजिये ।

सचिव, विधान सभा—

वह कार्य-स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"मान्यवर, हरदोई जिला स्थित शाहाबाद नगरपालिका में कल अकारण पुलिस द्वारा ६ नगरपालिका सदस्यों तथा ६० अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जिनमें कि सभी विचारों के लोग

[सचिव, विधान सभा]

सम्मिलित हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिणाम स्वरूप जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है। कल से ही पूरी बाजार सरकार क इस अभद्र व्यवहार के विरुद्ध बन्द है। सरकार द्वारा अब तक नागरिकों को रिहा न करने से उत्तेजना बराबर बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप शान्ति तथा व्यवस्था के लिये संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। सरकार द्वारा उक्त नगरपालिका के वार्डों का परिसीमन गजट में घोषित कर दिया गया था, परन्तु कुछ लोगों की मांग पर साम्प्रदायिक आधार लेकर सरकार तथा बोर्ड के चेयरमैन के सम्मिलित षडयंत्र से पुनः क्षेत्रों को बांटने की योजना बनाई गयी। इसलिये कल बोर्ड की बैठक में मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व ही चेयरमैन ने राजकीय अधिकारियों द्वारा ६ सदस्यों को बन्दी बनवा दिया। इस तानाशाहीपूर्ण समाचार से जनरोष व्याप्त हो गया। पालिका मुख्यालय से कुछ दूर जहां पर कि सरकार की अनुमति से एक सार्वजनिक सभा समाप्त हुई थी यह समाचार सुनते ही जनता जिज्ञासावश उधर गयी और तत्काल राजकीय अधिकारियों ने आतंक उत्पन्न करने के लिये ६० व्यक्तियों को जबर्दस्ती बन्दी बना लिया।

मेरी निजी जानकारी है कि सरकार द्वारा आतंक तथा भय उत्पन्न करने के इस निन्दनीय प्रयास से पूरे क्षेत्र में घोष असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त होकर शान्ति तथा व्यवस्था के लिये संकट पैदा हो गया है। आज भी वहां का सभी कारोबार बन्द है।

अस्तु, लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है;

*श्री शारदाभक्तसिंह—

यह जो कार्य स्थगन-प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है इसमें वार्ड परिसीमन से सम्बन्धित प्रश्न है। उस वार्ड का परिसीमन को स्वशासन मन्त्री ने स्वीकार करके गजट में घोषणा कर दी गई है, लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने उस पर फिर विचार करने के लिये बोर्ड को भेजा था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड की जब बैठक होने वाली थी तब एक विशेष सम्प्रदाय के लोग वहां पर उपस्थित हो गये और जो लोग वहां पर विचार व्यक्त करना चाहते थे उनको विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिला। अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों ने पुलिस से मिल कर उस पर विचार होने के पूर्व ही ६ मेम्बरों को गिरफ्तार करा दिया। जब जनता ने उसमें हिस्सा लिया तो जनता के भी आदमी गिरफ्तार कर लिये गये। मेरा यह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक आधार पर कोई अभी तक ऐसी घटना नहीं घटित हुई है और यह जो घटना घटित हुई है यह सरकारी हस्तक्षेप के कारण हुई है। मैं आपसे स्पष्ट बतलाऊं कि उस क्षेत्र को मुसलिम बहुसंख्यक क्षेत्र बनाने की वजह से यह सरकारी कार्यवाही हुई है। इसलिये वहां पर उत्तेजना व्याप्त है यदि इस प्रश्न पर तुरन्त गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया जाता और वहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं। जिनके सम्बन्ध में सदन में जिक्र आया कि उनका षडयंत्र है, काफी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जनता में आतंक है और अभी भी हड़ताल हो रही है, तो इससे और समस्या जटिल हो सकती है।

दूसरी भयंकर बात जो मेरे दिल में है वह यह कि दो सम्प्रदायों में तनाव बढ़ रहा है जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुआ है और सरकारी हस्तक्षेप से वहां पर तनाव बढ़ रहा है। पुलिस वहां पर पड़ी हुई है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। नियम के अन्दर जितनी शर्तें दी हुई हैं वह सब उसमें पूरी होती हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रश्न को यदि आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अन्दर नहीं रखते और इसके रिएक्शन पब्लिक में पैदा हो रहे हैं उनकी तरफ विचार नहीं होता तो सरकार के प्रति जो हम मत व्यक्त करना चाहते हैं उसके लिये हमको मौका नहीं मिलेगा। दफा ५२ के अन्दर सरकार की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ से वक्तव्य आयेगा जो जनता के हित के विरोध में होगा जैसे कि अन्य रिपोर्ट शाया हुई है। उसके बारे में दोनों पक्ष की बात नहीं हो सकती और सरकारी नीति के सम्बन्ध में भी हम बात नहीं कर सकते। इसलिये नियम ५२ के अन्दर इसको न रख कर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में इसको लें ताकि स्थिति बिगड़ न जाय। जो परिणाम हम चाहते हैं उसके लिये यह आवश्यक है कि इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में लेकर इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं आदरणीय विरोधी दल के नेता की बातों का सम्मान करते हुये भी यह कहना चाहता हूं कि आपने जितनी बातें कहीं हैं वह अपनी सूचना में नहीं दी हैं। कुछ हद तक इसमें जो बातें लिखी हैं वह अस्पष्ट हैं। दूसरी बात जो अभद्र व्यवहार की कही गई है वह भी इसमें नहीं लिखी है। जितनी बातें पढ़ कर सुनाई हैं उससे मालूम होता है कि केवल परिसीमन के सम्बन्ध में झगड़ा है, जिसमें प्रश्न यह है कि एक सम्प्रदाय की अधिक संख्या है और दूसरे की कम संख्या है। सूचना में यह नहीं दिया है कि परिसीमन का गजट हो गया है और परिसीमन स्वीकार भी हो चुका है और इसमें यह भी नहीं बतलाया गया है कि सरकार की तरफ से इस तरह का अनुचित रूप से व्यवहार किया गया है। इस कारण से मैं मजबूर हूं। इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं ले सका। यह नियम ५२ में स्वीकार करता हूं और मेरा विश्वास है कि जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर स्वायत शासन मंत्री देंगे और अगर उनको अनुभव हुआ कि कुछ गलती हो गयी है तो अवश्यमेव वह उसमें संशोधन कर लेंगे और फिर भी आवश्यकता हुई तो और कोई कदम उठाया जायगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर कल ही वक्तव्य दे दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

यदि, दो एक दिन का समय मिल जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

असेम्बली समाप्त हो रही है, इसलिये कल ही हो जाना चाहिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी, बहुत अच्छा।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अगर आप मान लें कि सकारण गिरफ्तारी हुई....

श्री अध्यक्ष—

लोकल मेटर्स में गिरफ्तारियां होती रहती हैं। आप यह नहीं कहते कि गवर्नमेंट ने कोई आदेश दिया था। तो सरकार का डाइरेक्ट कनसर्न कैसे हो गया ?

श्री शारदाभक्तसिंह—

बोर्ड में बैठक होने नहीं दी गयी। आज भी जो निर्णय उन्होंने दिया है उसे सरकार समाप्त करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष—

अभी यह समय नहीं है। आपकी सूचना से यह स्पष्ट नहीं होता।

श्री शारदाभक्त सिंह—

वहां साम्प्रदायिक तनाव है और इतने व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कल बयान होने के बाद देख लिया जायगा । मैंने अपने आदेश इस विषय में दे दिये हैं । समझता हूं कि कार्य स्थगन-प्रस्ताव जिस रूप में होना चाहिये था उस रूप में यह नहीं है । आपने सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया । परिसीमन समाप्त हो चुका है, आप यह नहीं कहते । सरकार उसे बदल रही है आप यह नहीं कहते । आप यह भी नहीं कहते कि सरकार द्वारा ऐसा कोई कार्य हुआ जिसके कारण गिरफ्तारी हुई है । तो अगर स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में गिरफ्तारियां होती हैं, तो सरकार का हाथ उसमें कहां है ? अब यह विषय समाप्त होता है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

इस विषय में आपसे मेरा आग्रह यह है कि जो व्यवस्था आपने दी वह तो शिरोधार्य है, लेकिन आप मंत्री जी को यह आदेश दें कि वे इस तरह से सूचना न मंगायें कि वहां की साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ रही है । जहां तक मेरी सूचना है, पी० एस० पी० के दो सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं जिन पर वहां के हिन्दू और मुसलमानों, दोनों का अटूट विश्वास है ।

श्री अध्यक्ष—

साम्प्रदायिक दृष्टि का सवाल नहीं है । वह कहते हैं कि परिसीमन के संबंध में ऐसी अवस्था पैदा की जा रही है कि जिससे परेशानी हो । उन्होंने तो केवल संकेत किया कि इससे झगड़े पैदा हो सकते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंत्री जी से आज ही वक्तव्य दिलवा दें । यह झगड़ा आज ही निपट जाय ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मेरा भी एक नियम ५२ का है....

श्री अध्यक्ष—

वह कल मंत्री जी को भेज दिया गया है ।

सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व विधायक, श्री भगवती प्रसाद वर्मा पर कसबा फतेहपुर, जिला बाराबंकी में कातिलाना हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक दूसरा नियम ५२ का है । यह माननीय रामआसरे, माननीय गिरजाप्रसाद, माननीय नत्थाराम, माननीय मेड़ीलाल का है । इसमें यह लिखा है कि भूतपूर्व विधायक श्री भगवती प्रसाद वर्मा पर बाराबंकी में कातिलाना हमला हुआ है तथा उन्हें और उनके साथी सामाजिक बालक को घायल कर आक्रमणकारी भाग गये । इसको मैं केवल वक्तव्य के लिये माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं । (व्यवधान)

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में आप ने यह कहा कि विषय महत्वपूर्ण है । फिर यह बतलाया कि जो कुछ लिख कर दिया गया है वह अस्पष्ट है । जब नेता, विरोधी दल द्वारा वहां की स्थिति को सदन के सामने रख दिया गया तो आपने उसको गलत कैसे समझा, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ?

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

भगवतीप्रसाद जी पर कातिलाना हमला जो हुआ उसकी पूरी पूरी जानकारी यहां पर मिलनी चाहिये.....

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको भेज तो रहा हूं वक्तव्य के लिये । माननीय गृह मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

१६ तारीख को दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । (व्यवधान) माननीय बिपिनबिहारी जी, इस विषय में मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैंने एक झांसी के संबंध में दिया था ? वहां पर गेहूं नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये, आप मेरे कमरे में बात कर लीजियेगा ।

(श्री लखपतराम शर्मा के न बैठने तथा बराबर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में बात कर लें, यहां मैं कुछ नहीं सुनूंगा....

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमान् जी, आप कृपया वक्तव्य ही दिला दें.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें या सदन छोड़ें ।

श्री लखपतराम शर्मा—

देखिये, श्रीमान् जी, वहां पर...

श्री अध्यक्ष—

अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो सदन छोड़ें ।

(श्री लखपतराम शर्मा सदन छोड़ कर चले गये ।)

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठ प्रतिवेदन

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के षष्ठ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय.....

श्री अध्यक्ष—

नियमों में यह है कि बहस संक्षेप में हो। आप इसे ध्यान में रखें।

श्री कमलासिंह यादव—

यह श्रीमान् जी से ही संबंधित है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, ५ मिनट दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने किसी जगह मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह पढ़ा कि यदि कोई माननीय सदस्य यह कह दे कि उनकी मंशा चेअर का अपमान करने की नहीं थी, मान लिया मैंने कोई गलत ही आदेश दिया और उसने नाराज होकर कुछ कह दिया और उस सवाल को मैंने प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया, लेकिन अगर वे सदस्य कहते हैं कि उससे उनकी मंशा चेयर का अपमान करने की नहीं थी तो उस चीज को समाप्त किया जा सकता है। अब अगर मैंने भी कोई गलत बात कह दी थी तो उसी प्रकार से उसको भी सद्भावना से ट्रीट किया जा सकता है। तो मेरा ख़याल है कि किसी को कोई एतराज नहीं इसको स्वीकार करने में :—

(किसी के एतराज न करने पर) अच्छा तो इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है।

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का सप्तम प्रतिवेदन

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न एक माननीय सदस्य के सबंध में आपने विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजा था उससे इस प्रतिवेदन का संबंध है। इसके बारे में कहा गया था कि पहली अप्रैल, १९६३ को ३–१५ बजे अपराह्न में श्री बलदेवसिंह को जी० आर० पी० के २ सिपाहियों और एक सब इंस्पेक्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उनकी ओर से यह कहा गया कि वे टिकेटलैस ट्रेवलिंग कर रहे थे, इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन इधर से कहा गया कि एक कानिस्टिबिल उनकी लकड़ी चुरा कर ले जा रहा था, उसका पीछा किया गया, लेकिन प्लेट फार्म पर पहुंचते ही उनको मारा पीटा गया और मेलाफाइडी अरेस्ट कर लिया गया और दिखाया यह गया कि वे टिकटलेस ट्रेविल कर रहे थे, जो गलत चीज थी। मेलाफाइडी के संबंध में भूतपूर्व माननीय अध्यक्ष ने एक रूलिंग दी थी कि अगर मेलाफाइडी अरेस्ट का कभी सवाल उठे, अदालत में वह केस जाय और वहां से वह आदमी छूट जाय और कोर्ट यह स्ट्रिक्चर पास कर दे कि अरेस्ट मेलाफाइडी हुआ तो उस मुकदमे के बाद भी अवमान का प्रश्न उठाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में रूलिंग के लिये आप, "उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन", अप्रैल, १९५२ से ६ मार्च, १९६२ तक (खंड १०१ से खंड २२७ तक) के पृष्ठ ३१३ से पृष्ठ ३१४ तक देखें। माननीय राजनारायणसिंह का केस है, उसमें लास्ट में दिया हुआ है कि यदि यह मुकदमा चले और उसमें जो बहस आपने यहां की है वही अदालत में भी होती कि उन्होंने कोई कसूर तो किया नहीं, सिर्फ उनको सदन की सेवा से वंचित करने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये, ताकि यहां पर आकर वे क्वेश्चन न कर सकें, यह मैलाफाइडी गिरफ्तारी हुई है, ऐसा चार्ज अगर सिद्ध हो जाय वहां पर अदालत में इत्यादि

(इस समय १२ बजकर ४६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए ।)

इससे यह स्पष्ट है कि मैंने यह कहा था कि अदालत में आप प्रश्न इसका उठावे कि मैलाफाइडी गिरफ्तारी हमारी हुई और अदालत में ऐसा चार्ज सिद्ध हो जाय और वह छूट जायं तो आप यहां सवाल ला सकते हैं ।"

यह रूलिंग जो दी गयी थी वह अभी भी अपनी जगह पर है, उसे ओवररूल नहीं किया गया है। तो जब हम इस रूलिंग को देखते हैं और दूसरी तरफ विशेषाधिकार समिति के निर्णयों को देखते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि किस तरह से ये निर्णय लिये गये ? श्रीमन्, वह कैसे अदालत में चल रहा है और उस सिलसिले में यह डेफिनिट प्ली माननीय बलदेवसिंह ने ली है कि मेरा मैलाफाइडी अरेस्ट हुआ है । तो जब मैलाफाइडी अरेस्ट हुआ और कोर्ट के सामने यह सवाल है और उस पर एविडेंस वगैरह चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जबकि अदालत को अभी निर्णय लेना है, तो उसके पहले विशेषाधिकार समिति द्वारा कोई भी निर्णय लेना कि इससे सदन का अवमान हुआ है, मैं समझता हूं कि प्रीमैच्योर है । जब तक अदालत का फैसला न हो जाय तब तक विशेषाधिकार समिति द्वारा इस पर कोई निर्णय लेना उचित नहीं था, बल्कि तब तक के लिये इसे स्टे कर देना चाहिये था । रूलिंग में यह भी दिया गया है कि फैसले के बाद भी अवमान का प्रश्न फिर से उठाया जा सकता है । तो एक बार अगर अवमान का प्रश्न उठाया जा चुका हो और फिर उस मुकदमे में कोई स्ट्रिक्चर पास हो जाय और फिर कोई अवमान का प्रश्न उठाना चाहे तो उस वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ेगा । क्योंकि एक मोशन पहले आया हो तो उसके पास होने के ६ महीने के अन्दर सदन में इसी प्रकार का दूसरा मोशन नहीं आ सकता । इसी लिये मैं कहता हूं कि जब अदालत में केस पैंडिंग है और माननीय बलदेवसिंह ने यह प्ली लिया है कि उन्हें मैलाफाइडी अरेस्ट किया गया, मैंने कोई टिकेटलेस ट्रेवलिंग नहीं की, तो उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस पर सदन कोई अपना अन्तिम निर्णय ले या प्रीवीलेज कमेटी अपना कोई निर्णय ले तो मैं समझता हूं कि यह प्रीमैच्योर होगा और अभी इस पर कोई निर्णय लेना सही नहीं मालूम होता । जब अभी केस अदालत में पेंडिंग है तो अदालत का जब फैसला हो जाय, फिर उस पर पुनर्विचार करके आप अपना अन्तिम फैसला दें ।

जहां तक इसकी मेरिट का सम्बन्ध है.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कमलासिंह जी, आपका मोशन है कि इस पर विचार किया जाय और फिर अब आप इसको स्थगित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं.....

श्री कमलासिंह यादव--

मैं अन्तिम निर्णय लेने की बात को स्थगित करने के लिये कह रहा हूं । मेरा मतलब है कि केस का फैसला हो जाय उसके बाद सोचा जाय कि क्या किया जाय । अगर विशेषाधिकार समिति ने यह कह दिया कि यह अवमान का प्रश्न नहीं है और उस ने मोहर लगा दी तो मामला खत्म हो जायेगा, लेकिन अभी यह केस अदालत में चल रहा है और उसका निर्णय अभी नहीं हुआ है और अगर बाद में अदालत ने स्ट्रिक्चर पास कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी मैलाफाइडी थी और टिकिटलेस ट्रेवलिंग के बहाने उनको पकड़ा गया था उस वक्त पोजीशन बहुत बिगड़ जायगी । इसलिये अगर कोई ऐसा प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सामने हो जो प्रिमेच्योर हो तो उस केस को अभी आखिरी फैसला न कर के पेंडिंग रखा जाय जब तक कि न्यायालय का फैसला न हो जाय ।

जहां तक इस केस का सम्बन्ध है मैंने विशेषाधिकार समिति का जो निर्णय है और जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं उनको शुरू से आखिर तक देखा, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि

[श्री कमलासिंह यादव]

उसमें है कि श्री बलदेवसिंह कि गिरफ्तारी टिकेटलेस ट्रेवलिंग में हुई, लेकिन कहीं कोई शहादत नहीं है कि कहां से कहां तक वह सफर कर रहे थे और उन पर उसके लिये कितना चार्ज लगाया गया था जिस को कि उन्होंने पे नहीं किया, कहीं भी प्रोसीडिंग में इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं नहीं समझता कि जब तक कि यह चीज विशेषाधिकार समिति के सामने नहीं आई तो यह कहना मुनासिब ही होगा कि ठीक से वहां पर पूरे मामले पर विचार नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि जहां तक एवीडेंस का मामला है, स्टेशन मास्टर के बयान में यह चीज आई है कि गाड़ी आने के वक्त से पहले से वह प्लेटफार्म पर मौजूद थे। और जब वह वहां मौजूद थे पहले से तो टिकेटलेस ट्रेवलिंग कैसे कर रहे थे, यह आश्चर्य की बात है। तीसरे, सब-इंसपेक्टर या पुलिस का बयान है कि उन को किसी ने नहीं मारा और कोई डंडा नहीं चलाया गया, लेकिन उनके बदन पर चोट के निशान कैसे आ गये यह समझ में नहीं आता, इस का भी रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है। चौथी बात यह है कि स्टेशनमास्टर के जो बयान हुये हैं उनमें बहुत सी बातें आयी हैं, उनसे यह भी पूछा गया कि कोई मीमो वगैरह दिया गया तो उसके लिये वह इंकार करते हैं कि कोई नहीं दिया गया। उन की बेल के सम्बन्ध में पूछा गया तो मैजिस्ट्रेट बीमार बताये गये, सब-इंसपेक्टर कहते हैं कि उन से जबानी आदेश ले लिये गये थे कि उनको रिहा कर दिया जाय। डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट और सब-इंसपेक्टर से कोई बात नहीं हुई, बल्कि वह कहते हैं कि सी० टी० एस० के द्वारा मालूम हुआ कि मैजिस्ट्रेट ने छोड़ने के आदेश दे दिये हैं। परन्तु जहां तक छोड़ने के सम्बन्ध में श्योरिटी देने का सवाल है उसके बारे में यह जो एवीडेंस इस प्रोसीडिंग्स में है उसमें यह बात साफ दी हुई है कि वह कम्पलीट नहीं हुई क्योंकि बलदेव सिंह जी ने कहीं दस्तखत नहीं किये और बिना दस्तखत किये पर्सनल बांड भी नहीं हो सकता और स्टेशन मास्टर की जमानत पर जो छोड़ा जाना कहा जाता है उससे वह इनकार करते हैं कि हमने कोई सीक्योरिटी नहीं दिया। इससे जाहिर है कि पेपर ट्रान्जेक्शन जो हुआ वह बिल्कुल फार्स है, कहीं उन कागजात को प्रोड्यूस नहीं किया गया और न उनकी नकल ही दाखिल कराई गई। लेकिन परिस्थिति को देखने से यह मालूम होता है कि कोई भी ऐसा शियोरिटी बांड या पर्सनलबांड नहीं है जो दाखिल किया गया हो। तो इस तरीके से जहां तक श्योरिटी पर या पर्सनल बांड पर छोड़ने की बात कही गयी है यह बिल्कुल गलत है।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जरा रूल ७० को देखें जो आपकी प्रक्रिया नियमावली का है। इसमें दिया हुआ है कि—

"The Chairman of the Committee or any member thereof or any member of the House may make a motion that the report of the Committee be taken into consideration forthwith or at some future time within which report may be printed and copies supplied to members".

श्रीमन्, इस रूल के अन्तर्गत माननीय कमलासिंह जी ने कहा है कि उन्हों ने हाउस के सामने यह मोशन रखा है कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के षष्ठ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय, यह कहीं नहीं है कि इस तरह यह आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं। रूल में, आगे क्लियर किया गया है। इस सम्बन्ध में नियम ७३ को देखें। उसमें लिखा है—

"After any one of the following motions is agreed to by the House."

अर्थात् प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हो और जब हाउस एग्री करे तब नियम ७३ फालो होगा। इस नियम के उपनियम (२) में दिया है—

"motion under Rule 70 that the report of the Privilege Committee be taken into consideration." इस नियम के अंत में लिखा है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"any member may move a substantative motion indic ating the commission of a breach of privilege and also suggesting the action to be taken by the House, and any other member may move an amendment to the said motion. After a brief discussion of the motion and the amendments, if any, the Speaker shall put the question".

तो श्रीमन् जब यह हाउस एग्रो करे कि इस पर विचार हो तब इस सब्सटेन्टिव मोशन पर अगर कोई अमेंडमेंट पुट करना चाहे तो वह हाउस के सामने रख सकता है, लेकिन नियम ७० के मुताबिक डिस्कशन नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

जिस नियम का हवाला दिया गया है उस नियम के अनुसार आप का यह कहना है कि केवल माननीय सदस्य को यह प्रस्ताव करने का अधिकार है कि विचार किया जाय। मैं आप को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी सदन के समक्ष कोई बिल विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तो जो माननीय मंत्री उस बिल को प्रस्तुत करते हैं वे बताते हैं कि क्यों विचार किया जाय। तो इस समय रिपोर्ट की मैरिट के ऊपर अपना वक्तव्य माननीय कमलासिंह जी नहीं दे रहे हैं। विचार किया जाय, क्यों विचार किया जाय उन तथ्यों को वे सदन के समक्ष रख रहे हैं। बिल के ऊपर भी ठीक यही प्रक्रिया चलती है। माननीय कृष्णानन्द जी को ज्ञात है। इसमें माननीय कमला सिंह जी ने इसी पद्धति के अनुसार कि विचार किया जाय, अपने प्रस्ताव को रखा है। इसलिये आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। सदन को यह अवश्य अधिकार है कि इसको वापिस किया जाय या पुनः निर्दिष्ट करे। क्यों विचार किया जाय, इस पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। आप इसकी मैरिट पर न जाइये। विचार किया जाय इसके विपक्ष की जो दलील है उनको सदन के समक्ष रखें।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक मीमो का सवाल है, मीमो के बारे में और चार्ज शीट के बारे में भी यहां क्वैश्चन उठा था और जिस वक्त फाइल यहां आयीं उस वक्त भी देखा तो एफ० आई० आर० माननीय बलदेव सिंह की तो थी पर जो पुलिस की एफ० आई० आर० थी उसका पता नहीं था और मीमो के बारे में जब कहा गया कि मीमो पेश किया जाय कि कोई मीमो दिया गया था या नहीं। तो मीमो के बारे में यह प्ली दी गयी कि कोई मीमो पेश नहीं किया गया। यह एक ताज्जुब की चीज है कि एक आदमी बगैर टिकेट के ट्रेवेल कर रहा हो और टी० टी० उसके खिलाफ यह नहीं कहता कि मैंने उस को पकड़ा है और पुलिस को यह आदेश भी नहीं कर रहा है कि यह किराया नहीं देता है इसलिये वह उस को पकड़ ले। बल्कि शहादत यह आ जाती है कि गाड़ी आने के पहले प्लेटफार्म पर वह मौजूद थे। तो जहां तक इस विशेषाधिकार का सवाल है उसके बारे में मैं दो, तीन बातें कहना चाहता हूं। पहले तो हमको इसका नोटिस नहीं दिया गया। हमारे रूल्स के अन्दर सूचना के बारे में डेफिनिट दिया हुआ है कि उस फार्म के नीचे दस्तखत करके जो आदमी सूचना देगा इस सदन को वह ३ तरह के आदमी होते हैं। पहला, जज, दूसरा मैजिस्ट्रेट और तीसरे एक्जिक्यूटिव अथारिटी। एक्जिक्यूटिव अथारिटी के मानी डिक्शनरी में देखे जायं: ह्वारटन्स ला लेक्सिकन में पृष्ठ ३९९ पर १२ वें एडीशन में दिया हुआ है—

"Executive is that branch of the Government which puts the laws into execution and distinguished from the legislative and judicial branches. The body that delibrates and enacts laws is legislative, the body that judges and applies the laws in particular cases is judicial and the body that carries the laws into effect or suprintends the enforcement of them is executive. The executive authority in all monarchies is vested in the sovereign."

तो इस तरह से जहां तक एक्जिक्यूटिव अथारिटी का सवाल है वह पुलिस के जरिये पक्जीक्यूट होती है। इस केस में भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। इसलिये यह डयूटी होती है कि पुलिस जिस किसी आदमी को गिरफ्तार करे फौरन् उसकी सूचना सदन को दे, लेकिन सदन को इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी, यहां तक कि सूचना देने में काफी विलम्ब

[श्री कमलासिंह यादव]

हुआ। यह हमारा अधिकार है और ऐसा अधिकार है जिसमें अगर कोई आदमी इंटरफियर करता है तो वह सदन का अवमान करता है, क्योंकि हमारी रक्षा उससे होती है। इंग्लैंड में भी चार्ल्स के जमाने में मेम्बर्स हाउस आफ कामन्स के गिरफ्तार कर लिये जाते थे और कई दिन तक उनका पता नहीं चलता था तो हाउस आफ कामन्स ने ला बनाया कि मेम्बर गिरफ्तार किया जायगा तो तुरन्त उस की सूचना हाउस आफ कामन्स को दी जायगी। उस समय सदन चल रहा था, बलदेव सिंह घर पर थे और उनका इंटेंशन यहां आने का था। कोई भी आदमी उनको पकड़ कर घर में बन्द कर ले, फिर शाम को छोड़ दे और कह दें मैंने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उस को अधिकार नहीं है तो उसे उचित नहीं कहा जा सकता। जज, मैजिस्ट्रेट या एक्जिक्यूटिव अथारिटी कोई भी गिरफ्तार करे, अरेस्ट या ट्रायल दोनों की बात कही गयी है, डिटेंशन भी उसमें है, उस सब की सूचना वह सदन को देगा। अगर इसमें हम यह कहें कि तीनों आते हैं—अरेस्ट, डिटेन्शन और ट्रायल, तब सूचना देनी चाहिये नहीं तो नहीं, तो मेरा यह कहना है कि अरेस्ट होने पर सूचना देनी चाहिए, डिटेन्शन पर भी सूचना देनी चाहिये और ट्रायल हो कर कन्विक्शन हो गया है तब भी सूचना देना जरूरी है। इसीलिये इसके कई पार्ट्स बने हुये हैं जैसा कि फार्म देखने से भी स्पष्ट है। इस तरीके पर मैं समझता हूं कि जो समय से सूचना नहीं दी गयी उससे सदन का अवमान अवश्य हुआ है और इस पर विचार होना ही चाहिये जैसा हमारी प्रक्रिया नियमावली में भी है।

तीसरे, जहां तक हथकड़ी लगाने का सवाल है, माननीय गुप्ताजी ने, जब वे मुख्य मन्त्री थे, यह स्पष्ट कहा था कि अगर हम कोई मर्डर या डकैती करें उस सिलसिले में तो हथकड़ी लगायी जा सकती है, लेकिन अन्य माइनर आफेन्सेज में किसी भी माननीय सदस्य को हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती। इसके बारे में अधिक न कह कर मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि पंजाब की असेम्बली ने यह डेफिनिटली होल्ड किया है कि कौंसिल या असेम्बली के मेम्बर को हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती और उन्होंने इस तरह के आदेश, जैसा कि यहां के मुख्य मंत्री ने भी भेजे हैं, हर थाने पर भेज दिये हैं। इसी तरह पार्लियामेंट की भी डेफिनिट रूलिंग है कि कोई भी माननीय सदस्य को गिरफ्तार करने के बाद हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती। तो जहां तक हथकड़ी लगाने या उनके इल्लीगल या मेलाफाइड डिटेन्शन या अरेस्ट का सवाल है, यह साबित है कि मैलाफाइड अरेस्ट थी, माननीय बलदेवसिंह जी गाड़ी में सफर नहीं कर रहे थे बल्कि पकड़ने के बाद उनको फर्स्ट क्लास में बिठाया गया, इसीलिये उन्होंने कहा कि अब हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे।

इस तरीके पर मैं समझता हूं कि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उस पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाय और मैं समझता हूं कि हर चीज को अगर गौर किया जाय तो इसी निर्णय पर यह सदन पहुंचेगा कि कोई भी आफेन्स माननीय बलदेवसिंह जी ने नहीं किया बल्कि उनकी अरेस्ट मेलाफाइड थी और जो भी बरताव उनके साथ किया गया वह गलत था और हथकड़ी लगाना और समय से सदन को सूचना न देना और उनके शरीर पर चोटें पहुंचाना और उसके लिये कोई एक्सप्लेनेशन गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के पास न रहना और साथ ही कोई मेमो टिकट कलेक्टर का न देना और इस बात का सबूत न देना कि माननीय बलदेव सिंह किस स्टेशन से किस स्टेशन सफर कर रहे थे और कितना चार्ज उनके ऊपर लगाया गया, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था उस में यह साफ कहा गया था कि उस रोज मैजिस्टीरियल चेकिंग नहीं थी, अगर मैजिस्टीरियल चेकिंग होती तब तो माननीय बलदेवसिंह को उनके सामने पेश करना जरूरी था और उस वक्त उनकी रिहाई का कोई प्रश्न नहीं था और मैजिस्ट्रेट की गैरहाजिरी में अगर कोई आदमी बिना टिकट पकड़ा जायगा तो कानून के मुताबिक उससे चार्ज किया जायगा और अगर नहीं देगा तो उस समय उसका अरेस्ट होगा। तो उस तरीके से मैं समझता हूं कि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, पहले तो यह प्रिमच्योर है और दूसरे जो डिसीशन्स लिये गये हैं वे सही नहीं हैं बल्कि उन पर दुबारा गौर करने की जरूरत है। मैं

सोचता हूं कि सदन इसको स्वीकार नहीं करेगा बल्कि इस पर विचार करेगा और निर्णयों के सम्बन्ध में जो चीज सही होगी वह करेगा। या तो इसे विशेषधिकार समिति के पास भेज देगा कि अदालत के निर्णय के बाद फिर से गौर करके सही निर्णय ले। मैं समझता हूं कि इन शब्दों के के साथ जो विचार करने का मैंने प्रस्ताव किया है उस पर सदन विचार करेगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कमला सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक आग्रह कर दूं कि माननीय कमलासिंह जी का प्रस्ताव यह था कि इस पर विचार किया जाय, लेकिन जब वे अपना भाषण समाप्त कर रहे थे तो यह भी विचार प्रकट किया कि इसे विशेषाधिकार समिति को पुनःनिर्दिष्ट किया जाय। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके प्रस्ताव के पक्ष में आप बोलना चाहते हैं या कोई और आपका प्रस्ताव है?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने आरम्भ में ही कहा कि इस पर विचार किया जाय, इसका समर्थन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि "विचार किया जाय" यह प्रस्ताव हाउस में रख दिया गया है। इस पर कोई विरोध नहीं है। इस पर कोई सब्सटेंटिव मोशन आये कि रिपोर्ट मानी जाय या न मानी जाय, इस पर फैसला करते तब तो ठीक है। आखिर किस चीज पर विचार कर रहे हैं। यह तो हाउस में विचार करने के लिये रखा ही गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, विचार करने के बाद प्रस्ताव आयेगा कि इसको समिति को वापस किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अभी जो उन्होंने अपना मोशन सदन के समक्ष रखा है उनका मंतव्य केवल इतना है कि इस पर विचार किया जाय। जहां तक जनरल डिसकशन का सवाल है वह इसी स्तर पर होता है। इसलिये जो भी माननीय सदस्य "विचार किया जाय" के प्रस्ताव के पक्ष में बोलना चाहें या न किया जाय के पक्ष में बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय कमला सिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में क्यों विचार किया जाय, इसके बारे में मैं कुछ आप से कहूंगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इसके मैरिट्स पर कुछ न कहा जाय, तो मैं सोच रहा हूं कि इस बात का जस्टीफिकेशन क्या हो सकता है सिवाय इसके कि...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---

मेरी ऐसी मंशा नहीं थी कि इसकी मेरिट्स पर या जो सवाल उठाये गये हैं उन पर अपने विचार व्यक्त न करें। ऐसा होता है कभी कभी कि इस सदन क सामन प्रश्न आता है तो उसमें सदन यह महसूस करता है कि इस प्रश्न को पुनर्विचार के लिये कमेटी को भेज दिया जाय। जैसा कि कृष्णानन्द राय जी का विचार है कि इस तरफ कोई सबसटेंटिव मोशन हो। इस पर सदन की राय है कि अभी केवल आप अपने विचार इस संबंध में व्यक्त करने की कृपा करें कि सदन क्यों विचार करे। इस समय तो क्यों विचार किया जाय इसी पर विचार व्यक्त करें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

वैसे श्रीमन्, मैंने विचार नहीं किया था कि इसके बारे में कुछ कहूं, लेकिन अभी इसे पढ़ने के बाद मेरे मन में एक बात आयी कि सदन के सामने एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पहलू पर है कि प्रक्रिया नियमावली में दिया हुआ है उस नियम से बंधे हुए हैं जिस प्रकार इसके शब्द है या इन शब्दों के अलावा औचित्य और अनौचित्य को देख कर अपना निर्णय दें। यह चीज सदन के सम्मुख है। एक तो बहुत बड़ा विवाद जो खड़ा हुआ है इस सदन के प्रिविलेज के बारे में उसमें परोक्ष रूप से यह बात निहित है कि क्या इस चीज के निर्णय पर पहुंचने के लिए हम ऐसे टेक्निकल हों या जो शब्द दिये गये हैं, उनके निर्माताओं ने इन परिस्थितियों का ध्यान दिया या नहीं या औचित्य अनौचित्य हमारे विचार पर छोड़ दिया गया था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें दो रिपोर्टें हैं। इसमें सदन के सदस्यों क अधिकारों की बात आती है। इसमें दो प्रश्न बड़े गम्भीर हैं। उनको मैं पढ़े देता हूं। "क्या श्री बलदेवसिंह की गिरफ्तारी की सूचना देने में विलम्ब किया गया और यदि विलम्ब किया गया तो क्या इससे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई?" "क्या गिरफ्तारी की जो सूचना प्राप्त हुई थी वह विहित प्रपत्र में थी, और यदि विहित प्रपत्र में नहीं थी तो क्या इससे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई?" जो रिपोर्ट आयी है उससे यह लगता है कि हमारी रिपोर्ट दूसरी जगह के विचारों से प्रभावित है। दूसरे, इस रिपोर्ट के निर्माताओं ने इस सेक्शन के कांस्ट्रक्शन की ओर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया इस सेक्शन को लागू करते समय उन्होंने बाहर की चीजों को अपने मस्तिष्क में रखा जो इस सेक्शन के मतलब से नहीं निकलतीं। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि सूचना देने में यदि विलम्ब हुआ और वह छोड़ दिये गये, इसके बाद सूचना नहीं दी गयी, थोड़े ही समय तक वह रहे, छोड़ देने के बाद सूचना देने का कोई अर्थ नहीं रहा। यदि ऐसा हुआ तो विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई।

दूसरी बात यह कही गयी कि जो कमिटिंग मैजिस्ट्रेट है यह उसको सूचना देनी चाहिए थी। मेरी बुद्धि में दोनों बातें ठीक नहीं हैं। इस सेक्शन को पढ़ देता हूं। यदि कोई रूलिंग हो चुकी है तो हमारे लिए वह मार्ग दर्शन का काम करती है, लेकिन वह किसी प्रकार बाध्य रूप में नहीं आ सकती। हमारा सदन अपना निर्णय दे सकता है। इसमें लिखा है।

"When a member is arrested on a criminal charge or for criminal offence or is sentenced to imprisonment by court or is detained under an executive order, the Committing Judge, Magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker."....

यदि इस सेक्शन के बनाने वालों के मस्तिष्क में यह बात होती जैसा कि इस रिपोर्ट में है कि उसी वक्त आवश्यक हो जाता है जब कि सदन चलता हो तो इसमें लिखा होता---

"When Legislature is in Session."

यह कहीं नहीं दिया हुआ है। मैंने उन नियमावलियों को तो देखा नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि सेशन चलता हो तो बन्द किया जाय। लेकिन उनकी क्या परम्परायें हैं यह हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने वही चीज है जो हमारे हाउस से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि हमारे नियमों के निर्माता अंधेरे में नहीं रहे होंगे कि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया। मैं कहता हूं कि उन्होंने सोच समझ कर, सदन की, सदस्यों की और तमाम पोजीशन

को ध्यान में रख कर कहा था कि किन्हीं परिस्थितियों में किसी समय भी इस पर विचार नहीं हो सकता है। यह बात जो उन्होंने कही उसमें वह इस विचार से प्रभावित हुए कि सेशन नहीं था। यह जो प्रिविलेज दिया गया वह इसलिये दिया गया कि हमारे इस सेशन के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसलिये मैं कहता हूं कि यह निर्णय पुनः विचाराधीन है और सदन द्वारा इस पर पुनः विचार होना चाहिये और सदैव के लिये एक प्रकार से जिसे कहा जाता है should set at rest यानी समाप्त कर देना चाहिये। इसलिये आवश्यकता है कि हमारी नियमावली बदले और हमारी नियमावली नहीं बदलती है तो मैं कहूंगा कि जो स्थिति आज है वही काफी है।

कन्विक्शन और अरेस्ट का मुझे बड़ा दुख है कि हमारे माननीय सदस्य इस विचार को ठीक से समझ नहीं पाये कि यह विचार कैसे आ गया है। नियम ८४ में यह कहा गया है कि "बन्दी करण की सूचना देने का दायित्व सम्पर्क न्यायाधीश और दंडाधिकारी पर है।" तो आप देखेंगे.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय त्रिपाठी जी, मेरी जो दिक्कत है वह मैं जरा स्पष्ट कर दूं। एक सिफारिश है समिति ने की, उस की सिफारिश पर हम मत कायम कर सकते हैं कि आगे उस पर विचार किया जा सके। अभी तक किसी माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव नहीं किया कि इसको किसी समिति को पुनर्निर्दिष्ट किया जाय। तीन रूप में इस पर विचार कर सकते थे। एक तो रिपोर्ट ऐज इट इज उस पर विचार किया जाय, कुछ थोड़े बहुत संशोधनों के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जितनी भी सिफारिशें हैं वह ऐसी हैं कि वह जो हमारी व्यवस्थायें हैं और जो हमारे नियम हैं उनके बिलकुल प्रतिकूल है, तो फिर आप की तरफ से यह निश्चित प्रस्ताव होना चाहिये था कि इसको पुनर्निर्दिष्ट किया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय--

यदि आप इजाजत दें तो मैं एक प्रस्ताव रख दूं उस पर विवाद हो जाय।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर) मैनेजर सिंह जी, पहले इनकी बात को समाप्त हो जाने दीजिये, उसके बाद जो बात होगी वह देखी जायगी।

श्री कमलासिंह यादव--

पहले हमारे प्रस्ताव को ले लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप कमलासिंह जी बैठ जाइये।

श्री कृष्णानन्द राय--

आप हमारा प्रस्ताव ले लीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

आप इनको अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिये। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि प्रक्रिया के सम्बन्ध में शायद कुछ कन्फ्यूजन है इसलिये यह गड़बड़ हो रही है। प्रारम्भ में जैसा कमलासिंह जी ने कहा विचार के लिये जब यह रिपोर्ट सदन के सामने आई, उसी समय यह कहा जा सकता था और यह प्रस्ताव किया जा सकता था कि इसे प्रवर समिति को पुनर्निर्दिष्ट किया जाय। एक प्रस्ताव रखा गया कि इस पर विचार किया जाय, उस पर वे अपने विचार रख लें उसके बाद यदि कोई माननीय सदस्य इस तरह का प्रस्ताव सदन के

[श्री अधिष्ठाता]

सामने प्रस्तुत करेगा कि इसको पुनर्निर्दिष्ट किया जाय तो उस पर मैं माननीय सदस्यों से विचार व्यक्त करने के लिये कहूंगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी प्रार्थना यह है कि शाब्दिक हेर-फेर है। जो शब्द छप गये हैं मैंने उन्हीं को पढ़कर अपनी बात आरम्भ की। इसमें मेरी गलती अवश्य हुई, लेकिन अन्त में जो मैंने सजेशन दिये हैं वह इसीलिये दिया है कि यह विशेषाधिकार समिति को पुनर्निर्दिष्ट किया जाय, यह मैंने कहा था। जो मैंने अन्त में कहा था उसी को मान लें।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपने जो निर्णय दिया है वह तो ठीक ही है, लेकिन मैं जरा उसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने जो कहा है वह जस्ट मालूम हो रहा है, लेकिन आप नियम ७० देखें। कोई भी माननीय सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि यह जो समिति की रिपोर्ट है इस पर विचार किया जाय। यह नहीं कर सकता है नियम ७० में कि यह रिपोर्ट लौटा दी जाय। उसके बाद जब हाउस यह तय कर लेता है कि विचार कर लिया जाय। उसके बाद यह मोशन आता है कि समिति की सिफारिश मान ली जाय कि अवहेलना हुई है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव रखा जाता है कि वह समिति को लौटा दी जाय तो वह इस स्टेज पर नहीं रखा जा सकता है।

श्री रामायणराय—

ऐसा नहीं है। एक प्रस्ताव कमला सिंह जी का है। उनको यह अधिकार है कि किसी शब्दावली में प्रस्ताव रख सकते हैं। अपना विचार वह व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ कृष्णानन्द राय जी का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी स्टेज पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यह उनको अधिकार है। गलतफहमी यह हो रही है कि यह कहा जा रहा है कि विचार किया जाय। केवल शब्दों के दोहराने से काम नहीं चलता है कि क्यों विचार किया जाय। आपने तर्क उपस्थित किया। दिक्कत यह हुई कि अन्त में चलते-चलते पुनः समिति को निर्दिष्ट करने की बात कह दी, लेकिन प्रारम्भ से जितनी बातें वह कह रहे हैं वह प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह कह रहा था कि उन्होंने अपने निर्णय में यह कह दिया कि न्यायाधीश या दंडाधिकारी को नियम ८४ के अन्तर्गत सजा देना चाहिये थी। मैं बड़ी नम्रता के साथ यह कहूंगा कि कदाचित् हम इस विचार पर पहुंचे कि गलती हुई है। वैसे जब हम अपने नियम को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है।

दूसरी चीज यह कि शिड्यूल 'ए' नियम के अधीन है तो नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता है। नियम जिस प्रकार से कहता है उसी प्रकार से रहना पड़ेगा। तो शिड्यूल 'ए' और 'बी' के दो फार्म है। 'ए' केवल उस चीज से संबंधित है जिसमें यह लिखा हुआ है कि अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह अरेस्ट से संबंध रखता है। तो अरेस्ट से संबंध रखने वाला जो विषय है वह 'ए' पर लागू होता है। इस किताब को खोलकर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि 'ए' फार्म जिसका चर्चा किया गया है उसके नीचे सिगनेचर के स्थान पर कोर्ट का नाम नहीं लिखा है। 'बी' के नीचे कोर्ट का नाम लिखा है। यदि कमिटल या कन्विक्शन हुआ है तो उसके लिये इस फार्म 'बी' का प्रयोग हो सकता है। यह मेरा तर्क है लेकिन फार्म 'एफ' के निर्माताओं ने, जिन्होंने नियमों को बनाया, उन्होंने पूर्ण विचार के बाद अरेस्ट और डिटेन्शन के शब्दों को रखा कि किन परिस्थितियों में वह होनी चाहियें और और तब क्या होगा। इसलिये जो हमारी समिति ने यह विचार प्रकट किया है कि न्यायाधीश और दंडा-

धिकारी के ऊपर डाला जाय, मैं बड़ी नम्रता से कहूंगा कि इस पर पुनः विचार होना चाहिये। मैं शायद उस गंभीरता के साथ अपनी बात को नहीं रखा पा रहा हूं जिस गंभीरता से रखने की जरूरत है। मेरा कहना यह है कि यदि ऐसे विषय पर हमारे सदन का निर्णय हो गया कि हम लिखे हुये नियमों के शब्दों से बन्धे हुये नहीं हैं तो एक दूसरी परम्परा डालेंगे। हम उन परिस्थितियों में नियमों से बाहर जाकर बाहरी मार्ग दर्शक का सहारा लेते हैं जब कि उनका कोई विशेष उल्लंघन इसमें नहीं होता या हम इन शब्दों से उन कठिनाइयों को पार नहीं कर पाते। लेकिन इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि नियम ८४ जो बना है वह हमारी नाव को पार लगा देता है और इसके होते हुये हमको किसी दूसरे देश के नियम देखने या किसी रूलिंग देखने का औचित्य दिखायी नहीं देता। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक नयी परम्परा पड़ेगी और अभी एक बड़ा सवाल हमारे सामने है ही जिसे सभी माननीय सदस्य जानते हैं। हमारे प्रिविलेजेज क्या हैं यह भी सवाल फिर आयेगा इसलिये मेरा सुझाव है कि बाहरी मदद से हमको अपनी गलती को ठीक नहीं करना चाहिये। ऐसा करने से हम दूसरी कठिनाइयों में पड़ जायेंगे। और आपकी यह नजीर लेकर ही बाहरी लोग कह सकते हैं कि आप दूसरे देश का सहारा, उसकी परम्पराओं और रूलिंग का सहारा क्यों लेते हैं जब कि आपके यहां नियम बने हुये हैं। तो मैं कहूंगा कि यह एक गंभीर पहलू है। हमारी प्रक्रिया नियमावली शुड बी टेक्निकली फालोड। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि हमारे भाई जो उस तरफ बैठे हैं इसके महत्व को समझें। इससे सदस्यों की मर्यादा का, सदन की मर्यादा का संबंध है। कहीं भी रह कर हमको इन नियमों का पालन करना चाहिये। अगर हम इस तरह से अपनी आंखों में ही धूल डालते रहे तो मैं समझता हूं कि जो मर्यादा हम को दी गयी है उसे हम अपने हाथों ही नष्ट कर डालेंगे।

श्री अधिष्ठाता (श्री कृष्णानन्द राय से)—

क्या आप कोई मोशन रखना चाहते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां।

श्री अधिष्ठाता—

मैनेजरसिंह जी भी एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। संभव है कि दोनों एक ही हों। आप उनका प्रस्ताव सुन लीजिये।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय राय जी मेरा प्रस्ताव सुन लें तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, उनका प्रस्ताव आ जाने दीजिये। मैंने स्वयं व्यवस्था दी थी कि किसी माननीय सदस्य को कमलासिंह जी के प्रस्ताव में अमेंडमेंट रखने का राइट है। उसे देखते हुये वह कोई प्रस्ताव करना चाहते हैं। आप उसे सुन लें। अगर वह अनियमित होगा तो आप उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार रखते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय कमलासिंह जी का प्रस्ताव केवल इतना है कि इस पर विचार किया जाय। इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। जब हाउस एग्री कर जायगा कि इस पर विचार किया जाय तो फिर उस पर अमेंडमेंट आ सकते हैं। आप प्रक्रिया नियमावली पढ़ने की कोशिश तो करें।

श्री अधिष्ठाता—

कोई भी प्रस्ताव जो सदन के समक्ष आता है तो उसमें संशोधन करने का अधिकार माननीय सदस्यों को है।

श्री कृष्णानन्द राय—

अभी तो प्रस्ताव यह है कि विचार किया जाय, इसमें कोई संशोधन नहीं आ सकता। जब यह एग्रीड हो जाय कि विचार किया जाय, तब कोई और संशोधन आ सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मैनेजरसिंह जी हमारे प्रस्ताव में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, पहले उनको सुन लिया जाय, उसके बाद ही कोई दूसरा संशोधन आ सकता है, यह मेरा निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो माननीय कमलासिंह जी का यह प्रस्ताव है कि "विचार किया जाय"। उसमें माननीय मैनेजरसिंह जी अपना संशोधन लाना चाहते हैं। वह ला सकते हैं। उनको वह अधिकार है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं आपकी बातों का बहुत आदर करता हूं। मगर मेरा यह निवेदन है कि जब कोई ऐसा मोशन आता है जिसमें हाउस को कोई ऐक्शन लेना होता है, तब वह आ सकता है। इसमें तो एक प्रोसीजरल बात है। इस वक्त इसमें कोई संशोधन नहीं आ सकता। आप नियमावली को कृपया देख लें। मैंने नियम ७३ के अन्तर्गत जो नोटिस दी है, उसे रखने की मुझे इजाजत दी जाय। माननीय मैनेजरसिंह जी कोई संशोधन नहीं ला सकते।

श्री अधिष्ठाता—

जब सदन इससे सहमत हो जायेगा कि इस पर विचार किया जाय, तभी आपको अपना सब्सटेन्टिव मोशन लाने का अधिकार होगा। माननीय मैनेजरसिंह जी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय कमलासिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सप्तम प्रतिवेदन को पुनः विशेषाधिकार समिति को निम्नलिखित बातों पर पुनर्विचार के लिये वापस किया जाय—

(१) क्या श्री बलदेवसिंह की गिरफ्तारी मैलाफाइडी तथा अवैधानिक थी ?

(२) क्या श्री बलदेवसिंह की गिरफ्तारी की सूचना में एग्जीक्यूटिव अथारिटी ने विलम्ब किया और सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई ?

(३) क्या श्री बलदेवसिंह को हथकड़ी लगाने से विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है ?"

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे कोई विशेष तर्क नहीं देना है। अब तक जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनसे ही इसकी पुष्टि हुई है। मैं समझता हूं कि हाउस इसे स्वीकार करेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं....।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या दूसरा प्रस्ताव इनको नहीं लाना है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

वह अधिकार तो उनका सुरक्षित है।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मैनेजरसिंह का संशोधन, प्रोसीज्योर के या नियम के हिसाब से, नहीं लिया जा सकता। कोई संशोधन मूल प्रस्ताव की भावना को संशोधित नहीं कर सकता। कमलासिंह जी का केवल इतना ही प्रस्ताव है कि इस पर विचार किया जाय। नियम ७० में केवल इतना ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब कैसे विचार किया जाय, इस प्रकार का संशोधन रखा जा सकता है। लेकिन यह संशोधन कि रिपोर्ट को लौटा दिया जाय, यह तो बिलकुल ही नया प्रस्ताव हो जाता है, यह संशोधन नहीं है। तो मैनेजरसिंह का प्रस्ताव अनियमित है और उसे ओवर-रूल होना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आपकी साफ रूलिंग हो चुकी है कि मेरा प्रस्ताव आ सकता है, तो क्या राय साहब को अपनी बात दोहराने का हक है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कृष्णानन्द राय का कहना यह है कि मैनेजरसिंह जी का प्रस्ताव कमलासिंह जी के प्रस्ताव के मूल उद्देश्य के विपरीत है, इसलिये ऐसा प्रस्ताव या संशोधन रखने का अधिकार मैनेजरसिंह को नहीं है।

माननीय कमलासिंह जी का प्रस्ताव केवल यह कहता है कि इस पर विचार किया जाय। किस लिये विचार किया जाय, यह उन्होंने साफ नहीं कहा। पुनर्निर्दिष्ट करने के लिये विचार किया जाय, मैनेजरसिंह जी ने यह उसमें जोड़ दिया। इस प्रकार का संशोधन नियमतः किया जा सकता है। इसलिये मैं माननीय मैनेजरसिंह जी के संशोधन को नियमित करार देता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं एक और नियम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपकी व्यवस्था की तो हमें प्रतिष्ठा करनी ही है। रूल ९७ को देख लें। यह कहता है कि रिजोल्यूशन्स के रूल्स के अनुसार ही किसी प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप रूल १३० और १३२ देखने का कष्ट करें। इस मोशन पर जैसे नियम के अनुसार कार्य होना चाहिये वही हम कर रहे हैं। आप किस नियम के अनुसार अनियमित बताते हैं, वह बतलाइये ?

श्री कृष्णानन्द राय—

चूंकि आपकी व्यवस्था हो चुकी है, मैं इस बात को छोड़ता हूं। जहां तक कमलासिंह जी का यह प्रस्ताव है कि समिति की रिपोर्ट पर सदन को विचार करना चाहिये, उससे तो मैं सहमत हूं, लेकिन जो तर्क उन्होंने दिया है उससे ऐसा मालूम होता है कि वह भावावेश में अधिक बह गये हैं। मेरी राय में समिति की रिपोर्ट जैसी है उसे मान लिया जाय। इस आदरणीय सदन के सदस्यों के प्रिविलेज के कानूनी पहलुओं पर और वास्तविकता पर विचार करने का उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया है। माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न उठा रहे थे कि जब विशेषाधिकार का प्रश्न हम लोगों के सामने आता है तो यह सदन अपनी बुद्धि से विचार नहीं करता है बल्कि बाहर के कुछ निर्णयों पर, उनका इशारा हाउस आफ कामन्स के निर्णयों से था, हम लोग अपना ध्यान ले जाते हैं और उनके प्रभाव में आकर विशेषाधिकार के प्रश्नों पर विचार करते हैं। श्रीमन्, मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और किसी भी सदस्य की भांति मैं यह चाहता हूं

[श्री कृष्णानन्द राय]

कि मुझे अधिक से अधिक विशेषाधिकार मिले जिससे अपना काम स्वतंत्रतापूर्वक कर सकूं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिविलेज का प्रश्न एक टैक्नीकल प्रश्न है। हम लोगों के इस विषय में कोई भी भाव क्यों न हों, लेकिन इस विषय में हम स्वतंत्र नहीं हैं कि हम अपने भावों के अनुसार ही विशेषाधिकार के प्रश्न को बना लें। अपने अवमान के प्रश्न को लेकर इस सदन को कितना ही क्रोध आये, वह कितना ही भावावेश में क्यों न बहे, लेकिन हम लोगों को यह अधिकार नहीं है कि किसी नये विशेषाधिकार को यहां घोषित कर सकें, जो परम्परा के अनुसार हमारे कांस्टीट्यूशन ने हमको दिया है, वह उसमें न हो। हमारे कान्स्टीट्यूशन में लिखा है कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर हर स्टेट की लेजिस्लेचर अपने नियम बना सकती है, लेकिन न तो पार्लियामेंट ने ही और न किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने ही इस विषय पर कोई ला बनाया। और इतना बड़ा महान प्रश्न है यह कि इस पर जुडीशियरी और लेजिस्लेचर का कांफिलिक्ट चल रहा है। फिर भी यह देखकर मुझे दुख होता है कि न तो स्पीकर साहब और न इस आदरणीय सदन के सदस्यों ने कुछ समय इसके लिये दिया कि वे बैठकर प्रिविलेज के बारे में अपनी राय बनाते। यह प्रश्न अन्धकार में ही छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद १९४ में यह साफ लिखा हुआ है कि प्रिविलेज के बारे में अगर कोई लेजिस्लेचर कोई कानून न बनाये तो संविधान के बनते समय हाउस आफ कामन्स के जो प्रिविलेज थे वही प्रिविलेज वह एन्ज्वाय कर सकते हैं। हाउस आफ कमान्स के प्रिविलेज के संबंध में एक नहीं सैकड़ों निर्णय ऐसे हैं जिनमें यह दिया हुआ है कि हाउस आफ कामन्स कोई नये प्रिविलेज नहीं बना सकता। जो प्रिविलेज परम्परा से चले आ रहे हैं उन्हीं के अनुसार मिल सकते हैं।

इस केस में माननीय बलदेव सिंह जी की गिरफ्तारी एक क्रिमिनल चार्ज पर हुई। अब वह सही है या नहीं इसको तो यह असेम्बली देख नहीं सकती, कोर्ट ही देखेगा। इसलिये समिति ने यह निर्णय दिया इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर और सरकार से सिफारिश की कि इस प्रश्न को गंभीरता से देखा जाय और गलती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। यह उन्होंने ठीक ही बताया कि किसी क्रिमिनल चार्ज में अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो सदन को उस पर विवेचना करने का कि वह वैध है या अवैध, कोई हक नहीं है। इसका निर्णय केवल कोर्ट करेगा। इस स्पेशल प्रिविलेज को कोई कोर्ट एन्ज्वाय नहीं कर सकता। अतः क्रिमिनल केस के विषय में गिरफ्तारी का सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसलिये बलदेवसिंह जी की गिरफ्तारी चाहे जितनी दुःख की बात हो, लेकिन उसपर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

अब दूसरा प्रश्न आता है हथकड़ी लगाये जाने का। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट की ओर से एक सर्क्यूलर गया है कि आदरणीय सदस्यों को हथकड़ी न लगायी जाय। यह ठीक है कि एक्जीक्यूटिव को उस सर्क्यूलर का पालन करना चाहिये, लेकिन मैं माननीय कमलासिंह जी से और माधवप्रसाद जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हाउस आफ कामन्स ने या हमारी पार्लियामेंट ने कभी माननीय सदस्यों को किसी क्रिमिनल केस में हथकड़ी लगाने को प्रिविलेज माना है? इसलिये किसी सदस्य को हथकड़ी लगाना कभी भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता। हां अगर कोई एक्जीक्यूटिव का कर्मचारी गवर्नमेंट के सर्क्युलर की अवहेलना करता है तो सरकार उसको सजा दे सकती है। हाउस के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है क्योंकि हाउस आफ कामन्स ने यह माना है कि किसी क्रिमिनल केस में माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है जिस तरीके से आर्डिनरी सिटीजन को हथकड़ी लगायी जा सकती है उसी तरह से लगायी जा सकती है।

अब तीसरी चीज रह जाती है सूचना देने की। यानी यह कि अगर कोई आदरणीय सदस्य गिरफ्तार किया जाय तो सूचना स्पीकर साहब को उसकी देनी चाहिये थी। यह हमारा रूल बना हुआ है। रूल्स का पूर्णरूप से आदर करते हुये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह रूल हम पर लागू नहीं होते हैं, हिन्दोस्तान के वे नागरिक जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, उन पर यह लागू नहीं होते। हमारे जो रूल्स हैं वे एग्जीक्यूटिव अथारिटीज के लिये नहीं हैं जो कि इस सदन के सदस्य नहीं हैं। हम अपनी नियमावली बनाने के लिये स्वतंत्र हैं कि किस प्रकार

से हम इस हाउस के कार्य को संचालित करें। जब तक इन रूल्स को ला की मान्यता न मिल जाये तब तक प्रदेश के बाहर के नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जहां तक सूचना देने का प्रश्न है....

श्री अधिष्ठाता—

क्या आपका प्रपोजीशन यह है कि जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है उसका संबंध केवल हमारे आदरणीय सदन के सदस्यों तक ही सीमित है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां, इस संबंध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि जब सदन की सीटिंग चल रही हो और कोई सदस्य सदन के कार्य संचालन में भाग लेने के लिये आ रहा हो और उसका डिटेंशन क्रिमिनल चार्ज में हो तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं पैदा होता। जब और किसी चार्ज में डिटेंशन हो तभी विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा होता है। अगर किसी का डिटेंशन क्रिमिनल चार्ज में हो तब विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं पैदा होता, या अगर कोई सदस्य इस सदन में नहीं आ रहा हो और उसका यहां आने का कोई इन्टेन्शन भी न हो और उसका डिटेंशन हो जाय और उसकी सूचना नहीं दी जाती या उसको तुरन्त छोड़ दिया जाय तो फिर सूचना देने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इस संबंध में आपको मैं हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेज को प्वायंट आउट करता हूं उसमें साफ दिया है। इस सिलसिले में माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि माननीय बलदेव सिंह जी सदन के कार्य में भाग लेने के लिये आ रहे थे, लेकिन विशेषाधिकार समिति के सामने जो उनका बयान है उसमें साफ है कि जब उनसे पूछा गया कि "क्या आप विधान सभा के लिये आ रहे थे ? तो उन्होंने कहा "जी नहीं।"

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो आपने क्रिमिनल चार्जेज में गिरफ्तारी की बात कही थी। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ८४ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो इस प्रकार है—

Intimation to Speaker of arrest, detention etc. and release of a member.

When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under a executive authority, as the case may be shall immediately intimate such fact to the speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction as the case may be, as also be place of detention or imprisonment of the member in the appropriate from set out in the schedule.

तो क्रिमिनल चार्जेज में डिटेंशन होने पर भी उनको सूचना देना है और सिविल आफेंस में तो आमतौर से गिरफ्तारी होती भी नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, हमारा पहला प्रपोजीशन बिलकुल स्पष्ट है कि क्रिमिनल चार्ज में गिरफ्तारी होने पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं पैदा होता। जहां तक गिरफ्तारी की सूचना देने की बात है, उसका एक प्रोफार्मा दिया हुआ है कि किस रूप में सूचना देनी होगी। शिड्यूल को देखने से इसका क्लेरिफिकेशन हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

शिड्यूल में तो इसका प्रोफार्मा बना हुआ है कि अगर अरेस्ट हो, डिटेंशन हो, कनविक्शन हो और जिस जगह पर डिटेंशन या इम्प्रिजनमेंट हो उसकी सूचना स्पीकर को देनी होगी। सूचना देना तो उन का कर्त्तव्य है।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपने ऊपर का शिड्यूल तो पढ़ा, लेकिन अगर आप भीतर देखें तो अभी और प्रकाश आप को मिलेगा। उसमें ३ प्रकार की परिस्थितियां दी हुई हैं? पहली परिस्थिति में तो यह है कि मैजिस्ट्रेट स्पीकर को लिखें कि फलां फलां मेम्बर को फलां फलां दफा में अरेस्ट या डिटेन किया गया है और वह फलां फलां जेल में रखे गये हैं और दूसरी परिस्थिति वह है कि फलां फलां सदस्य को कोर्ट में ट्राई किया गया और उन को इतने दिन की सजा दी गई है। इस प्रकार की सूचना कोर्ट स्पीकर को देता है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको सूचना दे दूं कि शिड्यूल में अरेस्ट, डिटेन्शन, कनविक्शन और रिलीज चारों हालतों में इत्तला देने की बात है।

श्री कृष्णचन्द राय—

आप नीचे के ए० बी० सी० शिडूल देखें तो साफ हो जायगा कि किन हालतों में सूचना देने की बात है। जब कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाय, कस्टडी में लिया जाय तो स्पीकर को सूचना दी जाती है कि फलां फलां . . . . श्रीमन्, मित्तल साहब इतनी चीजों को कहते जा रहे हैं कि सदन के सामने ठीक से उन के सम्बन्ध में विचार नहीं आ पा रहे हैं। दूसरे, जब कोर्ट किसी सदस्य को कनविक्ट करे तब वह स्पीकर को सूचना देते हैं और तीसरे शिडूल में है कि जब किसी सदस्य को बेल पर रिलीज किया जाता है तो उस की सूचना स्पीकर को दी जाती है। लेकिन अब आप इस श्री बलदेव सिंह के केस के फैक्ट्स की तरफ जरा देखें।

एक सदस्य—

सदन में श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णानन्द राय—

इस में दिया है कि श्री बलदेवसिंह की गिरफ्तारी १ अप्रैल, सन् ६३ को ११ बजकर २० मिनट पूर्वान्ह को हुई और उसी दिन १२ बजकर ४० मिनट अपरान्ह के समय उनको छोड़ दिया गया और उनके बयान से यह साफ जाहिर है कि उस समय उनका सदन में आने का इरादा नहीं था, उन्होंने स्वीकार किया है कि वह सदन में उस दिन आना नहीं चाहते थे। प्रिविलेज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हाउस आफ कामन्स की जो परम्परा है, वही एडाप्ट की है। इस प्रतिवेदन के पृष्ठ ४ पर दिया हुआ है कि—

"The privilege of parliament is granted in regard to the service of the commonwealth and is not to be used to the danger of the commonwealth. It was for this reason that the privilege arising out of an arrest and detention on a criminal cause came to be taken away and the only privilege which remained in respect of such matters was the obligation on the part of the arresting or the detaining authorities to communicate the fact to the speaker of the House of commons. Accordingly, it is now an established position that in all cases in which a member of either House is arrested on criminal charge the House must be informed of the cause for which he is detained from service in Parliament. It would, therefore, appear that if the arrest or detention does not cause any inteference in the service to Parliament, these arises no question of any breach of privilege if the fact of the arrest is not intemated to the House."

तो यह बहुत स्पष्ट है। कान्सटीट्यूशन के आर्टिकल १९४ में लिखा हुआ है कि यदि पार्लामेंट प्रिविलेजेज और इम्युनिटीज के बारे में ला नहीं बना है तो जो प्रिविलेजेज हाउस आफ कामन्स के होंगे वही माने जायेंगे। हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेज में बड़ा क्लियर है कि यदि कोई सदस्य

क्रिमिनल चार्ज में एरेस्ट होता है तो वह प्रिविलेज में नहीं आता है और अगर वह हाउस की सर्विस में आता है तो वह स्पीकर को सूचित करेंगे। श्री बलदेवसिंह जी खुद कहते हैं कि वह सदन में नहीं आना चाहते थे। तो इसमें एक्जीक्यूटिव अथारिटीज ने कोई इन्टरफेयरेन्स नहीं किया है और तुरन्त ही छोड़ दिया गया, लिहाजा इन्टीमेशन का भी प्रश्न नहीं उठता। वह एक मेम्बर हैं और उनकी गिरफ्तारी से हमें भी दुःख हुआ है, परन्तु सदन के प्रिविलेज के टैक्नीकल ला में इन तीनों प्वाइन्ट्स में से एक भी नहीं आता। ऐसी स्थिति में यदि माननीय मैनेजरसिंह और कमलासिंह जी का प्रस्ताव मान भी लें और प्रिविलेज कमेटी के पास इसको फिर भी भेज दें तो उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। अगर हाउस भी बैठे तो वह भी हाउस आफ कामन्स की परम्परा पर जायेगा। यदि हमारी असेम्बली इस निश्चय पर पहुंचे कि हम हाउस आफ कामन्स की परम्परा को न मानें तो मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स आफ दी सिटीजन हैं और ला कोर्टस के जो अधिकार हैं उनका इन्टरफियरेन्स होगा। इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि माननीय मैनेजरसिंह अपने प्रस्ताव को प्रेस न करें।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मैनेजरसिंह जी के संशोधन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय बलदेवसिंह जी की गिरफ्तारी जिस समय तुलसीपुर स्टेशन पर हुई और जब उसकी चर्चा इस सदन में हुई, जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने माननीय स्पीकर को और जिस प्रकार से एस० पी० गोंडा ने गिरफ्तारी की सूचना भेजी, जैसे-जैसे यह केस इस सदन के सामने आया उसको देखते हुए मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि सदन के अवमान का प्रश्न और सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न एक से हैं। अगर किसी सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तो यह निर्विवाद है कि सदन को अवश्य ही उसका नोटिस लेना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन ने उसकी नोटिस ली। यह प्रिविलेज कमेटी को गया, लेकिन मुझे दुख है कि प्रिविलेज कमेटी ने जिस प्रकार इस मामले की छानबीन की और उससे जिस नतीजे पर यह कमेटी पहुंची है और जो प्रतिवेदन दिया गया है उससे मैं समझता हूं कि इस सदन के सम्मान की रक्षा करने में वह अपर्याप्त है और इसमें अवश्य संशोधन की आवश्यकता है। जिस समय टेलीग्राम की बात आई थी उस समय भी मैंने निवेदन किया था और माननीय न्याय मंत्री ने भी कदाचित् अपने बयान में यह कहा था कि माननीय बलदेवसिंह जी किस समय गिरफ्तार किये गये, किस समय छोड़े गये, टिकटलेस ट्रेवलर थे या नहीं थे, पुलिस वालों ने कैसे उनको गिरफ्तार किया और तुलसीपुर स्टेशन पर उनको कैसे रखा गया यह सब डिटेल्ड सूचना की आवश्यकता है और मेरा खयाल है कि वह डिटेल्ड सूचना विशेषाधिकार समिति के सामने गयी होगी। दो तरह की डिटेल्ड सूचनायें जिलाधीश से तथा एस० पी०, से मिली थीं और उनके आधार पर मेरा यह निश्चित मत कि विशेषाधिकार समिति ने जो छानबीन की वह उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी जिस पर उसे पहुंचना चाहिये था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गोंडा ने तथ्य को छिपाया था और एस० पी० गोंडा ने साफ तथ्य इस सदन को भेजे थे। माननीय सदस्य ने भी इस सदन में स्वयं बयान दिया था। इसके बावजूद भी जो बयान उन्होंने प्रिविलेज कमेटी के सामने दिया उसको भी छोड़ दिया गया। मैं उस रिपोर्ट से पढ़ना चाहता हूं। "आपकी जमानत ली गयी या नहीं ली गयी" इसमें भी कंट्रोवर्सी है। इस जमानत के सम्बन्ध में पूरा चेप्टर है रिपोर्ट में। गवाहियों के बयान को पढ़ने से पता चलेगा कि माननीय बलदेवसिंह ने न कोई जमानत दी, न पर्सनल बांड भरा, लेकिन हाउस में कहा गया कि उन्होंने जमानत दी और माननीय बलदेवसिंह ने गवाही दिलवाई थी। न वहां मैजिस्ट्रेट कहता है, न कोई और अधिकारी कहता है कि कौन जमानतदार है, न डी०एस०पी० कहता है तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह खयाल होता है कि यह अधूरी है। जहां तक मुझे याद है माननीय न्याय मंत्री ने भी कहा था कि जमानत दी गयी, तार में भी जमानत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

की बात लिखी थी, लेकिन जमानत वाले पोर्शन पर कुछ डिसकशन हुआ है और उस पर कोई निश्चित राय विशेषाधिकार समिति ने नहीं व्यक्त की। मेरा खयाल है कि जिन लोगों ने गलतबयानी की और जानबूझ कर इस सदन को मिसलीड किया उन लोगों पर विशेषाधिकार का प्रश्न जरूर आयद होता है। इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज कर दूं कि माननीय कृष्णानन्द जी जो अभी बोल रहे थे उन्होंने एक सवाल पूछा था प्रिविलेज कमेटी में कि क्या सेक्शन ११२ के अन्तर्गत पुलिस स्वयं कागनिजेन्स ले सकती है बिला टिकट चलने वाले पैसेन्जर्स की ? तो श्री सैयद फारूख साहब ने जवाब दिया कि पुलिस खुद चैक नहीं कर सकती। तो पुलिस को चेक करने का अधिकार था और टी०टी० ई० ने कोई मेमो दिया नहीं और फिर यह कहना कि नहीं, विशेषाधिकार की अवहेलना हुई नहीं, ये सभी बातें तर्क संगत नहीं मालूम पड़तीं।

मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान अगर दिलाऊं तो वही सैयद फारूक साहब से डाक्टर रघुनाथ सिंह ने जब यह पूछा कि जिस दिन यह मामला हुआ उस दिन आपको किसी की चर्चा में इनके बिना टिकट यात्रा करने की बात कब मालूम हुई, तो उन्होंने यह जवाब दिया कि और किसी ने चर्चा नहीं की कि ये बिना टिकट थे। तो बिला टिकट साबित नहीं होता, पुलिस को स्वयं अधिकार है नहीं कि वह जाकर पैसेन्जर्स को चेक करे, चेक करने का अधिकार रेलवे अथारिटीज को है और जब रेल कर्मचारी कोई मेमो देंगे कि यह आदमी बिना टिकट यात्रा कर रहा है और पैनाल्टी वगैरह अदा करने में असमर्थ है तब वह पुलिस को हैण्डओवर करेगा उसके पुलिस का इंटरफियरेंस शुरू होगा। मामले को बिलकुल गलत ढंग से रखने की सारी साजिश की गयी है और मैं यह समझता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा और इसके विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये यह उचित है कि इस मामले को फिर से प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजा जाय। मेरा यह भी निवेदन है कि आज जिस तरह से एग्जीक्यूटिव का दिमाग बढ़ता चला जा रहा है वह बहुत ही खतरनाक है। माननीय नैनसिंह को गवर्नमेन्ट आर्डर के बावजूद भी ४–५ दिन तक अलीगढ़ जेल में रखा गया और जब मैंने प्रिविलेज का नोटिस दिया तब माननीय अध्यक्ष ने यह कह दिया कि हां, इसमें कुछ अनियमितता जरूर हुई है और मैं मुख्य मंत्री को उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये लिख रहा हूं, मुझे उनके ठीक शब्द याद नहीं हैं।

(इस समय २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

तो एक तरफ यह हाल है, दूसरी तरफ एक माननीय सदस्य का यह हाल है, और मुझे क्षमा करेंगे माननीय सदस्यगण, अगर मैं यह कहूं कि केशवसिंह को यहां बुलाने के लिये अगर हम प्रस्ताव पास कर सकते हैं, वकील के खिलाफ भी अगर हम नोटिस ले सकते हैं कि हाजिर करो तो मेरा इस मामले में सिर्फ यह कहना है कि आज जो यह कमेटी की रिपोर्ट पेश है चूंकि यह जनसाधारण को पढ़ने के लिये जायगी अगर जनसाधारण हमसे यह सवाल पूछना शुरू कर दे कि क्या डी०एम० गोंडा या एस० पी० गोंडा ने सदन का अवमान किया था या नहीं और आपकी यह रिपोर्ट हो और पिछले एक्सट्रैक्ट्स विधान सभा की प्रोसीडिंग्स से निकाल कर देखें तो मैं यह समझता हूं कि इस हाउस का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से अगर बात करे तो वह निरुत्तर हो जायगा। ऐसी दशा में मेरा यह निश्चित मत है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट का पुनः समिति के सामने अध्ययन के लिये भेजा जाना अति आवश्यक है वरना आज पब्लिक ओपीनियन जिस तरह से दूषित की जा रही है जिसमें कुछ लोग इस काम के लिये लगे हुये हैं और जो स्थिति विधायिका की समूचे हिन्दुस्तान में, जुडीशियरी से टसिल के बाद एक्जीक्यूटिव के सामने जो मंत्री सदन के प्रति जिम्मेदार है और उस माध्यम से वह सदन के मातहत होता है। उसको अगर हम विशेषाधिकार या अवमान के सिलसिले में छोड़ देते हैं और समकक्ष अस्तित्व रखने वाली संस्था है जुडीशियरी की, अगर विशेषाधिकार के मामले में हाउस में रखकर प्रस्ताव पास कर सकते हैं और विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई जस्टीफिकेशन होगा।

माननीय कृष्णानन्द राय जी की काबलियत का मुझे यकीन है और आप ऐसे सदस्य हैं जो हाउस के गौरव को बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी और हर सदस्य की यह ड्यूटी हो जाती है कि अगर वे इस रिपोर्ट से सहमत हैं तो बतायें कि कौन बात किस तरह से हुई। आप हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स को जरूर देखिये। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि किस दृष्टि से देखें। सदन के अधिकारों का जो कुठाराघात होता है उसकी वकालत करने का हक है, तो यह भी वकालत करने का हक है कि एक संतुलित व्यू रखा जाय कि सदन की मर्यादा की रक्षा के लिये कौन-कौन बातें हैं। इन शब्दों के साथ में सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मैनेजरसिंह जी के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कृष्णानन्दराय जी के विचारों को मैंने बड़े ध्यान से सुना है और सिफारिशों को भी मैंने पढ़ा है। काफी अर्से से मेरे सामने भी यह प्रश्न रहा है और आपको स्मरण होगा कि जिस समय हमारे दल के माननीय सदस्य नैनसिंह जी गुड़ के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये थे तो यह प्रश्न उपस्थित किया था और माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि जो भी अधिकारी इस माननीय सदन के किसी सदस्य को गिरफ्तार करता है, उसका यह कर्त्तव्य होता है कि वह सदन के अध्यक्ष को विहित प्रपत्र में सूचना भेजे। इतना अवश्य उन्होंने कहा था, हम को देखना होगा कि जिस परिस्थिति में गिरफ्तारी हुई, उस परिस्थिति में क्या ऐसे साधन उस अधिकारी के सामने उपलब्ध थे, जिनके माध्यम से सूचना भेज सकता था अथवा नहीं। बिलम्ब को जस्टीफाइ करने के लिए उन्होंने भाष्य किया। अभी हाल ही में यह प्रश्न लोक सभा के सामने उपस्थित किया गया था। एक त्यागी जी हैं मुजफ्फरनगर जिले के, इत्तफाक से वह भी हमारे दल के सदस्य हैं। किसी सत्याग्रह के सिलसिले में वह गिरफ्तार किये गये। उनको हथकड़ी लगा कर ले जाया गया। लोक सभा के अध्यक्ष ने व्यवस्था की कि माननीय सदन के सदस्यों को ही नहीं वरन् लोक सभा की मर्यादा को आगे ले जाने के लिये आवश्यक है कि आज हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसमें हमें साफ-साफ अपने अधिकारियों को यह आदेश देना चाहिये कि वह किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को इस ढंग से गिरफ्तार न करें जिससे लोकतंत्र से लोगों की आस्था उठती हो। मैं चाहूंगा, मान्यवर, कि जो लोक सभा के अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है उसको भी आप देखने की कृपा करें, जो प्रपत्र हमारा दिया गया है उसमें भी आवश्यक है कि प्रत्येक अवस्था में उस अधिकारी का यह कार्य हो जाता है कि वह सूचना भेजे चाहे वह अरेस्ट हो, डिटेंशन हो, कनविक्शन हो या रिलीज हो। उसको क्वालीफाइ किया गया है इस रिपोर्ट में कि गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन अगर जमानत पर छोड़ दिया जाय तो जरूरी नहीं है। हमारी इस प्रक्रिया नियमावली में ऐसी बात नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रक्रिया नियमावली का आधार क्या है? आर्टिकल १९४ में लिखा है कि जो हाउस आफ कामन्स का प्रिविलेज होगा वही हमारा होगा, न कि जो प्रक्रिया नियमावली में लिखा हुआ है। यदि प्रक्रिया नियमावली में लिख दिया गया है कि हर सूरत में सूचना देना जरूरी है और हाउस आफ कामन्स में ऐसा नहीं है, तो प्रक्रिया नियमावली का क्या मूल्य है?

श्री कल्पनाथसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय की बात प्रोसीडिंग्स से निकलवा दें। क्या उनका यह कहना है कि जो संविधान की धारा १९४ है उसके खिलाफ यह प्रक्रिया नियमावली है? अगर ऐसा है तो माननीय कृष्णानन्द जी अविलम्ब यह कहें और उस पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनार्थसिंह]

आप व्यवस्था दे दें कि यह जो प्रक्रिया नियमावली बनी हुई है यह बिलकुल अवैधानिक है और अगर वैधानिक है तो प्रक्रिया नियमावली रहेगी, क्योंकि यह भी कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत बनी है, जिस धारा की तहत में इस सदन ने अपने रूल्स आफ प्रोसीजर को बनाया ।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, वह अपना आर्गूमेंट दे रहे हैं, आप उसके खिलाफ कह सकते हैं ।

श्री रामायणराय---

आप स्वयं संविधान की धारा १९४ को देखें जिसका बार-बार हवाला माननीय कृष्णानन्द राय जी दे रहे हैं । उसमें लिखा हुआ है कि लोक सभा और राज्य विधान मंडलों को यह अधिकार होगा कि वे अपने सम्बन्ध में विशेषाधिकार से सम्बन्धित कानून बनावें और जिन क्षेत्रों में कानून नहीं बने होंगे उन मामलों में हाउस आफ कामन्स हमारे लिये उदाहरण होगा, लेकिन जिन मामलों में नियम साफ साफ बन चुके हैं उन पर वह लागू नहीं होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

हमारी नियमावली तो नहीं है उसमें है प्रिविलेजेज-फेम्ड वाई ला । यह आर्गूमेंट उन्होंने दिया है, आप उसका जवाब दीजिये ।

श्री रामायणराय---

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो प्रक्रिया नियमावली संविधान के द्वारा मिले हुये अधिकारों के ही आधार पर बनी है । उसमें जो व्यवस्था दी गयी है उसके मुताबिक उस अधिकारी का यह कर्त्तव्य था कि जैसे ही बलदेव सिंह जी गिरफ्तार हुये वैसे ही सूचना भेजनी चाहिये थी । माननीय उपाध्यक्ष जी, कहीं-नहीं कहा गया है कि जब जमानत पर हो जावें तो सूचना देने की आवश्यकता नहीं है । जिस मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का माननीय कृष्णानन्द राय जी हवाला दे रहे हैं उससे कहीं एक भी उदाहरण वे दिखा दें कि वहां यह परम्परा है कि जब कोई माननीय सदस्य जेल में रखा जाय तभी उस अधिकारी का काम सूचना देने का होगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने यह आग्रह किया है । मैं केवल एक पैराग्राफ पढ़कर सुना देता हूं ।

श्री रामायणराय---

मैंने उसे पढ़ा है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

ठीक है, आपने पढ़ा है, लेकिन सुन लीजिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

कितनी बार पढ़ेंगे ये उसे ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रामायण जी ने कहा है कि एक उदाहरण दिखा दीजिये । वे उसीको पढ़कर सुनाना चाहते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

पेज ८१ पर दिया हुआ है कि किन स्थियों में सूचना देनी चाहिये ।

"The committal of a Member for high treason or any criminal offence is brought before the House by a letter addressed to the Speaker by the committing judge or magistrate. On these occasions, the first communication to the Speaker is made when the member is committed to prison, bail not being allowed:"

यानी बेल अगर ऐलाऊ हो जाय तो जब पहले प्रिजन में रख दिया जाता है तो पहले इन्फारमेशन दे दी जाती है, लेकिन अगर बेल पर रिलीज कर दिया जाता है तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं रह जाती है।

"and subsequently, if the Member be not released from custody, or acquitted, the judge informs the Speaker of the offence for which the Member was condemed, and the sentence that has been passed upon him. Where a Mcmber is convicted but released on bail pending an appeal, the duty of thc magistrate to communicate with the Speaker does not arise."

श्री रामायणराय—

क्या आप कह सकते हैं कि माननीय बलदेवसिंह बेल पर रिलीज कर दिये गये थे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

वह तो प्रिजन में नहीं रखे गये थे। जब तक वह प्रिजन में नहीं भेजे जाते तब तक कमिटल नहीं हुआ। जब पकड़कर जेल में भेज दिया जाता है तभी कमिटल माना जाता है।

श्री रामायणराय—

मैं समझता हूं कि आप तो कानून के बहुत बड़े पंडित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बन्दीकरण किसे कहते हैं। अगर आप अरेस्ट की डेफीनीशन देखें तो आपको पता चलेगा कि माननीय बलदेवसिंह जो अपनी इच्छा से स्वयं वहां से उठकर नहीं जा सकते थे। उनसे साफ-साफ कहा गया कि अमुक धारा में आप गिरफ्तार किये जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि आदमी को जेल में बन्द ही किया जाय। आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था और उस समय उसको ही जेल मान लिया गया था। मान्यवर, जेल के लिये जो बन्दीगृह बने हुये हैं उसी में किसी को रखा जाना जेल नहीं है। जब कोई मनुष्य किसी अधिकारी के द्वारा अपने सामान्य मूवमेंट के अधिकारों से वंचित किया जाता है तो उस स्थिति में बन्दीकरण का प्रश्न उठ जाता है · · · तो माननीय बलदेवसिंह की गिरफ्तारी हुई। इसमें कोई विवाद नहीं है। माननीय कृष्णानन्दराय जी इस रिपोर्ट को पढ़ें। प्रिविलेज कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसा हुआ है। यह प्रश्न नहीं है कि गिरफ्तार हुये या नहीं। गिरफ्तार तो हुये, लेकिन यह तर्क उठाया गया है कि अगर वह सदन में आ रहे होते तब अगर गिरफ्तार करने के बाद सूचना न भेजी जाती तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता। मैं ऐसा समझता हूं कि कमेटी ने अनोखे तर्क से यह निर्णय निकाला है। हमारे सामने जो तथ्य मौजूद हैं उन तथ्यों से यह बिल्कुल साफ है कि माननीय बलदेव सिंह, जिस समय सदन चल रहा हो और सदन की सेवा में उपस्थित होना चाह रहे हों उनको इस प्रकार से रोक दिया जाना हमारे विशेषाधिकारों का प्रश्न है। जल्दी की कोई बात नहीं है। मैं कृष्णानन्द राय जी से आग्रह करूंगा कि यदि इस प्रश्न पर कमेटी फिर विचार कर ले तो उचित होगा, क्योंकि जो इसी सदन के अध्यक्ष हैं उन्होंने माननीय नयनसिंह की गिरफ्तारी के समय यह व्यवस्था दी थी कि अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि हमको वह सूचना देते। मैं देखूंगा कि यदि सूचना समय से नहीं आती है तो माननीय सदस्य को अधिकार होगा कि वह विशेषाधिकार का प्रश्न उठायें। लोक सभा के अध्यक्ष की राय में किसी भी सार्वजनिक सेवक को हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिये ऐसे मामले में। वह कत्ल या डकैती के मुलजिम नहीं थे। अगर बिना टिकट सफर का मामला था या इस तरह के अपराध का कोई बेलेबिल आफेन्स था और इस तरह के आदमी के हथकड़ी लगाई जाय और वह हथकड़ी इस माननीय सदन के सदस्य के लगाई जाय तो इससे सदन की गरिमा और मर्यादा कम होती है। सभी मर्यादाओं की रक्षा

[श्री रामायणराय]

के लिये माननीय बलदेव सिंह जी से सम्बन्धित जो प्रश्न है इस प्रश्न पर पुनः गम्भीरता और गरिमा के साथ विचार होना चाहिये। इसलिये मैं माननीय कृष्णानन्दराय जी से कहूंगा कि वे मैनेजर सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो इस सदन का बड़ा उपकार होगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मैनेजर सिंह जी के संशोधन का तहेदिल से समर्थन करता हूं। यह बड़ा गंभीर मसला है। मैं बहुत देर तक लाबी में इसको सुनता रहा। यहां लगातार इस तरह से सरकार और सरकार की नौकरशाही और पुलिस विधान सभा के सदस्यों को इस तरह से बिला वजह अपमानित करते रहे। यह वही मसल है कि उलटा चोर कोतवाल को डांटे। अभी माननीय बलदेव सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं। उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से यह कभी नहीं साबित होता है कि बलदेव सिंह जी बिला टिकट बैठे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार किस मद में अन्धी हो रही है। यह सरकार और सरकार की पुलिस क्या मद में रहती है यह मेरी समझ में नहीं आता। अब तो सभी लोगों को पास मिल गये हैं रेल के। मैं इस वकालत को अच्छी तरह से समझता हूं और इसी ने चौपट कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कोरम के लिये जरा रुक जायं।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लखीसिंह—

यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था और यह वही समिति थी जिसने केशव-सिंह जी और जजों के मामले पर फैसले दिये थे। लेकिन जब एक लकड़ीचोर दरोगा का मामला आता है तो उसमें यह समिति पंगु हो जाती है, उसे लकवा मार जाता है। जब माननीय कृष्णानन्द राय जी अपना भाषण दे रहे थे तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था। वह विद्वान् हैं और मैं उनके बराबर कानून नहीं जानता, लेकिन यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग यहां कानूनबाज बनते हैं वे सब के सब केशव सिंह के मामले में फेल हो गये हैं और मैनेजर सिंह जी ने एक विद्वता का काम किया है इसको विशेषाधिकार समिति को दुबारा विचार करने का प्रस्ताव रख कर। आप विचार करें कि वह इसे दुबारा क्यों उस समिति को भेजना चाहते हैं। अभी गरमी तेज नहीं हुई है और इसलिये ठंडे दिल से इस पर विचार हो सकता है। यह समिति दुबारा बैठे और इस पर विचार करे। यह सदन के एक-एक सदस्य की मान और मर्यादा का प्रश्न है। सदन के मान का प्रश्न है और इस पर हमें पुनः विचार करना चाहिये। न्याय मंत्री जी यहां नहीं दिखायी दे रहे हैं। वे सही सलाह देते हैं। वे कुछ ब्रेक रखते हैं, रोकते हैं। लंगड़ी अंग्रेजी पढ़ करके यहां विधान सभा में काम करते हैं। किसान बड़ा विद्वान् होता है। उसको अगर न्याय करने के लिये बिठाल दिया जाय तो वह न्याय कर सकता है। किसी भी थाने में देखिये, पुलिस हमेशा बेगुनाह लोगों को पकड़ लेती है। पुलिस घोर अत्याचार करे, हम लोगों पर जुल्म करे, महिलाओं के साथ बलात्कार करे, और फिर भी पुलिस मंत्री पुलिस की तारीफ करें, तो यह गलत बात है। सत्ता का मद हमने रावण का सुना, सत्ता का मद हमने दुर्योधन का सुना। सत्ता का मद हमने अंग्रेजों का देखा, सत्ता का मद हमने कंस का सुना, और आज सत्ता का मद हम इस सरकार का देख रहे हैं। अगर सत्ता के मद में यह सरकार काम करेगी तो जनता इनको टिकने नहीं देगी। इस-लिये मैं विनम्र शब्दों में यह प्रार्थना करूंगा कि बड़े ठंढे दिल से सोच विचार कर इसको फिर से विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय। एक दिन तो यह हल्ला मचा कि यह सदन सबसे ऊंचा है, जजों को हिरासत में लो। मगर एक सिपाही ने जब एक माननीय सदस्य को हथकड़ी पहनायी तो हम चुप हैं। मैं तो समझ नहीं पाता कि बलदेवसिंह जी ने हथकड़ी पहन कैसे ली।

मुझे इसी पुलिस ने २२ बार गिरफ्तार किया और मैंने कहा कि हिम्मत हो तो हथकड़ी लगाओ। और तारीफ यह कि वे हथकड़ी लगाने का कोई सबूत भी न दे सके। बिला टिकिट का इल्जाम लगाया, क्या कोई विधायक बिला टिकिट चलेगा? उधर के लोगों को आप समझायें, वे अपना दिमाग सही कर लें, उनका दिमाग बिलकुल बिगड़ चुका है। इनमें से कुछ लोगों का तो मानसिक चिकित्सालय आगरा या बरेली जरूर भेज दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इसको फिर से विशेषाधिकार समिति के सामने भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

लखनसिंह जी, आपको इस प्रकार की बात न कहनी चाहिये।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन के सिलसिले में जो भाषण हुए उनको मैंने ध्यान से सुना। जिन्होंने इस विषय में अपने विचारों को प्रकट किया, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, यह कमेटी आपकी अध्यक्षता में बैठी और मुझे खुशी इस बात को देखकर हुई कि आपने बड़ी दक्षता के साथ गवाहों को क्रास एग्जामिन किया, लेकिन माननीय कृष्णानन्दराय जी का भाषण सुना तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। एक ऐसे विधायक जो वकील भी हैं और उस प्रिविलेज कमेटी के मेम्बर भी थे, उनके मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलीं जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बतला देना चाहता हूं कि जो जांच सदन को दी गयी है गलत है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रिविलेज कमेटी के सामने जो बयान पेश किया गया है, श्री राम पालसिंह ने यह बतलाया है बलदेवसिंह की मौजूदगी मालगोदाम में दर्ज थी, इसलिये टी० टी० ई० ने मेमो देने से इंकार कर दिया। श्री रामपालसिंह ने यह भी बताया कि वह जिस ट्रेन से आया उस ट्रेन से कोई एम० एल० ए० नहीं ट्रेविल कर रहा था। बलदेवसिंह जी को गाड़ी में नहीं, बल्कि प्लेटफार्म पर पकड़ा गया। उसका कहना है कि वे गाड़ी आने के पहले से प्लेटफार्म पर मौजूद थे। इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय बलदेवसिंह जी उस ट्रेन से सफर नहीं कर रहे थे। इसलिये यह कहना कि वे टिकिटलेस ट्रेविल कर रहे थे, बिलकुल असत्य है। इसलिये असेम्बली को गलत सूचना देना ही प्रिविलेज का सवाल हो जाता है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कहा यह गया है कि जरवल से आ रहे थे लेकिन बयान में कहा गया है कि वे जरवल से नहीं आ रहे थे। वही आदमी कहता है कि वे टिकिटलेस ट्रेविल कर रहे थे और वही कहता है कि वे उस स्थान से नहीं आ रहे थे और उसके बाद भी यह सूचना दी गयी कि वे टिकटलेस ट्रेविल कर रहे थे। तो यह बिलकुल असत्य बात हो गयी। हालांकि यह इश्यू यहां नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह इश्यू फ्रेम किया जाय जो माननीय मैनेजरसिंह ने दिया है कि सदन को जो सूचना दी गयी यह गलत थी, चाहे किसी परिपत्र में हो, चाहे किसी इनफारमेशन से हो, गलत सूचना दी गयी, इसलिये इस प्रतिवेदन को वापस किया जाय और उसमें यह भी जोड़ दिया जाय कि जो सूचना दी गयी वह गलत है।

दूसरी बात यह कि जहां तक अरेस्ट का सवाल है, माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि क्रिमिनल चार्जेज में कोई गिरफ्तारी होने पर सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय जी अब अपने को करेक्ट कर लिये होंगे। जहां तक सूचना देने का सवाल है, क्रिमिनल आफेंस में भी गिरफ्तार होने पर उसकी सूचना देने की बात हमारे रूल्स परिपत्र में साफ तौर से दी हुई है। क्रिमिनल आफेंस में अगर कोई गिरफ्तारी हो तो उसको हम क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन सूचना देने के संबंध में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सदन के चलने के ४० दिन पहले और ४० दिन बाद तक अगर कोई सदस्य कहीं गिरफ्तार किया जाय किसी भी सिलसिले में तो जज, मैजिस्ट्रेट, एक्जीक्यूटिव अथारिटी, हर एक की ड्यूटी होती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

है कि वह समय से इस सदन को सूचना दे दे कि कौन सदस्य कहां पर डिटेन किया गया, कहां अरेस्ट किया गया, कहां ट्राई किया गया और कहां कनविक्शन किया गया। इन सब चीजों की डिटेल उन्हें देनी पड़ेगी अगर तार द्वारा या परिपत्र द्वारा सूचना आ जाय और वह कह दे कि यह बोनाफाइडी मिस्टेक थी जिससे सदन को गलत सूचना दी गयी और उस में डिस्कस करने की कोई बात नहीं होती, लेकिन यह तो साफ तौर से मैलाफाइडी अरेस्ट है और इससे हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि सदन का अवमान हुआ है ।

जहां तक मेमो की बात बतलायी गयी, यह बात सही नहीं है कि माननीय बलदेवसिंह ने कोई क्रिमिनल आफेंस किया । उनके ऊपर दफा ११२ और ३३२ का चार्ज लगाया गया है । ११२ इस प्रकार है :—

"112. If a person, with intend to defraud a railway administration.

(*a*) enters (or remains in any carriage on a railway in contievention of section 68 or

(*b*) uses or attampts to use a single pass or single ticket which has already been used on a previous journey or, in the case of a return ticket, a half thereof which has already been so used."
he shall be punished (with imprisonment for a term which may extend to three months or) with fine which may extend to one hundred rupees in addition to the amount of the single fare for any distance which he may have travelled."

तो आप देखें कि इसमें साफ शहादत है कि माननीय बलदेवसिंह ट्रेन के अन्दर नहीं पकड़े गये, बल्कि प्लैटफार्म पर पकड़े गये और इनकी मौजूदगी को माल गोदाम में इंट्री है । गवाह भी यही कहता है कि वे ट्रेन से नहीं उतरे, बल्कि वे प्लेटफार्म पर मौजूद थे । इसका मतलब यह है कि टी०टी० ई० ने ट्रेन के अन्दर इंटर नहीं किया । अगर डिब्बे के अन्दर वह एंटर करता और उस वक्त वे टिकेटलेस होते तो उन पर यह आफेंस हो सकता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है । इससे साफ जाहिर होता है कि सेक्शन ११२ का आफेंस नहीं हुआ है । जहां तक सेक्शन ३३२ की बात है, उसको भी मैं पढ़ देना चाहता हूं । इसलिये कि मैं समझता हूं कि उनका मैलाफाइडी अरेस्ट हुआ और उनके ऊपर जो आफेंस लगाया गया है वह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

उसमें यह है कि जब यह चीज शहादत में आई है कि ११२ के अनुसार श्री बलदेवसिंह को गिरफ्तार किया गया, उन को हथकड़ी लगाई गई ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं कहना चाहता हूं कि श्री कमलासिंह जी अपने प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या श्री मैनेजरसिंह के संशोधन पर बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जल्दी कहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

दूसरी चीज यह है कि श्री रामबलीसिंह थानेदार ने कहा है कि दफा ११२ में गिरफ्तारी की गई और उन को हथकड़ी लगाई गई, लेकिन उनको ड्यूटी के सम्पादन में बाधा डाली इसलिये ३३२ बाद में लगाई गयी। अगर कोई गिरफ्तारी हुई तो वह एसकेप कैसे करेगा, उस में २२४ लगती है ३३२ एप्लाई नहीं होती। वह तो तब लगती जब यह पहले कोई अटैक किये होते, लेकिन गिरफ्तारी ११२ में हुई और उसके बाद ३३२ लगाना बिलकुल अनिवार्य नहीं था, और मैं क्या कहूं? इस तरह से यह बिलकुल मेलाफाइडी अरेस्ट हुई। मैंने इस विषय में पहले ही अध्यक्ष की रूलिंग पढ़ दी है कि अगर किसी सदस्य की मेलाफाइडी अरेस्ट हुई या डिटेंशन हुआ है और केस कोर्ट में चल रहा है और बाद में अगर कोर्ट से स्ट्रक्चर पास हो जाय कि गिरफ्तारी या डिटेंशन मेलाफाइडी था और उसकी रिहाई हो जाय तो वह क्लीयर ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा। मैंने अभी श्री बलदेव सिंह से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोर्ट में केस चल रहा है और उन का प्ली भी यही है कि जो मैं कह रहा हूं। अगर केस पेंडिंग है और उम्मीद है कि इस में अदालत स्ट्रक्चर पास करेगी इसलिये सदन को चाहिये कि इसे फिर विशेषाधिकार समिति को वापस कर के कोर्ट के फैसले के अनुसार अपना अंतिम निर्णय ले। मैं श्री मैनेजरसिंह के संशोधन पर बोल रहा हूं, उसी में मेरा थोड़ा संशोधन है कि जो सूचना दी गयी है उस में इतना होगा कि वह भी गलत दी गई है।

*श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं श्री कमला सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि इस नियमावली के अनुसार वह बता दें कि किस नियम के अन्तर्गत मोशन का संशोधन श्री मैनेजर सिंह ने दिया है।

श्री कमलासिंह यादव—

वह तो कानून के माहिर हैं और सरकारी बेंचेज की तरफ भी हैं....

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि रिजोलूशन के ऊपर नियमावली में दिया है और उस में लिखा है कि उसको नोटिस ३६ घंटे पहले होना चाहये। माननीय कमला सिंह जी नियमावली का मामला है, आप एप्रीशियेट करेंगे। आप जरा नियमावली का रूल ९७ देखें। उस में दिया है कि जब कोई संकल्प चर्चाधीन हो तो कोई सदस्य संकल्पों से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुये उस संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा, परन्तु कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिस के स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप केवल नकरात्मक मत का प्रभाव हो, लेकिन ९८ में आगे यह भी है कि यदि संशोधन की एक प्रति संकल्प पर चर्चा के लिये निश्चित दिन के ३६ घंटे पूर्व सचिव को न दी जा चुकी हो तो कोई सदस्य उस संशोधन के प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और वह आपत्ति अभिभावी होगी जबतक कि अध्यक्ष संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें। तो उस में ३६ घंटे पहले संशोधन की एक प्रति सचिव को देने की बात है।

श्रीमन्, मोशन को आप देख लें। इस संबंध में में चैप्टर १३, में नियम १०६ जिसमें डिस्कशन आन ए मैटर आफ पब्लिक इंटेरेस्ट बाई मोशन, १०८ में नोटिस आफ ए मोशन, और नियम १०९ में कंडीशन्स आफ एडमिसिबिलिटी आफ एक मोशन है, उस को पढ़ लें। कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि मोशन में अमेंडमेंट दिया जा सकता है। ३६ घंटे पहले उन्हें नोटिस देना चाहिये। माननीय कमला सिंह जी का प्रस्ताव है कि विशेषाधिकार समिति के षष्ठ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय। विचार करने के लिये हम तैयार हैं। तो माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो अमेंडमेंट दिया है उसे लौटा दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको आप छोड़िये ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अब तीसरा जो रैफरेंस है हथकड़ी का है । उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कहना चाहता हूं । सिर्फ एक तो यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक केंद्रीय पार्लियामेंट है, उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि हथकड़ी न लगायी जायें और कमेटी ने भी तय कर दिया है पंजाब की विधान सभा ने भी यही तय कर दिया है कि हथकड़ी किसी माननीय सदस्य को न लगायी जायं और हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी सब को सूचित कर दिया है कि हथकड़ी न लगायी जायं । हथकड़ी का लगाना यह खुद अवमान है और यह ऐसा प्रश्न है कि इस पर फैसला करना चाहिये । इस समय इम्मेच्योर होगा, पर मैं प्रार्थना करूंगा कि पहले यह चाहिये कि आप इसको प्रिविलेज कमेटी को पुनर्विचार के लिये भेज दें ताकि जब उनका फैसला हो जाय इस पर गौर करें और गौर करने के पश्चात् अपने प्रतिवेदन के साथ वापिस करें ताकि हम सही विचार कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो अमेंडमेंट फार्म में इस प्रस्ताव को रखा है उसको स्वीकार किया जाय और प्रेफरेंस दिया जाय । जो सूचना दी गयी है वह गलत दी गयी है क्योंकि यह बहुत इम्पारटेंट है । सूचना देना जरूरी है । जो परिपत्र में न हो उसे पूरी दी जाय । अगर कोई गलत सूचना दी जाती है तो उससे तो सदन का अवमान होता है ।

इन शब्दों के साथ माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्....

श्री उपाध्यक्ष—

अमेंडमेंट करने वाले को....

श्री मैनेजरसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से उन्होंने कुछ अनुरोध भी किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो मैंने रूल आउट कर दिया है ।

अर्ज यह है कि अमेंडमेंट करने वाले को राइट आफ रिप्लाई नहीं है ।

*श्री मैनेजरसिंह—

उन्होंने मुझसे कुछ अपील भी की है । उसके संबंध में मुझे २ मिनट में कह देने दीजिये ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जितना मेरा प्रस्ताव है वह बिलकुल ही निर्विवाद है । विशेषाधिकार समिति ने जो छानबीन की है, जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है, उनको पढ़ कर कोई निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है और जो तथ्य हैं, बयानात हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनसे साफ जाहिर है कि बलदेव सिंह जी ट्रेन में सफर नहीं कर रहे थे। गवाहियों के स्टेटमेंट के पढ़ने से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि एक गवाह ने नहीं कहा कि माननीय सदस्य ट्रेन पर सवार थे या उतर रहे थे.....

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह है किस तरह से विशेषाधिकार की अवहेलना होती है।

श्री मैनेजरसिंह—

सभी ने यह कहा कि सरदार जी एक सिपाही से झगड़ रहे थे या दोनों तरफ से लड़ाई हो रही थी, लेकिन विवरण में बयान है कि सरदार जी एक सिपाही को घसीट रहे थे, मार रहे थे। इस तरह कांट्रेडिक्शन होता है.....

श्री उपाध्यक्ष—

इन चीजों का फैसला विशेषाधिकार समिति के सामने नहीं था।

श्री मैनेजरसिंह—

जिस प्रतिवेदन पर हम विचार कर रहे हैं उसकी पुष्टि आपकी अध्यक्षता में हुई। तो क्या न्यायतः अथवा विधानतः आपको इस कुर्सी पर न रहना चाहिये जब कि इस पर विचार हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कोई रुकावट नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

डांगे साहब की मिसाल मौजूद है। उन्होंने आपसे ज्यादा बहादुरी के साथ कहा अपनी सर्वोच्च कमेटी के सामने कि उनके बारे में अगर विचार हो और वह अगर अध्यक्षता न करें तो यह उनकी कमजोरी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे बारे में विचार नहीं हो रहा है। जो बातें आप कह रहे हैं उनका इससे क्या ताल्लुक है ? विशेषाधिकार की अवहेलना कैसे होती है, यह बतलाइये।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं इसी तथ्य को रखना चाहता हूं। माननीय बलदेव सिंह जी लकड़ी की चोरी में रुकावट डालने के कारण परेशान किये गये। ये तथ्य आपके सामने गुजरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

तथ्यों को कोई डिस्प्यूट नहीं करता है। ये कांस्टीट्यूट करते हैं ब्रीच आफ प्रिविलेज, यह सवाल है।

श्री मैनेजरसिंह—

लकड़ी की चोरी न होने देने के कारण पुलिस वालों ने उनके पकड़ कर हेरेस किया, वरना वह दूसरी ट्रेन से सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ रहे थे। इससे उनके समय का दुरुपयोग हुआ और वे अकारण कार्यवाही में भाग न ले सके।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि वे नहीं आ रहे थे।

श्री मैनेजरसिंह—

उस ट्रेन से नहीं आ रहे थे। दूसरी ट्रेन से आ रहे थे। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रतिवेदन को पुनः विशेषाधिकार कमेटी को निर्दिष्ट कर दिया जाय। पता नहीं कृष्णानन्द राय जी क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? वे उस समिति के सदस्य हैं। वे उस समिति की तरफ से वकालत करना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं या कुछ हमको प्रकाश देना चाहते हों, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय कृष्णानन्दराय जी का आदर करता हूं, लेकिन आज मुझे बहुत खेद हुआ उनके मुंह से यह सुन कर कि जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है इसका कोई वैधानिक रूप नहीं है और इसकी वैधता केवल हमारे लिये ही है, किसी अन्य के लिये नहीं है। यदि उनका यह तर्क मान लिया जाय, तो आजतक इस संबंध में जो व्यवस्थाएं आपके आसन से दी गयी हैं उन सब का खंडन होता है और मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार का वक्तव्य दे कर माननीय कृष्णानन्दराय ने जो अधिष्ठाता मंडल के भी सदस्य हैं, इस आसन की गरिमा को धक्का पहुंचाया है और उन्होंने स्वयं इस सदन के विशेषाधिकार का अवमान किया है।

श्री कृष्णानन्दराय—

नोटिस दे दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह—

नोटिस दूं तो आप ही तो जज बैठे हुये हैं। यहां कहूं तो सुनवाई नहीं होती और आपके यहां कहूं तो आप कहेंगे कि मैं हटूंगा नहीं, मैं निर्णय दूंगा। तो मैं गम्भीरता से माननीय कृष्णानन्दराय जी से कहना चाहता हूं कि उनकी इस बात को मैं समझ नहीं पाया। पता नहीं किस हल्के ढंग से उन्होंने यह तर्क दिया। हमारी प्रक्रिया नियमावली में जो व्यवस्था है वह हमारे और सभी संबंधित लोगों के लिये मान्य है। अगर ऐसा न हो तो जो उसमें परिपत्र की व्यवस्था है और उसके अनुसार जो आप छानबीन करते हैं कि उसके अनुसार सूचना आयी या नहीं, इस सब की आवश्यकता नहीं रहेगी और न इस प्रक्रिया नियमावली की आवश्यकता है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं माननीय कृष्णानन्द राय जी से, क्योंकि वे ही एक मात्र इस प्रस्ताव के विरोधी हैं कि वे फिर इसको छानबीन न करें। यह मामला अभी भी अदालत के विचाराधीन है। एक फर्जी मामला हमारे माननीय साथी के विरुद्ध खड़ा किया गया है जिसकी सच्चाई को माननीय कृष्णानन्दराय जी मानते हैं और इस दौरान में हमारी विशेषाधिकार समिति ऐसी रिपोर्ट दे तो इसका असर बाहर भी पड़ सकता है। इसलिये मैं अदब से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को मानें और इसको पुनर्निदिष्ट कर दिया जाय विशेषाधिकार समिति को। आप लोग ही वहां बैठेंगे, फिर अन्वेषण करें और बाद में अपनी रिपोर्ट दें। मैं समझता हूं कि इससे वातावरण ठीक होगा और यदि आप बहुमत के बल पर इसको पास कराना चाहेंगे तो इस आदरणीय सदन के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचायेंगे और बहुमत के बल पर अगर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप निश्चित रूप से मानिये कि आप जनतंत्र की कब्र इस प्रदेश में खोदेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सप्तम प्रतिवेदन को पुनः विशेषाधिकार समिति को निम्नलिखित बातों पर पुनर्विचार केलिये वापस किया जाय :—

१—क्या श्री बलदेवसिंह की गिरफ्तारी मैलाफाइडी तथा अवैधानिक थी?

२—क्या श्री बलदेवसिंह की गिरफ्तारी की सूचना देने में एग्जीक्यूटिव अथारिटी ने विलम्ब किया और सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई?

३—क्या श्री बलदेवसिंह को हथकड़ी लगाने से विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—३४,

विपक्ष में—४२ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकृत समिति के सप्तम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ ।)

*श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सप्तम प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और निर्णय करता है कि सर्वश्री कृष्णापालसिंह, माधोप्रसाद त्रिपाठी, राजेन्द्रसिंह, विश्वनाथप्रसाद, टाकेश्वर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा, द्वारा १ अप्रैल, १९६३ को तथा सर्वश्री बलदेवसिंह और राजेन्द्रसिंह द्वारा ४ अप्रैल, १९६३ को की गई शिकायतों में विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न अन्तर्निहित नहीं है । यह सदन विशेषाधिकार समिति की इस राय से पूर्णतया सहमत है कि श्री बलदेवसिंह से संबंधित पूरी घटना जो १ अप्रैल, १९६३ को तुलसीपुर स्टेशन पर घटित हुई थी बहुत गम्भीर है और यह सदन सरकार से यह आशा करता है कि वह इस मामले की पूरी छानबीन कराके दोषी व्यक्तियों को दंड दिलाने के लिये पूरी कार्यवाही करेगी और उसका जो परिणाम होगा उसे इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रस्ताव के संबंध में दो मिनट में कुछ कहना चाहता हूं । माननीय मैनेजरसिंह तथा कमलासिंह जी ने मुझ पर पहले ही यह आरोप लगाया है कि इस माननीय सदन के आदरणीय सदस्य की गिरफ्तारी के संबंध में मुझे यह रुख अख्तियार नहीं करना चाहिये था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं, चाहे विशेषाधिकार समिति रही हो, सब देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय सदस्य की गिरफ्तारी की गई और अपमानित होना पड़ा । इसलिये जो प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि जिन्होंने गलत काम किया है, उन पर ऐक्शन लिया जाय और इस सदन को इनफार्म किया जाय । लेकिन जहां तक प्रिविलेज का सवाल है, बड़ा टेक्निकल है । चाहे जितने भावावेश में और उत्तेजना में हम बहें लेकिन प्रिविलेज के प्रश्न को टेक्निकल दृष्टि से देखना पड़ेगा । आर्टिकिल १९४ में साफ लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर जब तक लाज न बनावें तब तक जो हाउस आफ कामन्स की प्रिविलेज हैं वही हमारी हैं । मैं दो एक लाइन जो रेलेवेन्ट हैं वह मेज पारलियामेंटरी प्रैक्टिस से पढ़ देना चाहता हूं । पृष्ठ ४७ पर है :—

"Neither House of Parliament have power, by any vote or declaration, to create to themselves new privileges, not warranted by the known laws and customs of Parliament."

हाउस आफ कामन्स को जो प्रिविलेज प्राप्त हैं वही उसके प्रिविलेज हैं । नया प्रिविलेज नहीं क्रिएट कर सकते । आगे चल कर पृष्ठ ७८ पर है :

The privilege of freedom from arrest is limited to civil cases, and has not been allowed to interfere with the administration of criminal justice or emergency legislation."

फ्रीडम फ्राम अरेस्ट केवल सिविल केसेज में है, क्रिमिनल केसेज में नहीं है । उसके आगे चल कर पृष्ठ ७९ में यह लिखा हुआ है कि जब कि बेल न की जाय, और प्रिजनर को डिटेन कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

दिया जाय तब नोटिस की आवश्यकता होती है। बेल देने पर आवश्यकता नहीं होती है। माननीय बलदेवसिंह के केस को बड़ी गम्भीरता से विशेषाधिकार समिति ने विचार किया और दुख होते हुए भी माननीय बलदेवसिंह की गिरफ्तारी पर, चूंकि क्रिमिनल चार्ज पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, चूंकि वह बेल पर रिलीज कर दिये गये थे, इसलिये उस ने निर्णय किया कि न गिरफ्तारी से विशेषाधिकारी की अवहेलना हुई और न सूचना देने से विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। यदि मैं कानून की सच्ची परिस्थिति को सदन के सामने रखूं और माननीय मैनेजरसिंह मुझ पर यह आरोप लगाएं कि सदन के आदरणीय सदस्यों की भावनाओं को मैं इज्जत नहीं करता, तो वह मेरे साथ अन्याय करेंगे। यदि मैं आज आपके साथ हो जाऊं और सारा सदन यह पास कर दे कि नहीं पुलिस के अधिकारी ने या जो मैजिस्ट्रेट था उसने जो किया वह गलत किया और उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेला की है और आप इस सदन से वारंट आफ अरेस्ट भेजें तो आप जानते हैं कि वह सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि यह क्रिमिनल केस है इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होती। लिहाजा वारंट गलत है। आज हमारा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं उस पर विचार प्रकट नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिये कि जो प्रिविलेज का प्रश्न है अगर उससे बाहर का कोई तीसरा आदमी प्रभावित होता है तो टेक्निकली अगर ला से कदम हटाएंगे तो ला कोर्टस् इंटरवीन करेंगी। इस कानूनी कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि विशेषाधिकार समिति का निर्णय ठीक ही है और उसको स्वीकार करें।

श्री मैनेजरसिंह—

उपाध्यक्ष जी, माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इसे इस आदरणीय सदन की मर्यादा के विरुद्ध समझता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश की सरकार से आरजू करे कि वह दोषी अधिकारी को सजा दे। यह उत्तर प्रदेश की सरकार नौकरशाही के इशारे पर नाच रही है। नौकरशाही का चंगुल इस आदरणीय सदन में भी घुस आया है। मुझे दुख है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप सिर हिला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग हंस रहे हैं, यह हंसने की नहीं, रोने की बात है और डूब मरने की बात है, कि आदरणीय सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार का मजाक उड़ाया जा रहा है और हम हंस रहे हों। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में जनतंत्र अब अधिक दिन चलता नहीं दिखाई पड़ता। जो भावनायें आज व्यक्त की जा रही हैं उससे तो यहां की कार्यवाही चलना मुश्किल है। जुडीशियरी हर कदम पर दखल देगी, इसका आपको भय है। अभी भाई कृष्णानन्द राय जी यह कह रहे थे कि अगर वारन्ट किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ ईशू हुआ तो वह अदालत में चला जायगा और वहां से स्टे हो जायगा और हमें अपमानित होना पड़ेगा। आप स्वयं दुविधा में पड़े हैं। आपको अपने विशेषाधिकारों का एहसास नहीं है। आपको भय है कि अगर एक्जीक्यूटिव आपसे नाराज हो जायगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे; जो आप का आज शासन है उसका डर दिखला कर जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव आपसे नाजायज फायदा उठा रही है। लखीसिंह जी ने ठीक कहा कि जजों पर आपने वारंट भेज तो दिया, किन्तु उस वक्त सोचा नहीं, अक्ल से काम नहीं लिया, जल्दबाजी में आपके पक्ष के एक साथी ने प्रस्ताव रखा और उसे स्वीकार कर लिया गया। श्री बी० बी० शरण जी, श्री नवल किशोर जी और वीरसेन जी, सभी क्रान्तिकारी बन गये थे, लेकिन क्या हुआ? सब टाय टाय फिस हो गया। तो आप जज के खिलाफ तो वारन्ट ईशू कर देंगे, लेकिन पुलिस के कांस्टीबिल के खिलाफ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी से तो आप की पार्टी की जड़ मजबूत होती है। एक्जीक्यूटिव के अधिकारी ही आपकी पार्टी के शक्ति स्रोत हैं। इसी से आप डरे हुये हैं।

उपाध्यक्ष—

प्रिविलेज कमेटी में तो यह सर्वसम्मति से हुआ था। उसमें आपकी पार्टी के भी आदमी थे।

श्री मैनेजरसिंह—

जहां आप ऐसे सदर होंगे वहां सर्वसम्मति से होगा ही। तो मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

जो आप उपाध्यक्ष जी को कह रहे हैं कि आप जहां सदर होंगे वहां सर्वसम्मति होगी ही, क्या यह कंटेम्प्ट नहीं है?

श्री मैनेजरसिंह—

यह तो मैंने उपाध्यक्ष जी की तारीफ की थी कि जहां आप जैसे सदर होंगे वहां सर्वसम्मति तो होगी ही।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। आप ठीक कह रहे हैं। चलिये।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैनेजरसिंह जी, आपकी तारीफ भी बड़ी मीठी होती है।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं यह समझता हूं कि जो पहला, प्रस्ताव था, जिसे आपने अपने बहुमत के बल पर गिरा दिया ८ वोटों से वह प्रस्ताव निर्विवाद सदन के सभी पक्ष के सदस्यों की भावनाओं का समावेश करता था, लेकिन यह जो प्रस्ताव आया है, मैं समझता हूं कि यह अपमानजनक है। आप इसे वापस करें, और अगर आप इसे अपनी संख्या के बल पर पास करावेंगे तो मैं इसे अनुचित समझता हूं। कल कहीं बदकिस्मती से जनसंघ का शासन आ जावे तो उस दिन आपको आटे चावल का भाव मालूम होगा।

एक सदस्य—

पी० एस० पी० का होगा, जनसंघ का नहीं।

श्री मैनेजरसिंह—

पी० एस० पी० का होगा तो आप मजे में रहेंगे, आप पर भार नहीं पड़ेगा। हम आपकी गलतियां सुधारेंगे और आपको उचित मार्ग दिखलायेंगे।

श्री राममूर्ति—

मैनेजरसिंह जी, हम और आप मिलकर जनसंघ के शासन को आने ही न देंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

ठीक है, लेकिन मैंने कहा है कि बदकिस्मती से जब इनका शासन होगा तो आपको आटे दाल का भाव मालूम हो जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप यह चाहते हैं कि इस प्रदेश में जनतन्त्र फले फूले तो आप कुछ अच्छी परम्पराएं स्थापित करें। आप यदि सिपाही, दरोगा और एस० पी० को बचाने में जनतन्त्र की व्यवस्थाओं को तोड़ेंगे तो इससे किसी का लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसको वापस लेंगे और अपनी संख्या के बल पर इसको पास कराने का प्रयत्न नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री कमलासिंह यादव से) नियमावली में यह है कि ऐसे मामले पर हर स्टेज पर छोटी बहस होगी।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जो प्रस्ताव कृष्णानन्दराय जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कृष्णानन्दराय जी ने शुरू में यह कहा कि नये प्रिविलेज कायम नहीं कर सकते। उन्होंने जो पढ़कर सुनाया है उससे मुझे ऐसा मालूम होता है कि उनके दिमाग में स्थिरता नहीं आई है। मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जो कुछ कार्यवाही की गई है उसके लिये यह प्रक्रिया नियमावली मौजूद है जो ११ दिसम्बर, १९५८ को बनी है। वह इस सदन के कार्य को संचालन करने के लिये बनाई गई है। यह नहीं कि किसी ने उसको मनमाने ढंग से बनाया हो। वह संविधान की धारा २०८ (१) के अन्तर्गत बनाई गई है। मैं उस धारा को पढ़ देना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, राज्य के विधान मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा।" इसलिये हमको पावर थी और उसके अनुसार ११ दिसम्बर, १९५८ को यह रूल्स आफ प्रोसीजर ऐन्ड कंडक्ट आफ बिजनेस आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली, १९५८ बनाई गई। मैं कृष्णानन्द राय जी को बतलाना चाहता हूं कि इसके नियम ८४ में साफ दिया है —

INTIMATION TO SPEAKER BY MAGISTRATE OF ARREST, DETENTION ET3. OF A MEMBER—When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority as the case may be shall immediately intimate such fact to the Sepaker indicating the reasons for the arrest, detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the schedule."

इसी के मुताबिक प्रपत्र इसके आखिर में दिया है जिस पर नीचे दस्तखत होंगे मजिस्ट्रेट के यहां एक्जिक्यूटिव अथारिटी के। माननीय कृष्णानन्द राय नये प्रिविलेज कायम करने की बात कहते हैं। इसी वजह से सदन में यह बात उन्होंने कही। हम इस बात को जानते हैं कि किस तरह से एक्जिक्यूटिव को सहारा दिया जाता है। सब सदस्य जानते हैं कि यहां पर इलाहाबाद में २८ जजों ने बैठकर एक इन्जेक्शन आर्डर ईशू कर दिया और सुबह होते ही वह यहां पर तामील हो गया। आपका आर्डर एक्जिक्यूटिव के द्वारा तामील नहीं होता है। यह यहां की सरकार है। आज देश में हर जगह आपकी हंसी हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपकी प्रिविलेजेज कमेटी ने एक आर्डर दिया था, लेकिन वह सर्व नहीं हो सका। हमारी सरकार को इस्तीफा देना चाहिये कि वह हमारे यहां का आर्डर एक्जिक्यूटिव के द्वारा सर्व नहीं करा सकी। उनका आर्डर एक दिन के अन्दर ही सर्व हो गया। इस पर कहा जाता है कि सरकार लेजिस्लेचर के लिये जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि इस से बढ़कर शर्मनाक चीज दूसरी नहीं हो सकती। यह कृष्णानन्द जी के दिल की बात नहीं, सरकार की बात है। सरकार में यह भी हिम्मत नहीं है कि एक सिपाही पर भी सम्मन तामील करा सके। अगर कृष्णानन्द जी की बात मान ली जाय तो कोई भी बाहरी आदमी आ सकता है। आपकी कुर्सी पर कब्जा कर के बैठ सकता है और अगर वह इस तरह से आ कर अपना काम शुरू कर दे तो क्या आप कोर्ट में उसके लिये लिटिगेशन करेंगे? अगर आपकी यह धारणा है कि छोटे-छोटे मामलों में भी अदालतों का मुंह देखा जाय तो मैं नहीं समझता कि लेजिस्लेचर का काम कैसे हो सकेगा। आउट साइडर्स रोज आप पर एक मुकदमा दायर कर दिया करेंगे और उसका नतीजा क्या होगा? अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारे डिफेंस का खर्च कहां से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयेगा। कई केस हो चुके हैं। बाहरी लोगों ने जब भी आक्षेप किये हैं उन पर हमने ऐक्शन लिया है और अभी तक किसी ने भी हमारे उस राइट को चैलेंज नहीं किया। हां, करंजिया के केस में रिट मंजूर किया गया था, लेकिन उसे आर्डिनरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके लिये लाजमी था कि उसे २४ घंटे के अन्दर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता। वह नहीं किया गया, गलती उसकी थी और उस वजह से वह छोड़ दिया गया। उस समय हमारे चार्जेज भी नहीं लगे थे और ट्रायल भी खत्म नहीं हुआ था। हमारे मौजूदा केस में, जिसे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह के लिये भेजा है, एक आर्फेंस एक्जीक्यूट हो रहा था। उस समय या किसी सेंटेंस के सर्व होने समय किसी कोर्ट को अधिकार नहीं है कि हैबियस कारपस मंजूर करे। इसलिये मैं चाहूंगा कि कृष्णानन्द जी जरा और स्टेडी करें। हमारी नियमावली के अनुसार यह कोई नया चीज नहीं है और न कोई नया प्रिविलेज कायम करना है। हमारे नियम ८४ आदि जो हैं उनके मुताबिक हम चाहते हैं कि एक्जीक्यूशन हो और सही तरीके पर हो। अगर कोई बाहरी एजेंसी आकर हमारे प्रोसीजर में इंटरफियरेंस करती है तो उससे हमारा अवमान होता है और उसमें चाहे सरकार हमारा साथ दे या न दे, हम लोग उसका मुकाबला करेंगे। इसीलिये मैं कृष्णानन्द जी को बताना चाहता हूं कि सरकार उनकी है। अगर वाकई वे लेजिस्लेचर के लिये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो जो दायरा आप सीमित करना चाहते हैं वह न करिये। ऐसा करना बड़ा शर्मनाक होगा। हम किसी कीमत पर इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। इन शब्दों के साथ जो क्रोकोडाइल टियर्स बहाने की बात कही जा रही है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि बलदेव सिंह जी स्वयं जोरदार आदमी हैं, उनको आपकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है कि आप जो ऐक्शन लेंगे उसे उन्हें इंटीमेट किया जाय।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रीवीलेज का प्रश्न है तो ऐक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप भले ही मेजारिटी के बल पर हमारे प्रस्ताव को रद्द करवा दें, मगर वह समय आयेगा जब इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। इस आदरणीय सदन के हर माननीय सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि जहां भी हमारे विप्रिलेज का प्रश्न हो उस पर वह गम्भीरता पूर्वक विचार करे, यह सदन की प्रेस्टीज का सवाल है।

श्रीमन्, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों हमारी मदद के लिये हैं। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है और प्रोसीजर आर्डर्स करना है। कानूनों के संबंध में जुडिशियरी को पूरा अधिकार है कि वह उस पर कमेन्ट कर सकता है, जो चाहे अपना जजमेंट दे सकता है क्योंकि यह इसलिये रखा है कि मैजिरिटी के बल पर कोई गलत कानून बन जाय, मगर सदन की कार्यवाही में उसको दखल देने का अधिकार नहीं है। कोई भी बाहरी ताकत अगर सदन की कार्यवाही में दखल देती है तो वह अवमान होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी के प्रस्ताव का सख्त विरोध करता हूं।

*श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय जी का प्रस्ताव न केवल अनावश्यक है, बल्कि वह लीपापोती करने वाला है। इस प्रस्ताव से छोटे मोटे कर्मचारियों को फंसाने की एक साजिश हो जाती है जो मैं अनावश्यक समझता हूं।

श्रीमन्, जिस समय यह प्रस्ताव आया था, माननीय नवलकिशोर जी ने, जो उस समय उपगृह मंत्री थे, कहा था कि "...मान्यवर, कल जो वक्तव्य दिया गया था उसमें दो तीन बातें उठायी गयीं। एक तो यह कि माननीय सदस्य सरदार बलदेव सिंह का बेल हुआ या नहीं। श्रीमन्, उनका बेल लिया गया और उसकी कापी मेरे पास मौजूद है। स्टेशन मास्टर तुलसीपुर ने उनकी बेल दी और जमानती बने और यह सूचना सही नहीं है कि उनका बेल नहीं हुआ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

श्रीमन्, तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री ने जो विचार व्यक्त किये थे उनको भी मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था "उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जब यह प्रश्न कल सदन में उठा तो मैं सदन में उपस्थित नहीं था। मुझे इस बात का दुख है कि तुलसीपुर में इस प्रकार की एक दुर्घटना हुई जिसमें पुलिस के कर्मचारियों ने हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य के साथ वह अनुचित व्यवहार किया, जो अनुचित व्यवहार कभी भी पुलिस के किसी भी अधिकारी को इस सदन के माननीय सदस्य के प्रति नहीं करना चाहिये, मुझे इसका दुख है।" आगे कहा है "जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की घटना के सम्बन्ध में सरकार कोई लीपापोती की नीति अपनाने वाली नहीं है। जो भी पुलिस अधिकारी, जांच के बाद, सजा का पात्र समझा जायगा उसे कानून के अन्तर्गत हम अधिक से अधिक सजा देंगे। इस बात का आश्वासन मैं सदन को देता हूं।" ये शब्द तत्कालीन मुख्य मंत्री के हैं।

अब इस प्रस्ताव का मंशा इस आश्वासन से भिन्न है। जिस समय कृष्णानन्द राय जी ने कहा था कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है मैंने उसी समय कहा था कि जिस प्रोफार्मा में स्पीकर को सूचना दी गई वह जिसमें मिलनी चाहिये थी वैसा था या नहीं। उस समय कह दिया गया था कि मामला विशेषाधिकार समिति का है और वह उसे देखेगी। लेकिन विशेषाधिकार समिति ने बन्दीकरण और गिरफ्तारी के बीच में एक फर्क निकालने की कोशिश की है कि बन्दीकरण नहीं हुआ। अगर एक आदमी को कोई पुलिसवाला १० दिन अपनी हिरासत में रखे और मैजिस्ट्रेट के सामने न पेश करे तो क्या वह बन्दीकरण नहीं होगा? जब आप यह कबूल करते हैं कि बल्देवसिंह जी की गिरफ्तारी की सूचना जिला मैजिस्ट्रेट ने रेडियो ग्राम के जरिये दी और उनका पूरा लैटर छपा हुआ है, और जहां तक मुझे याद है माननीय नेदासिंह जी ने भी यह सवाल उठाया था कि पहली अप्रैल को बल्देवसिंह जी गिरफ्तार हुये, २ तारीख को हल्ला-गुल्ला होने और अखबारों में निकलने के बावजूद भी डी० एम० ने इसकी नोटिस नहीं ली, तो यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने उचित तौर से सूचना दी या नहीं? विशेषाधिकार समिति को यह मामला केवल इसलिये गया था कि वह यह देखे कि जिस रूप में जिला मैजिस्ट्रेट ने सूचना दी है वह उस रूप में है या नहीं जिसमें कि होनी चाहिये। अगर कृष्णानन्द जी कांग्रेस के वोट के बल पर इस प्रस्ताव को पास कराना चाहते हैं तो करा लें। अगर रूलिंग पार्टी की मर्जी पर इस सदन के विशेषाधिकार रहेंगे तो खुदा ही हाफिज है इस डेमोक्रेसी के लिये। विशेषाधिकार के मामले में पार्टी या अल्पमत या बहुमत का सवाल नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के उपाध्यक्ष होने की हैसियत से विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन हैं। यह प्रस्ताव कृष्णानन्द जी की ओर से न पेश होकर अगर अपोजीशन की ओर से पेश होता तो ज्यादा अच्छी परम्परा रही होती। लेकिन यह तो ऐसे पेश हुआ है जैसे कोई सरकारी बिल पास कराना हो। हाथ उठाइये, और फैसला हो गया। अगर प्रिविलेज के मसले भी हाथ उठाने से तय होंगे तो यह प्रजातंत्र की जड़ पर कुठाराघात है। अपोजीशन यहां इसलिये नहीं बैठता है कि १६ आने सरकारी नीति को अपने विचारों के अन्तर्गत करा लेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर समझता हूं और इस डेमोक्रेसी की मंशा के अन्दर निहित है कि जिस बात का उत्तर आपके पास न हो, ईमानदारी आपकी यह है कि आप उस बात को कबूल कर लें और यदि हाथ उठाकर विशेषाधिकार के मसले तय होंगे तो प्रिविलेज इस सदन का न रह कर रूलिंग पार्टी का ही रह जायगा। जो यह समझते हैं कि प्रिविलेज का सवाल पार्टीबन्दी से अलग है, वे आपके साथ वोट नहीं देंगे। इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं चाहता हूं कि कृष्णानन्द राय जी इसे वापिस ले लें। हमारे अधिकारों का हनन अगर आप मैजारिटी वोट के बल पर कराना चाहते हैं तो करालें। आप जो मगरमच्छ के आंसू बहाने चले हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारे विचारों के तहत में हमारा निवेदन है कि आप इस प्रस्ताव को वापिस ले लें।

आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिये हो जाय कि यह सरकार अच्छी है। हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम सरकार से अनुनय-विनय करें। हम अपने विशेषाधिकार के स्वयं मालिक हैं और जिसे दोषी समझेंगे उसे यहां कटघरे में लाकर खड़ा करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही जबान में, एक ही वाक्य में, उधर के लोग कैसे २ प्रकार की बात बोलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। कार्यवाही बहैसियत एक नागरिक करने के लिये बलदेवसिंह जी बिलकुल सक्षम हैं। वह चाहते हैं कि इस सदन के विशेषाधिकार की रक्षा के लिये हम लड़ते रहेंगे। माननीय गोस्वामी जी सदन से चले गये, उन्होंने तो पुलिस के खिलाफ स्तीफा दिया था और बाद में उस पर लीपा-पोती कर दी। उनकी कहानी मैं उन्हीं को याद दिलाता। वह दिन दूर नहीं है कि आज तो बलदेव सिंह जी हैं, कल को बन्दा भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, लेकिन एक दिन वह भी हो सकते हैं। एक पार्टी ही नहीं पावर में जो पार्टी होगी वह दूसरे ग्रुप के लोगों को इस तरह से दबाने की कोशिश करेगी आपके यहां पोलीटिकल मर्डर्स हुए हैं, लोगों के कत्ल हुए हैं, चुनावों में आपके यहां छुरे चले हैं। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो स्वयं एक दिन इनके शिकार होंगे। सोचिये कि जिस दिन इस तरह की बात होगी और प्रिविलेज का सवाल उठेगा तो क्या हालत होगी? तब आपको व्हिप का सहारा लेना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं श्री कृष्णानन्द राय जी से उम्मीद करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। अगर प्रस्ताव वापस न लें तो सदन के माननीय सदस्य उसको ना मंजूर कर दें।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव सदन के सामने माननीय कृष्णानन्द राय जी ने प्रस्तुत किया है, उस प्रस्ताव के भाव को देखते हुए मैं यह समझता हूं कि उनको यह प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिये। श्रीमन् से भी यह प्रार्थना करता हूं कि उसको वापस करायें। जिस समय यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सामने गया और विचाराधीन था, उस समय से आज की परिस्थिति बदल गयी है। उस समय दो प्रश्न हमारे सामने थे। एक तो यह कि माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया या नहीं, दूसरे गिरफ्तार करने में सारी प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। उस बलदेव सिंह जी के विरुद्ध धारा ३३२ और ११२ लगायी गयी थीं, लेकिन आज स्थिति यह है कि समय उन दोनों बातों के लिये पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इससे यह स्वयं ही सिद्ध हो गया कि सरदार बलदेव सिंह जी ने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिये हमें आज सदन में इसी सिद्धान्त पर विचार करना है कि वे सारे के सारे चार्ज जो उनके ऊपर लगाये गये थे, वह साबित नहीं हुए और उनको पुलिस ने वापस ले लिया है।

दूसरी बात यह है कि सरदार साहब ने पुलिस के खिलाफ जो चार्ज लगाये थे, उसके बारे में एक क्रिमिनल केस कोर्ट में चल रहा है। इसलिये अगर हम आज इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो कोर्ट के फैसले पर असर पड़ सकता है और कोर्ट को एक सब इंस्पेक्टर और दो कानिस्टेबिलों को जो इस सम्बन्ध में अपराधी है सजा दिलाने में कठिनाई होगी। साथ ही कोर्ट में विचाराधीन विषय पर प्रस्ताव पास करना अदालत की मानहानि होगी। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि उसके किये यह उचित समय नहीं है। यदि हमारी विशेषाधिकार समिति ने कोई निर्णय बहुमत के आधार पर ले लिया, इस कारण सदन उसे फिर पास कर दे और स्वीकार कर ले तो यह बिलकुल उचित न होगा।

एक विशेष बात हमेशा से यह देखने में आ रही है कि पुलिस के सम्बन्ध में जितने भी प्रिविलेज के प्रश्न होते हैं, जब वे विशेषाधिकार समिति में चले जाते हैं उसके बाद यही मालूम होता है कि वे विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं बनते। मैं दो, ढाई साल से यही देखता आ रहा हूं। यहां पर माननीय बलदेव सिंह वाली घटना हुई, हमारे माननीय सत्यनारायण पांडेय, पी० एस० पी० के मेम्बर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, माननीय गया प्रसाद व माननीय हरीश कुमार गंगवार

[श्री रक्षपालसिंह]

के साथ जो पुलिस का दुर्व्यवहार हुआ वह सभी को मालूम है। अभी जनसंघ के लोगों की कथित धारा १४४ तोड़ने में जो गिरफ्तारी हुई उस सिलसिले में पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया तब सब ने देखा, यहीं का एक अधिकारी श्री भट्टाचार्य है जिसके द्वारा श्रीमती भार्गव व अन्य लोगों को खींचा व घसीटा गया जिससे श्रीमती भार्गव के टखने उतर गये। जब विशेषाधिकार समिति में भेजने की बात की गयी तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। माननीय कृष्णानन्द राय जी जो काफी जिम्मेदार व समझदार सदस्य हैं, मुझे आशा है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे क्योंकि अगर उनका प्रस्ताव पास हो गया तो सदन के साथ अन्याय होगा। उनको चाहिये कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और सदन फिर से इस पर विचार करके कोई निर्णय लें। अगर वे अपने प्रस्ताव को वापस न लें और जिद्द करें तो आदरणीय सदन के सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस प्रस्ताव को पास न होने दें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इधर के और उधर के माननीय सदस्यों के भाषणों को इस सम्बन्ध में बड़े गौर से सुना। मुझे तो माननीय कृष्णानन्द राय के प्रस्ताव से ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार जो भी पाप करती है उसके लिये खास तौर से उसने माननीय कृष्णानन्द राय जी को छोड़ रखा है और उन्हीं के जरिये वह इस तरह के काम कराती है और माननीय कृष्णानन्द राय जी कानून की एक किताब हाथ में लेकर दो-चार शब्द अंग्रेजी में बोल कर यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि सदन के प्रिविलेज को वही सबसे ज्यादा समझते हैं। हाउस आफ कामन्स या दुनिया के जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं यदि वहां के प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों से अलग ही उत्तर प्रदेश की विधान सभा गाइड होती हो तब तो बात दूसरी है, वरना नियमों के अन्तर्गत सब के विशेषाधिकार एक से ही हैं। यहां पर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो और कहीं सुनने में भी नहीं आतीं। यहीं के एक माननीय सदस्य भूपसिंह को चकबन्दी आफिसर ने हथकड़ी लगा दी, यहीं के एक माननीय सदस्य को पुलिस ने डंडा दिखलाया, माननीय बलदेवसिंह को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ी डाल दी गयी, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि यह सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है तो और क्या है? क्या विशेषाधिकार की अवहेलना तभी होगी जब किसी माननीय सदस्य को मार डाला जाय। या कोई गैर कानूनी काम किया जाय? मैं समझता हूं कि यदि सदन के काम में किसी प्रकार की रुकावट डाली जाय या किसी माननीय सदस्य को अन्यायपूर्वक गिरफ्तार किया जाय और उसके अन्दर सरकारी अधिकारियों की नियत मैलाफाइडी मालूम पड़े तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। यहां माननीय बलदेव सिंह को पकड़ा गया, माननीय ज्योति प्रसाद वाले मामले में क्या नहीं हुआ। एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, क्या वह किसी से छिपा हुआ है, अगर सरकार अपने पक्ष को मजबूत करने के लिये विरोधी पक्ष को दबायेगी तो मेरा खयाल है कि जनतंत्र कभी भी पनप नहीं सकता है। यह बहुत बड़ा कानूनी प्रश्न नहीं है, साधारण व्यवहार की बात है। मैं तो अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के अब कोई विशेषाधिकार नहीं होते, क्योंकि आप का प्रस्ताव पास हुआ और फिर उसके बाद यह सरकार न मालूम किस मुंह से उसमें फिर रिफार्म करने का प्रस्ताव लाई और उसके बाद भी न तो २ जज गिरफ्तार हुये, न २४ जज गिरफ्तार हुये और न २८ जज गिरफ्तार हुये और सबसे कमजोर जो सालोमन और केशव सिंह थे वह भी नहीं गिरफ्तार हुये। तो आप का प्रिविलेज कहां है? व्यर्थ की बात है, विशेषाधिकार कहां है? हमें मजबूर होकर यह बात कहना पड़ती है। जैसा कि श्री रक्षपाल सिंह जी ने कहा है कि आज की परिस्थिति में जब कि मामला अदालत में है और जब कि श्री बलदेव सिंह का चार्ज लगने वाला है और उन पर लगा हुआ चार्ज समाप्त हो रहा है तो इस तरह के प्रस्ताव से तो उन सरकारी कर्मचारियों के हाथ मजबूत होंगे। अगर श्री कृष्णानन्द जी इस पर ईमानदारी से विचार करना चाहते हैं तो वह अभी इसको वापस ले लें और जब न्यायालय का अन्तिम निर्णय हो जाय उसके बाद सदन के समक्ष यह मामला आये और उस वक्त

अगर विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है तब उस पर विचार किया जाय। तब तो बात समझ में आ सकती है। इस मामले को इस तरह से आज ही समाप्त करने से श्री बलदेव सिंह के साथ अन्याय होगा और सरकारी कर्मचारियों को गलत बल मिलेगा। आज की परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि श्री कृष्णानन्द राय इसको अवश्य वापस ले लें, क्योंकि उससे अहित होगा और कोई लाभ नहीं होगा और श्री बलदेव सिंह के साथ तो बहुत ही अधिक अन्याय होगा। आज की परिस्थिति इस के प्रतिकूल है इसलिये मैं अपने बात समाप्त करते हुये कहता हूं कि इस को वह वापस कर लें। यदि नहीं, तो सदन उसको अनुमति न दे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर काफी डिबेट हो चुका है।

श्री लखीसिंह—

श्रीमान जी, जो प्रस्ताव माननीय कृष्णानन्द राय जी ने रखा है मैं उसका घोर विरोध करता हूं, हलका नहीं। विरोध मैं इसलिये करता हूं कि यह सरकार और विशेषकर माननीय कृष्णानन्द जी नौकरशाही के हाथ की कठपुतली बने हुये हैं। जिस तरफ नौकरशाही उनको नचाती है वह उधर ही नाचते हैं और सदन के अवमान और इज्जत का उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं है। मैं आप से निहायत अदब से कहता हूं कि यह श्री कृष्णानन्द राय, श्री बलदेव सिंह, श्री मैनेजर सिंह, लखी सिंह की बात नहीं यह सदन के मान मर्यादा की बात है और विधान सभा के अवमान का प्रश्न है, सभी माननीय सदस्यों की इज्जत की बात है इसलिये सब इस पर ठंडे दिल से विचार करें और इस प्रस्ताव को वापस लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर बहुत अदब के साथ कहूंगा कि जो श्री मैनेजर सिंह का संशोधन है कि इसे फिर विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय उसे स्वीकार किया जाय ताकि वहां अदालत के फैसले के बाद ठंडे दिल से विचार हो सके।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मैं इसका श्रीमन्, समर्थन करूं या विरोध करूं यह मैं नहीं कहता, लेकिन मैं समय के विचार बताना चाहता हूं। पहला विचार तो यह है कि :

"बहुत मजे में थे बहार से पहले,
बहुत बेजार हैं बहार के बाद।"

और

"आजादी मिली तो बरबादी मिली
इससे पहले ही खुशहाली थी।"

जो हालत श्री बलदेव सिंह की हुई, वही हालत हमारी और सदन के किसी भी सदस्य की भी हो सकती है, उधर के सदस्यों की भी हो सकती है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार किया जाय। श्री कृष्णानन्द राय जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन तो जरूर करता हूं, लेकिन मैं उनसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि केवल छोटे कर्मचारियों को ही दंड न दिया जाय, बल्कि उन सभी को दिया जाय जो उसके मुस्तहक हों।

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष जी, अपने प्रस्ताव को रखते हुये जो बातें मैंने कही थीं उससे अधिक और कुछ मुझे नहीं कहना है। मुझे बहुत दुख है कि मैं इसको वापस नहीं ले सकता। अतः आप इस को अब सदन के सामने उसकी राय के लिये रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सप्तम प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और निर्णय करता है कि सर्वश्री कृष्णपाल सिंह, माधो प्रसाद त्रिपाठी, राजेन्द्र सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, टम्बेश्वर प्रसाद, सदस्य विधान सभा द्वारा १ अप्रैल, १९६३, को तथा सर्वश्री बलदेव सिंह और राजेन्द्र सिंह द्वारा ४ अप्रैल, १९६३, को की गयी शिकायतों में विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न अन्तर्निहित नहीं है। यह सदन विशेषाधिकार समिति की इस राय से पूर्णतया सहमत है कि श्री बलदेव सिंह से संबंधित पूरी घटना जो १ अप्रैल, १९६३, को तुलसीपुर स्टेशन पर घटित हुयी थी बहुत गम्भीर है और यह सदन सरकार से यह आशा करता है कि वह इस मामले की पूरी छानबीन कराके दोषी व्यक्तियों को दंड दिलाने के लिये पूरी कार्यवाही करेगी और उसका जो परिणाम होगा उसे इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८७,

विपक्ष में—४४।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि अभी सदन से यह प्रस्ताव पास कराया गया कि यह गंभीर परिस्थिति है और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाई जाय, लेकिन जब अदालत में मुकदमा चल रहा है तो मुख्य मंत्री सदन को बतलावें कि वे कौन-सी कार्यवाही करेंगी? क्या मैजिस्ट्रेट से कहेंगी सजा दिलाने को?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह तो कंटेम्प्ट आफ कोर्ट हो जायगा क्योंकि यह मामला पहले ही कोर्ट में चल रहा है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

श्री बलदेवसिंह जी ने उन लोगों पर मुकदमा कायम कर रखा है और अदालत में पहले ही जांच हो रही है। अदालत ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। उस जुरिस्डिक्शन को लेकर हाउस ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि उन अधिकारियों को दोषी पाये जाने पर सजा दी जाय। जब अदालत में पहले ही मुकदमा चल रहा है, उसके मातहत उनको वहां सजा होगी और यहां भी प्रस्ताव पास किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह अदालत के काम में हस्तक्षेप है और इससे अदालत का अवमान हो जायगा क्योंकि यह मामला सब्जूडिस है। इसलिये इस पर पुनः विचार कर लिया जाय।

श्री चैतन्यराज सिंह (जिला अलीगढ़)—

इस प्रस्ताव के द्वारा यह पास किया गया है कि अगर वे दोषी होंगे तो उनको सजा दी जायगी। आपकी प्रिविलेज कमेटी यह कहती है कि उसमें प्रिविलेज भंग नहीं हुआ और दोषी वह करार दे दिया गया तो यह इंकांसिस्टेंसी है। यह दोनों चीजें कैसे हो जायंगी? जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता मेरी राय में प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट ऐक्सेप्ट नहीं करनी चाहिये।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

मेरी राय में अगर यह प्रस्ताव पास न किया जाता तो अच्छा था। जब कोर्ट से सजा हो जाती या निर्णय हो जाता तब हम इसको देखते।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अली जहीर साहब से तो इस पर राय ले लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रस्ताव पास हो चुका है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

पास तो प्रस्ताव २१ तारीख को केशवसिंह के खिलाफ भी हो गया था, लेकिन २५ तारीख को उसे उलटा गया । तो यह तो होता ही है ।

*श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इधर एक मास से बराबर हमारी विधान सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में जनता में अजीब भाव पैदा हो रहा है । एक प्रस्ताव हमने जजेज के खिलाफ पास किया था और अब यह दूसरा प्रस्ताव ऐसा हम फिर पास कर रहे हैं जिस पर जजों को यह कहने का मौका मिले कि ये हमारे कार्य में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो जब आल-रेडी प्रदेश में भ्रांतियां फैल रही हैं उस वक्त फिर ऐसा प्रस्ताव पास करना मैं समझता हूं हमारी गरिमा और गौरव के अनुकूल नहीं है और मैं मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सदन के गौरव और गरिमा का सम्मान सबको रखना चाहिये । यदि वे इस पर विचार नहीं कर सकती हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं रह जायगा सिवाय इसके कि हम सदन छोड़ दें और इस कार्यवाही में भाग न लें ।

श्री बलवानसिंह—

मुझको सिर्फ इतना कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर कुछ कह दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक प्रस्ताव का ताल्लुक है, उसके बारे में जो बात आप पूछ रहे हैं उसका मुझे जवाब देना है । मुख्य मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

प्रिविलेज कमेटी ने एक विषय पर छानबीन कर के एक फैसला हाउस के सामने रखा है । मैं अपने आप को इतना होशियार नहीं मानती हूं कि प्रिविलेज कमेटी ने जो इतना समय लगा कर निर्णय लिया उसके ऊपर मैं खड़ी होकर कोई राय दे दूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह प्रिविलेज कमेटी का प्रस्ताव नहीं है । वह तो माननीय कृष्णानन्द राय जी का अकेले का प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रस्ताव पास हो चुका है इसलिये अब सदन का प्रस्ताव है ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मुख्य मंत्री जी समझीं नहीं । यह विशेषाधिकार समिति का प्रस्ताव नहीं है । यह माननीय कृष्णानन्द राय जी ने एक दूसरा प्रस्ताव रखा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी बात सुन लें। उससे आपको विचार करने में सहायता मिलेगी। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि दो चीजें हैं। एक विशेषाधिकार होता है और एक मामूली ऐक्शंस होते हैं। विशेषाधिकार समिति को जो सब मामला सुनने को मिला उसमें सर्वसम्मति से पार्टी की कोई बात नहीं थी--इस निर्णय पर हम आये कि जहां तक विशेषाधिकार की टेक्निकल बात है उसमें कोई अवहेलना नहीं हुई, लेकिन हमने यह भी पाया कि कुछ अधिकारियों से गल्तियां हुई हैं। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं, इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी वाकये की बात नहीं कही, केवल यह कहा कि चाहे फैसला होने के बाद चाहे जिन लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया गया उन लोगों ने जो गलतियां की हैं उनके बारे में सरकार विचार कर के दोषी आदमियों को दंड दे।

श्री शारदाभक्तसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, शायद मैं अपनी बात समझा नहीं सका। विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई यह निर्णय विशेषाधिकार समिति ने कर दिया और उसको हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो बाद का प्रस्ताव है कि अधिकारियों द्वारा ज्यादती हुई है उनको सजा दी जाय। मैं कह रहा हूं कि यह मामला कोर्ट में पेंडिंग है और हम यह तय कर रहे हैं कि अधिकारियों ने ज्यादती की है तो इसका प्रभाव अदालत के निर्णय पर पड़ेगा और यह कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जायगा। अगर आप इस समय इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो जब बाहर टीका टिप्पणी होगी तो लोगों को हंसने का मौका मिलेगा और लोग कहेंगे कि अदालत में मामला पेंडिंग था और विधान सभा ने तय कर दिया कि ज्यादती हुई और उनको सजा दी जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको वापस लिया जाय। जब तक अदालत का निर्णय न हो जाय तब तक इस पर कोई विचार नहीं होना चाहिये। इस तरह से कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट नहीं करना चाहिये।

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया कि जिस समय आप विशेषाधिकार समिति की अध्यक्षता कर रहे थे तो उस समय मुकदमा चल रहा था या नहीं। अगर चल रहा था तो जो प्रस्ताव पास किया है उसके लिये मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमने उसे पढ़ा नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? दूसरी चीज यह है कि यह मामला कोर्ट में पेंडिंग है और ट्रायल हो रहा है और आप यहां कह देते हैं कि अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है तो इसके माने यह हैं कि आपकी शहादत हो रही है और आप यह तय करने जा रहे हैं कि जो मुलजिम हैं उन्होंने जुर्म किया है। ऐसी सूरत में अगर किसी तरह की ओपीनियन कोई एक्सप्रेस करता है तो उसमें वह लायेबिल होता है और कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा। जब कोर्ट में केस पेंडिंग है तो आप कोई राय जाहिर नहीं कर सकते हैं। इसी कुर्सी से रूलिंग दी गई है कि अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है तो उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो मुकदमा चल रहा है और वह पुलिस केस है और जो प्रस्ताव पास किया है वह कोर्ट का कंटेम्प्ट है और मुख्य मंत्री जी को बताना चाहिये कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? अगर मुलजिम छूट जाते हैं या जिन पर मुकदमा नहीं चल रहा है, अगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करते तब तो बात ठीक थी या उनको सजा करेंगे तब यह बात ठीक थी, लेकिन जितने मुलजिम हैं सब के बारे में यह कहना कि हम सब को सजा दिलायेंगे, जब कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो यह कोर्ट का अख्तियार है कि उनको सजा दे या छोड़े। जिस वक्त आप यह कहेंगे कि हम सजा दिलवायेंगे तो आप इस बात का दावा करने जा रहे हैं कि आप मैजिस्ट्रेसी को इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं कि उनको सजा दी जाय। यह बहुत ही बड़ा अन्याय है और कोर्ट का कंटेम्प्ट है। ऐसी गलती करने में अपोजीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जो उनके नुमाइंदे हैं, लाइयर्स हैं, और सरकार की पर्सनल जिम्मेदारी होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या प्रस्ताव पर फिर से बहस शुरू है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो बात बाद में उठायी गयी है कि यह कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा उस पर बात हो रही है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

माननीय शारदा भक्त सिंह और कमला सिंह जी ने जिस प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया है, हमें देखना है कि उनका मुकदमा किस प्वाइंट पर है वह इनफ्रिन्ज होता है या नहीं । बेहतर होगा, कल मैं ला डिपार्टमेंट के आदमियों से बात कर लूंगी कि उस मुकदमें में क्या बातें आयी हैं और उन पर इसका प्रभाव होता है या नहीं उसके बाद कल देख लूंगी ।

श्री मैनेजरसिंह---

उपाध्यक्ष जी, प्रस्ताव पास हो गया । मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बलवन्त सिंह जी को आपने कहा कि जरा जल्दी कहिये । जल्दी-जल्दी में सारा मामला बिगड़ रहा है । हम लोग जल्दी भी करें तो आप को कहना चाहिये कि आहिस्ता से कहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे सदन के टाइम का खयाल करना पड़ेगा ।

श्री मैनेजरसिंह---

उधर जो ५,७,८ बैठे हैं, माननीय बी० बी० शरण, माननीय नवलकिशोर, माननीय वीरसेन, उन्होंने एक जगह गाड़ी फंसा दी है । कल माननीय मुख्य मंत्री जी को पता होगा जब ला डिपार्टमेंट के लोग बतलायेंगे कि कितनी बड़ी गलती हुई है । इस प्रकार का जब प्रश्न आये तो माननीय मुख्य मंत्री कम से कम हाथ उठाने के पहले सोच तो लें । आपने भी हाथ उठा दिया बिना सोचे समझे । तब आप जैसे मुख्य मंत्री में और पार्टीबाज मुख्य मंत्री में क्या अन्तर रहेगा ?

श्री शारदाभक्तसिंह---

वह कैसे हो पायेगा ? अगर कल हम इस निर्णय पर पहुंचे कि जिस स्टेज पर मुकदमा है उसको इंफ्रिंज करता है, तो माडिफिकेशन का कौन-सा तरीका होगा ? यह मेरी शंका है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री को रास्ता निकालने दीजिये ।

सदन की बैठक की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे यह सूचना देनी है कि १५ तारीख को यानी कल सदन की बैठक होगी । उसके बाद फिर यह सदन स्थगित हो जायगा और पहली मई से सात मई तक इसकी बैठक होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

यह बात बिलकुल गलत है । पहली मई से जो आपने एनाउन्स किया है, दोबारा जो हाउस बढ़ाने जा रहे हैं, इसमें क्या सेंस है ?

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये न, मैं यह सूचना दे रहा हूं । इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मैं चाहता हूं कि पहली के बजाय ४ से किया जाय।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने जो घोषणा की है उस पर भी इतने माननीय सदस्य बोल रहे हैं। यह प्रोग्राम नेताओं से बात करके निश्चित किया गया था। अच्छा होता इतने आदमी बोलने के पहिले अपने पार्टी के नेताओं से परामर्श कर लेते। लेकिन यह कहां तक मुनासिब बात है कि आप उपाध्यक्ष जी सूचना दें और उस पर इतने लोग हस्तक्षेप करें।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

जरा मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने खास तौर से पहली तारीख के लिये कहा था कि हमारी पार्टी की कांफ्रेंस होगी रामगढ़ में और अगर कोई एतराज न हो तो आप ४ या ५ तारीख से सदन को फिर शुरू करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास जो सूचना आयी मैंने दे दी। सदन चाहे ४ से या जब से चाहे कर ले।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

४ तारीख से कर लीजिये। १ तारीख को तो लेबर्स डे होता है और खास तौर से कानपुर में बहुत ज्यादा प्रदर्शन होंगे और बनारसी दास जी तो लेबर मिनिस्टर हैं।

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बलवान सिंह जी ने, मैं मानता हूं कि पहली तारीख के लिये कहा था, लेकिन उसमें डाक्टर अहमद साहब थे, नेता विरोधी दल थे। सब ने मान लिया था। उसमें कठिनाई यह है कि अगर ४ से सेशन किया गया तो वापसी के लिये अवसर नहीं मिलेगा इसलिये जो फैसला हो चुका है उसे ही मानना उचित है।

श्री मैनेजरसिंह—

आप जरा विचार करें। जब आपकी पार्टी के एलेक्शंस होते हैं तब तो आप कह देते हैं कि कल से असेम्बली खत्म, लेकिन जब हमारी पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है तब आप कहते हैं कि हम मान जायें।

श्री बनारसीदास—

अच्छा सही, तो ४ से लेकर कार्यक्रम १ सप्ताह का रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

तो यह निश्चित हुआ कि सदन कल उठ जायगा और ४ मई से फिर १ हफ्ते के लिये होगा।

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन की तिथि में परिवर्तन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरी सूचना यह है कि समितियों के निर्वाचन स्थगित हो जायेंगे और वापसी का समय ४ तारीख को ५ बजे तक होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

वापसी की तारीख ५ रखी जाय और निर्वाचन ७ को हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

तो विवरण ५ मई को ५ बजे संध्या तक हो सकता है और चुनाव ७ मई को होगा, यदि आवश्यकता हुयी ।

वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों से भिन्न पदार्थों के संग्रहण विधि में संशोधन का संकल्प

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट, १९६२ (ऐक्ट संख्या ५८, १९६२) के अधीन स्थापित सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन तथा स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन कृषि उपज, बीजों, खादों, उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा किसी अन्य विज्ञापित पदार्थ के, जो ऐसा पदार्थ हो जिसके सम्बन्ध में संसद को संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के आधार पर विधि बनाने का अधिकार है, संग्रहण हेतु गोदाम चलाने के लिये अधिकृत है ।

और यह वांछनीय है कि उक्त कार्पोरेशनों को अपने गोदामों में उपर्युक्त केन्द्रीय ऐक्ट में उल्लिखित पदार्थों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का भी संग्रहण करने में समर्थ बनाने के लिये विधान बनाया जाय ।

और उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विधान का सम्बन्ध संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टि २६ तथा २७ में उल्लिखित विषयों से है जिनके विषय में संसद को संविधान के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गई व्यवस्था को छोड़कर, राज्यों के लिये विधि बनाने का कोई अधिकार नहीं है ।

और इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि ऐसा विधान संसद् द्वारा बनाया जाय :

अतएव अब संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट, १९६२ (ऐक्ट संख्या ५८, १९६२) के अधीन स्थापित कार्पोरेशनों द्वारा चलाये जाने वाले गोदामों में उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों से भिन्न पदार्थों का संग्रहण इस राज्य में संसद द्वारा बनाई गई विधि से विनियमित किया जायगा ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं इसका विरोध करता हूं । मेरा विरोध यह है कि ३६ घंटे का समय हमको मिलना चाहिये ताकि नियमावली के अनुसार हम उसमें संशोधन ला सकें । नियम में यह दिया है कि:

"NOTICE OF RESOLUTION BY GOVERNMENT—If the Government desire to move a resolution they shall give seven days notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary who shall have its copies sent to members within forty eight hours of its receipt."

तो हमको नोटिस कोई नहीं मिला और न कापी मिली । ७ दिन पहले नोटिस मिलना चाहिये और उसकी कापी सप्लाई करनी चाहिये । हम सब जानते हैं कि न हमको नोटिस मिला और न कापी मिली । दूसरी बात यह है कि नियम १३१ के मुताबिक कनेक्टेड पेपर्स भी हमको मिलना चाहिये । उसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वह हमको दे । वह भी हमको नहीं मिले । नियम १३८ के मुताबिक हमको ३६ घंटे का समय मिलना चाहिये ताकि कोई संशोधन ला सकें । आज बहुत बड़ी सरकार कांग्रेस के हाथ में है फिर इतनी उतावली में सब काम करना चाहते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

सरकार गलती पर गलती कर रही है। हम लोगों की बात नहीं सुनती है। चाहती है कि एक मिनट के अन्दर विधेयक पास हो जाय। ऐसा करना है तो इस विधान सभा को डिजाल्व कर दिया जाय। मुख्य मंत्री और कैबिनेट को अधिकार दे दिया जाय कि जिस विधेयक के लिये वह चाहें कैबिनेट से मंजूरी ले लें और वह मुहर लगा दे तो वह कानून बन जाय। अगर यह चाहते हैं तो केन्द्रीय सरकार को लिख दिया जाय वहां से भी मंजूरी आ जायगी। उत्तर प्रदेश सरकार को एक खास तरीके का अधिकार वहां से मिल जायगा कि जिस पर वह मुहर लगा दे और जो संशोधन करना चाहे उस पर मुहर लगा दे और वह कानून बन जायगा। आपने बद्रीनाथ टम्पिल बिल और टाउन एरिया के बिल एक-एक, दो-दो मिनट में पास करवा लिये और दूसरी तरफ इस तरह से सदन का समय बरबाद किया जाता है। इसे भी पहले से दे दिया होता। मैं नहीं समझता कि इस सरकार के एडवाइजर कैसे हैं। मैं आपका ध्यान नियम ११३ और ११५ की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। ११३ में है कि अगर बिना नोटिस के कोई मोशन यहां आये तो हम उसे एडजर्न करने के लिये मूव कर सकते हैं। इसमें चूंकि ३६ घंटे का समय विचार करने के लिये और संशोधन देने के लिये नहीं मिला इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसे स्थगित कर दिया जाय और आप बहुमत के आधार पर कोई फैसला न करायें। आप अपोजीशन के हकूक को सेफगार्ड करें। अगर आप यह समझते हैं कि हम लोग अपने सुझाव न दें तो जिम्मेदारी आपकी है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय कमलासिंह जी नियम ९० पढ़ रहे थे। मुझे दुख है कि वे मुझ से नाराज हैं और आधा ही क्लाज पढ़ रहे हैं। उसके प्राविजो में है कि अगर स्पीकर चाहें तो शार्ट नोटिस पर भी किसी मोशन के लिये आज्ञा दे सकते हैं। यह मैन्डेटरी नहीं है, इसलिये आप कोई एतराज इस तरह का नहीं कर सकते। यह रेजोल्यूशन कौंसिल से पास हो चुका है और गवर्नमेन्ट इसे हाउस में ला रही है और स्पीकर साहब ने इसे एजेंडा पर छपवा दिया है। इसकी कापियां भी वितरित हो गयी हैं इसलिये आप यह क्लेम नहीं कर सकते कि एक सप्ताह का समय दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, कृष्णानन्द जी की बात गलत है और वे बिलकुल गलत इन्फार्मेशन दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस पर प्रिविलेज का सवाल उठ सकता है, लेकिन मैं वह नहीं दे रहा हूं। आप जरा अपने अधिकारियों से पूछें। मुझे जानकारी है कि कोई नोटिस भेजा नहीं गया है। नोटिस भेजने की बात गलत है। अगर आप को केवल नोटिस भेज दिया गया हो तो वह सब को नोटिस नहीं माना जायगा। हर सदस्य को नोटिस और इसकी कापी जानी चाहिये। हमको पता है कि भेजने की कोशिश की गयी है। लेकिन आप बिना जानकारी के गलत सूचना दे रहे हैं इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

७ अप्रैल को सूचना हो चुकी थी।

श्री कमलासिंह यादव—

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि वह गलत सूचना दे रहे हैं। उसकी कापी हमें नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष—

गवर्नमेन्ट के कार्यक्रम में इसकी सूचना आ चुकी है। तो इसका नोटिस तो उसमें हो गया और फिर यह इस एजेन्डा में भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर आज बहस न होकर कल हो जाय। आज तो समय भी नहीं है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना सदन को दे दूं। कल उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ पर विचार होगा। (व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

हम संशोधन कब देंगे? अभी तो कापियां तक नहीं मिली हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप दे दीजियेगा। उसके लिये कोई टाइम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मुझे श्रीमन्, बड़ा खेद है कि इस तरह से सदन का काम चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों की बातों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। एक तरफ यह कहा जाता है कि हम लोग सहयोग दें, दूसरी तरफ किसी न किसी तरह से कानून की आड़ लेकर हमारी बात को काट दिया जाता है। अभी एक प्रस्ताव आया, वह कल के लिये रख दिया गया। फिर यह कहा गया कि कल दूसरे विधेयक पर विचार होगा। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अभी कापियां भी नहीं मिली हैं। तो कैसे ऐसे वातावरण में गम्भीरतापूर्वक विचार हो सकता है? अगर सरकार का यही रवैया है तो यहां काम नहीं चल सकेगा। इसलिये इस ओर आप ध्यान दें, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। कम से कम हमें तीन दिन का मौका मिले ताकि हम पढ़ कर आ सकें और अपना संशोधन दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर कल ही विचार होगा। (व्यवधान)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

तो संशोधन कब देंगे?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अभी माननीय नेता विरोधीदल ने यह कहा कि उसकी कापी नहीं बटीं। कापीज़ कल पिजन होल्स में रख दी गयी थीं। इसका पता लगा लिया जाय कि लोगों ने उसको उठाया है या नहीं। हो सकता है कुछ इधर-उधर हो गयी हों, लेकिन पिजन होल्स में रखी गयीं।

श्री शारदाभक्तसिंह—

श्रीमन्, अभी ५ बजे आपने कहा कि अमेंडमेंट दे दें, लेकिन उनको हम कब देंगे, किस वक्त बिल को पढ़ेंगे और किस वक्त अमेंडमेंट देंगे?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, सदन को तो आप आगे को बढ़ा रहे हैं फिर क्या ऐसी आवश्यकता है कि कल को ही यह लिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष—

कल इस पर जनरल डिस्कशन हो सकता है।

श्री शारदाभक्तसिंह--

हम लोग इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि कल इस पर जनरल डिस्कशन हो जाय, लेकिन अमेंडमेंट बाद में लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१४ अप्रैल, १९६४।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७० पर]

सूची 'म'

गोरखपुर जनपद

१—श्री मुरलीधर .. असुरन का पोखरा, गोरखपुर ।
२—श्री निवास लाल .. अलीनगर, गोरखपुर ।
३—श्री टुनभान प्रसाद .. महदेवा बाजार, गोरखपुर ।
४—श्री रामप्यारे लाल गुप्ता .. नासर, गोरखपुर ।
५—श्री अब्दुल गफ्फूर .. बड़हलगंज, गोरखपुर ।
६—मेसर्स प्रकाश ऐन्ड कं० .. बनकरी चक, गोरखपुर ।
७—श्री अब्दुल शकूर उर्फ मना खां .. बड़हलगंज, गोरखपुर ।
८—श्री रमाशंकर .. बड़हलगंज, गोरखपुर ।

देवरिया जनपद

१—श्री बाबू लाल .. हारा, देवरिया
२—श्री विष्णु स्वरूप .. देवरिया ।

बस्ती जनपद

१—श्री रामअनुज पान्डे .. बस्ती ।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

[देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७६ पर]

तालिका नं० १

विकास-क्षेत्र, पन्दह

क्रम-संख्या	नाम गांव जिनमें न कोई सिंचाई की व्यवस्था है और न कोई प्रस्ताव ही है।	नाम गांव जिसका कुछ भाग नहर अथवा नलकूप से सींचा जा रहा है और शेष भाग के लिये योजना है।	नाम गांव जिनमें अभी तक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु उसके लिये व्यवस्था की जा रही है।
१	२	३	४
१	बनकटा कलां	.. ..	..
२	मुहम्मदपुर	.. ..	..
३		.. मेऊलीकनासपुर ..	..
४		.. सोनाडीह ..	..
५		.. ..	रक्सा डेनियां

तालिका नं० २

विकास-क्षेत्र, नवानगर

१	मझवलिया	.. ..	..
२	चक उसमान	.. ..	..
३	सोनपुरवा	.. ..	..
४	कठौडा	.. ..	..
५	बरौंचा	.. ..	..
६	चमुस्त्र	.. ..	..
७	डेहा विहरा	.. ..	..
८	नरायनपुर	.. ..	..
९	भगवानपुर	.. ..	..
१०	भूमिहर	.. ..	..
११	दुबौली इन्चक	.. ..	..
१२	कुडी डीह	.. ..	..
१३	कटहराजमीन	.. ..	..
१४	बालवधार	.. ..	..
१५	सिसोटार	.. ..	..
१६	दियरा सिसोटार	.. ..	..
१७	दियरा ग्रामकर	.. ..	..
१८	लिलकर	.. ..	..
१९	चकहाजी उर्फ शेखपुर	..	..
२०	चक हबीब	.. ..	..
२१	चक मरारपट्टी	.. ..	..
२२	जाहदपुर	.. ..	..
२३	दियरा करमहा	.. ..	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

तालिका नं० ३
विकास-क्षेत्र, मनियर

क्रम-संख्या	नाम गांव जिनमें न कोई सिंचाई की व्यवस्था है और न कोई प्रस्ताव ही है।	नाम गांव जिसका कुछ भाग नहर अथवा नलकूप से सींचा जा रहा है और शेष भाग के लिये योजना है।	नाम गांव जिनमें अभी तक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु उसके लिये व्यवस्था की जा रही है।
१	२	३	४
१	जमीन कक्कर घटी	..	..
२	दियरा दरौली	..	..
३	जिन्दापुर	..	..
४	दियरा हरनाटार	..	..
५	महाजी काशीदत्त	..	..
६	फतेहपुरखास	..	..
७	फतेहपुर नवबरार	..	..
८	गायघाट	..	..
९	अराजी माफीजोगिया	..	..
१०	असना	..	..
११	लतरहा	..	..
१२	सोनूपाह	..	..
१३	एलासगढ़नोबरार	..	..
१४	विकरमपुर	..	..
१५	विकरमपुर महाजी	..	..
१६	ककरघट्टा खास	..	..
१७	महाजी ककरघट्टा	..	..
१८	आदमपुर	..	..
१९	महाजी गोखली	..	..
२०	चतुरपुर	..	..
२१	खादीपुर	..	..
२२	चक्की दियरा सुल्तानपुर	..	..
२३	गोखलीखास	..	..
२४	खीरछपरा नौबरार	..	..
२५	..	सखार ककर घट्टा	..
२६	..	घाटमपुर	..
२७	..	गोराशाहपुर	..
२८	..	गौराबघई	..
२९	..	रानीपुर	..
३०	..	खजुरीडीह	..
३१	..	मधूसूदनपुर	..
३२	..	बिकरमपुर	..
३३	..	दियरा मनियर टु० १	..
३४	..	खडीया	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम गांव जिनमें न कोई सिंचाई की व्यवस्था है और न कोई प्रस्ताव ही है।	नाम गांव जिसका कुछ भाग नहर अथवा नलकूप से सींचा जा रहा है और शेष भाग के लिये योजना है।	नाम गांव जिनमें अभी तक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु उसके लिये व्यवस्था की जा रही है।
१	२	३	४
३५		रामपुर	..
३६		जिगनी	..
३७		..	गंगापुर
३८		..	नावट नं० १
३९		..	नावट नं० २
४०		..	नावट नं० ३
४१		..	दियरा मनियर टु० २
४२		..	किशुनपुर
४३		..	काजीपुर
४४		..	चकमुहम्मदपुर
४५		..	खरीद
४६		..	परसोतम पट्टी
४७		..	निपनियां
४८		..	मुस्तफाबाद
४९		..	ताराकोल
५०		..	चकदुधवलिया
५१		..	पार्टीताराकोल
५२		..	बालूपुर
५३		..	बहादुरा
५४		..	चन्दायर
५५		..	माथापार
५६		..	धरमपुर सरकन्डा
५७		..	सरकन्डा]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७७ पर)

उन जगहों के नाम जिनका विद्युतीकरण किया जा चुका है--

१--बैतालपुर
२--गौरी बाजार
३--टमकूही रोड
४--लपकानी
५--कठकुइयां
६--पैकऊली
७--सिमरो हरडों
८--तिकवातार
९--तरकलवा
१०--लक्ष्मीपुर
११--बरियारपुर
१२--साखोपार
१३--रामपुर खास
१४--इन्दूपुर
१५--रामकोला
१६--मुन्डेरा
१७--सपहा
१८--परमोतिया
१९--मल्लूडिह
२०--फजिल नगर
२१--कुन्दवा दलीपनगरा
२२--अहिरौली
२३--कैपिटेन गंज
२४--सोहाला रामनगर
२५--तमकूही
२६--सतरांव
२७--सुखरौली
२८--भागलपुर
२९--महवा खुर्द
३०--धारा बुजुर्ग
३१--कंचनपुर
३२--रघवापुर
३३--अंधिया
३४--सकरौरी
३५--सबिया
३६--सोहाग
३७--गिधा धुनहा
३८--सौनारी
३९--लहीपार
४०--मोहनवा
४१--सिमरी महेशपुर
४२--दुधवलिया
४३--भलुही मदारीपट्टी
४४--रामगढ़ चौरंगा
४५--पिपरा अलियास तितला
४६--विशनपुर कला
४७--गौरई
४८--बरिया बुजुर्ग
४९--हरपुर
५०--बिलासपुर
५१--पैकुली
५२--भैसादबरा
५३--सराय महन्त पट्टी
५४--जोकवा खुर्द
५५--बरवा
५६--गोपालगढ़
५७--अमरोहा खास
५८--जोगवा बुजुर्ग
५९--परसिया
६०--बिजलापुर
६१--रूचापुर
६२--मोहनपुर
६३--डुमरी मालवा
६४--भगरा महौरी
६५--भीमपुर
६६--पोखर भिन्डा
६७--लवकुश पूरब पट्टी
६८--लवकुश पश्चिम पट्टी
६९--पिपरा
७०--करामा
७१--रामनगर
७२--गरहिया
७३--पिपरा राजव
७४--मालघाट बोरइचा
७५--सुराजपुर
७६--भगवानपुर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

७७--परसिया उर्फ मलसिया
७८--पटेरवा
७९--बहोरापुर
८०--बरिया राजा
८१--बिशुनपुर
८२--धनहा
८३--रामपुर
८४--जौरा मनरा खास
८५--रामपुर
८६--माटी निनला बुजुर्ग
८७--मरमतार गंगा
८८--सुनवर्सा
८९--सिधोरिया
९०--कनौरा
९१--गरोर
९२--रधिया देवरिया
९३--देवरिया
९४--देवतहा

उन जगहों का नाम जिनका विद्युतीकरण अभी करना है।

९५--भरकारा
९६--फतेहपुर
९७--पद्री
९८--पैना
९९--मझोली

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८० पर)

महादेवा मेले में फरवरी, सन् १९६४ में चलने वाली बसों का ब्योरा

क्रम-संख्या	दिनांक	गाड़ियों का नम्बर	बसों की कुल संख्या	गाड़ी के दौर का नम्बर एक तरफ
१	२	३	४	५
१	९ फरवरी, १९६४ ..	८०,७८, ६०५३ ..	२	६
२	१० फरवरी, १९६४ ..	६७८८, ४०२४, ७५९८, ३४६९, ७००५, ६७३३, ८०७८, ७५९७, ५५२३	९	१७
३	११ फरवरी, १९६४ ..	१०६७, ७५९७, ४०२०, ७००५, ७००६, ८०७८, ४०२६, ४१२४, ५१८७, ४०२३, ५५४४, ५६४५, ५५३८, ४१२५, ६७३३, ६३१३, ६०५३, ५५२३, ६०५४, ९०३७, २९२०, ७५९८ ।	२२	६८
४	१२ फरवरी, १९६४	७००६, ९३१३, २९२०, ४१२४, ९०३७, ७५९८, ७००५, ७५९७ ।	८	२०
५	१३ फरवरी, १९६४ ..	७५९८, ७५९७, २९२०, ७००६, २१२४ ।	५	७
		कुल योग ..	४६	११८

संसद सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८० पर)

उपरोक्त बस स्टेशन के बनाने में कुल ३५८ रुपये ४० नये पैसे खर्च हुआ। जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :

	रु० न० पै०
१—टिन के चादरों द्वारा अस्थाई स्टेशन तथा लेट्रिन बनाने एवं मेले के पश्चात् उन्हें हटाने के लिये।	२१८.४०
२—टिकट खिड़कियों के सामने यात्रियों के लिये पंक्ति में खड़े रहने के लिये रेलिंग बनाने तथा उसे हटाने के लिये।	५०.००
३—कांटेदार तारों द्वारा मेला बस स्टेशन के चारों तरफ घेरा लगाने तथा उसे मेला समाप्त होने के पश्चात् हटाने के लिये।	४०.००
४—बस स्टेशन बनाने के लिये झाड़ी वगैरह काट कर भूमि को साफ कराने तथा ऊंची-नीची भूमि को काट कर व मिट्टी भराई कराकर समतल कराने के लिये	५०.००
कुल योग ..	३५८.४०

संसद सदस्य सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८२ पर)

किराया निम्नलिखित दर से लिया जाता है :

(१) ९० न० पै० प्रति किलोमीटर की दर से

यदि बस को खाली लौटना है, तो खाली बस का किराया ७० न० पै० प्रति किलोमीटर की दर से लिया जाता है।

(२) कच्चे मार्ग पर चलने का किराया ४० न० पै० प्रति किलोमीटर अधिक लिया जाता है।

(३) यदि उपर्युक्त दर से हर आध घंटे के दिन में बस की आमदनी १०० रु० से कम हो या २४ घंटे के दिन में १२० रु० से कम हो तो ५० रु० प्रति दिन रुकने का चार्ज (detention charge) भी लिया जाता है।

विधान सभा मध्य प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८४ पर)

क्रम-सं०	परमिट दिये जाने वाले व्यक्ति का नाम	
१	सरदार ट्रांस्पोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, सहारनपुर	मकदूमपुर, फलावदा वाया मवाना ।
२	श्री श्रीनिवास	गुलावठी, चितसाना
३	श्री भगवतीप्रसाद गर्ग	खुर्जा, राबूपुर वाया चोला
४	श्री गिरिराज सिंह	,, ,, ,,
५	श्री माडर्न ट्रांस्पोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, बुलन्दशहर ।	,, ,, ,,
६	श्री महेन्द्र सिंह	बुलन्दशहर, करणवास वाया अनूपशहर बिबयाना डिवाई, राम घाट, राजघाट, नरौरा ।
७	श्री मनफूल सिंह	,, ,, ,,
८	श्रीमती नरेंद्र कौर	,, ,, ,,
९	श्री रामसरन दास	,, ,, ,,
१०	श्रीमती सुहागवती	मेरठ, फलावदा वाया मवाना खुर्द
११	श्री बी० ओ० होर्न	गढ़, दिल्ली मार्ग का अस्थायी परमिट राजकीय परिवहन प्राधिकारी (ट) के आदेश दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ के अन्तर्गत दिया गया है ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८६ पर)

सूची

१—श्री राम किशोर गुप्त, बी०काम, एल०एल०बी,	सदस्य कानपुर बैंच नं० १
२—श्रीमती शारदा जैन, एम०ए०	सदस्य कानपुर लेडीज़ बैंच
३—श्रीमती फलोरेंस डी नोरनहा	सदस्य कानपुर लेडीज बेंच
४—श्रीमती महमूदा अशरफ	सदस्य कानपुर लेडीज बेंच

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९४ पर)

मेरठ क्षेत्र में १-१-६४ के बाद दिये गये बसों के परमिटों की सूची

संख्या	व्यक्ति का नाम व पता जिसको परमिट स्वीकृत किया गया	मार्ग विवरण
१	सरदार ट्रांस्पोर्ट क० प्रा० लिमिटेड, अम्बाला रोड, सहारनपुर।	मकदूमपुर, फलावदा बाया मवाना।
२	श्री श्री निवास पुत्र श्री राधेलाल नि० गुलावठी, जिला बुलन्दशहर।	गुलावठी, चितसाना
३	श्री भगवती प्रसाद गर्ग पुत्र श्री रघुबर दयाल, बुलन्दशहर	खुर्जा रबुपुरा बाया चीलर
४	श्री गिरीराज सिंह पुत्र श्री रघुराजसिंह, बुलन्दशहर	,, ,,
५	माडर्न ट्रांस्पोर्ट को० सोसाइटी, बुलन्दशहर	,, ,,
६	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री लखपत सिंह ग्राम सैदपुर, जिला बुलन्दशहर	बुलन्दशहर कर्णवास अनूपशहर, बिबयाना, डिवाई, राजघाट, रामघाट, नरौरा।
७	श्री मनफूलसिंह पुत्र श्री याद राम, ग्रा०सूरजपुर टिकरी, डा० औरंगाबाद, बुलन्दशहर।	,, ,,
८	श्रीमती नरेंद्र कौर स्त्री श्री नवनिधसिंह गुलावठी, जिला बुलन्दशहर।	,, ,,
९	श्री रामसरनदास पुत्र झम्मन लाल गुलावठी, जिला बुलन्दशहर।	
१०	श्रीमती सुहागवती स्त्री श्री विजेंद्र सिंह, ग्राम बाम नौली, जिला मेरठ।	मेरठ, फलावदा बाया मवाना खुर्द।
११	सर्वश्री मिस्त्री अब्दुल हमीद, मो० आरिफ इकबाल, निवासी बड़ौत, जिला मेरठ	मुजफ्फरनगर, गंगोह, बाया, थाना भवन, केरी बारी।

विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये ताराँकित प्रश्न ११७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९६ पर)

CHARTER OF DEMANDS

Presented by the Employees of K. E. S. A. led by Kanpur Electric Supply Workers' Union.

1. *Through Revision of the Wage Structure* (*a*) Present scales of pay were fixed about 15 years back. They are antiquated and a sufficiently long period has elapsed since their fixation.

(*b*) The scales of pay were fixed on an adhoc basis. A Scientific wage structure is the need of the hour.

(*c*) The scales of pay of 1949 were so low that a large number of skilled employees were to be on the maximum of the scales the moment the wage scales were enforced. They have been denied the benefit of increase in emoluments all these years. Many other reached the maximum of scales several years back.

(*d*) Wages have been inceased in other comparable units in the country. The employees of the K. E. S. A. are the lowest paid as compared to units similarly placed.

2. *An interim relief of* 25 *per cent of basic wages* scientific fixation of a revised wage structure may take sometime. Immediate relief is needed in view of present situation which is unbearable.

3. *Increase jn dearness allowance in order to insure* 100 *per cent neutralisation of the rise in the cost of living*—Rate of dearness allowance of the K. E. S. A. employees was unjustifiably reduced in 1949. Since then K. E. S. A. employees continue to get lower rate of dearness allowance. The rate of neutralisation always low is lower now. Now that it is obvious that there is absolutely no chance of 1939 price level coming back the round principle is to give 100 per cent neutralisation of the increase in the cost of living so that the living standard of the K. E. S. A. employees may not continuously go down.

4. *Bonus of KESA employees should be linked with the profits of the Undertaking*. Profits to K.E.S.A. have increased enormously during the last 16 years. But the rate of bonus remains unaltered at 12 1/2 per cent of basic wage. This is not only unscientific but unjust and contrary to practice in the rest of the country.

5. *Housing*—Public promise of the then Chief Ministry given in February, 1957 has not been implemented. A housing colony was promised. Not even a quarter for the K.E.S.A. employees has been built. A definite date for the construction of the colony should be fixed.

6. Put an end to victimisation of trade union workers, their harassment and vindictive transfers.

7. Workman dismissed during the course of enquiry should be reinstated with full wages.

8. Establish a consumers store and supply the daily needs at reasonable rates.

9. Supply of Summer and Winter Uniforms to sweepers and watermen.

(Sd.) B. B. CHAKRAVARTY,
General Secretary,
Kanpur Electric Supply Workers Union.

Dated January 25, 1964.

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०० पर)

जिला वाराणसी परगना राल्हूपुर में सिधीवासी तथा हंडिया नामक कोई ग्राम नहीं हैं, ग्राम सिधीतालो, जिउधीपुर, कटरिया तथा डहिया नामक ग्राम हैं, जहां सिंचाई के लिये निम्न-लिखित व्यवस्था है:—

ग्राम सिधी तालो—यहां नलकूप इकौनी तथा मुगलसराय रजबहे से सिंचाई होती है ।

ग्राम जिउधीपुर—यहां भी इकौनी नलकूप से सिंचाई होती है ।

ग्राम डहिया—इस गांव में भी सिंचाई की व्यवस्था इकौनी तथा दरियापुर नलकूपों से है ।

ग्राम कटरिया—यहां भी इकौनी नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था है ।

जिन ग्रामों का ऊपर जिक्र है वहां और अधिक सिंचन सुविधायें प्रदान करने हेतु मुगलसराय रजबहे से एक सिधीतालो नामक माइनर निकालने की योजना विचाराधीन थी और इसका सर्वेक्षण भी किया गया था किन्तु इसका निर्माण प्राविधिक दृष्टि से संभव नहीं पाया गया ।

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०५ पर)

संलग्न सूची

उन स्थानों के नाम जिनका विद्युतीकरण हो चुका है ।

१--रसौली
२--हैदरगढ़
३--इंचौली
४--टीकैतनगर
५--रामसनेही घाट
६--दरियाबाद
७--नयागंज
८--भितरिआ
९--पत्रानगर
१०--बरैल ।

उन स्थानों के नाम जिनका विद्युतीकरण होना बाकी है ।

११--अलियाबाद
१२--सूबेहा
१३--सैदपुर
१४--जैदपुर
१५--गदिया
१६--फतेहपुर
१७--देवा
१८--कुर्सी
१९--मोहनसन्द
२०--बिलहेरा
२१--जहांगिराबाद
२२--रामनगर
२३--बंकी ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९०७ पर)

उत्तर प्रदेश कौर्नियाल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३

(जैसा कि उ०प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

चिकित्सकीय तथा अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये मृत व्यक्तियों के नेत्रों का उपयोग करने के संबंध में व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार, तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, १९६४ में कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह अधिनियम तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषाएं

२—जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(१) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य अस्पताल या ऐसी चिकित्सा शिक्षण संस्था या चिकित्सा अन्वेषण केंद्र है जिसे राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अनुमोदित करे;

(२) मृत व्यक्ति के संबंध में "निकट संबंधी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका संबंध मृतक से पत्नी, पति, माता-पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन के रूप में हो या जो मृतक के स्वीय विधि के अनुसार उत्तराधिकारी हो;

(३) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(४) "मान्यता प्राप्त" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा, ऐसे रीति से जो नियत की जाय, मान्यता प्राप्त से है;

यू०पी० ऐक्ट संख्या ३, १९१७

(५) "निबद्ध चिकित्सक" का तात्पर्य यू०पी० मेडिकल ऐक्ट, १९१७ के उपबन्धों के अधीन निबद्ध चिकित्सक से है, और

(६) "लावारिस शव" का तात्पर्य उस मृत व्यक्ति के शव से है जिसका कोई निकट संबंधी न हो या जिसके शव के लिये दावा उसके किसी निकट संबंधी द्वारा मृत्यु के दो घंटे के भीतर न किया गया हो,

मृत व्यक्ति के नेत्रों का निकाला जाना

३—(१) यदि किसी व्यक्ति ने लिखित रूप में किसी समय अथवा मौखिक रूप में अपनी अंतिम बीमारी के दौरान में दो या अधिक गवाहों के सामने यह इच्छा व्यक्त की हो कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके नेत्रों का उपयोग चिकित्सकीय या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये किया जाय तो यह व्यक्ति जिसके कब्जे में, वैधतः उसका शव हो, उक्त प्रयोजनों के लिये शव से नेत्रों को निकालने का प्राधिकार दे सकता है जब तक कि उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि उक्त प्रार्थना बाद में वापस ले ली गयी थी।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह व्यक्ति जिसके कब्जे में वैधतः मृत व्यक्ति का शव हो, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये शव से नेत्रों को निकालने का प्राधिकार दे सकता है, जब तक उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि—

(क) मृतक ने अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने नेत्रों के इस प्रकार निकालने जाने के संबंध में आपत्ति व्यक्त की थी और उसने वह आपत्ति वापस नहीं ली थी,

(ख) मृतक के किसी निकट संबंधी ने मृतक के नेत्रों के इस प्रकार निकाले जाने पर आपत्ति की है ।

(३) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये मृतजात (still born) बच्चे के नेत्र उसके यथास्थिति, माता-पिता अथवा माता या पिता की सहमति से निकाले जा सकते हैं ।

(४) किसी मृत व्यक्ति के संबंध में इस धारा के अधीन दिया गया प्राधिकार शव से नेत्रों को निकालने और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये उनका उपयोग करने के लिये पर्याप्त प्राधिकार होगा, किन्तु इस प्रकार नेत्र निकालने का कार्य किसी अनुमोदित संस्था में काम करने वाले मान्यता प्राप्त निबद्ध चिकित्सक व्यवसायी द्वारा ही किया जायगा जिसने शव की व्यक्तिगत परीक्षा करके अपना यह समाधान कर लिया हो कि वह निष्प्राण हो गया है ।

प्राधिकार कब नहीं दिया जायगा

४—धारा ३ के अधीन नेत्रों को निकालने का प्राधिकार न दिया जायगा:—

(क) यदि ऐसा प्राधिकार देने के लिये अधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि तत्समय प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार शव का मरणान्वेषण (inquest) किया जा सकता है,

(ख) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे अन्य व्यक्ति ने मृत व्यक्ति के शव को केवल उसे गाड़ने (interment) या उसका दाहकर्म करने के प्रयोजन के लिये सौंपा हो ।

लावारिस शव के संबंध में प्राधिकार

५—अनुमोदित संस्था में पड़े हुए लावारिस शव की दशा में, इस अधिनियम के अधीन नेत्रों को निकालने का प्राधिकार उस व्यक्ति द्वारा जिसके नियंत्रण या प्रबन्ध में ऐसी संस्था हो, या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से दिया जा सकता है जो नियत की जाय ।

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार

६—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सभों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

अपवाद ७—(१) इस अधिनियम के उपर्युक्त उपबन्धों की कोई बात, मृत व्यक्ति के शव या उसके किसी भाग के संबंध में किसी ऐसी कार्यवाही को अवैध करने वाली न मानी जायगी जो वैध होती यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता।

ऐक्ट ४५, १८६० (२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नेत्रों को निकालने के लिये किया गया कोई अधिकार, इंडियन पीनल कोड की धारा २९७ के उपबन्धों का उल्लंघन न समझा जायगा।

उद्देश्य और कारण

हमारे देश में नेत्र रोग व्यापक रूप से फैले हुए हैं और प्रारम्भिक अवस्थाओं पर उपचार कराने से बहुत से मामलों में कोर्निया में धुंधलापन आ जाता है जिसे दूर करने का संभव उपाय यह है कि उसके बदले दूसरे के नेत्रों से कोर्निया निकाल कर लगा दिया जाय। इस समय इस देश में कोर्निया प्राप्ट संबंधी शल्य चिकित्सा की सुविधाओं की कमी है। शल्य चिकित्सा की इस शाखा की उन्नति एक बड़ी बाधा दाताओं से मिलने वाली वस्तु की अत्यधिक कमी है जिसका कारण उसे प्राप्त करने विधि संबंधी कठिनाइयां हैं। इस बाधा को दूर करने तथा स्वैच्छिक आधार पर चिकित्सकीय प्रयोजनों के निमित्त दाताओं से मिलने वाली वस्तु का उदार सम्भरण सुनिश्चित करने के लिये जिससे कि चिकित्सक द्वारा मृत व्यक्तियों के नेत्रों को उनके निकट संबंधियों की सहमति से और अस्पतालों में पड़े हुए लावारिस शवों से नेत्रों को निकाल सकें, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

दाऊ दयाल खन्ना,
स्वास्थ्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ में दिये गये ऐसे उपबन्धों के संबंध में ज्ञापन पत्र जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं, जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है। खंड (६) (१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये नियम बनाये। ये नियम विधेयक में, जैसा कि वह विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुये, उसमें उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त, बनाये जायेंगे। विधान मंडल को इन नियमों का परीक्षण और उनमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि इस विधेयक के खंड ६ के उपखंड (२) में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे समस्त नियम विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल १४ दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करना चाहें।

इसके अतिरिक्त, खंड ५ में भी राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार अनुमोदित संस्था में पड़े हुये शव की दशा में नेत्रों को निकालने का अधिकार दिया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रतिनिहित अधिकार सामान्य प्रकार के हैं।

दाऊ दयाल खन्ना,
स्वास्थ्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० ३६ एल० ए०—१९६४—८६०।